

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_186157

UNIVERSAL
LIBRARY

Osmania University Library

Call No. H351.74
U93-

Accession No. GH 2590

Author

Title

आरप्रोपुश के पोलिस प्रशासन के
रिपोर्ट 1956

This book should be returned on or before the date last
marked below.

(ग)

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की एक प्रति उत्तर प्रदेश प्रधान पुलिस निरीक्षक के पास भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की एक प्रति उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित की जाये।

Checked 1965

अज्ञा से,
मदन गोपाल कौल,
सचिव।

भाग १

इस वर्ष भी पुलिस तथा जनता के बीच संबंध सुधारने पर बड़ा जोर दिया जाता रहा और इसका परिणाम काफी उत्साहवर्द्धक रहा। इसी उद्देश्य से गोरखपुर, झांसी और कानपुर में सफल "ट्रेज" आयोजित किये गए और जनता ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। पुलिस के संबंध में सही सूचना तथा जानकारी को जो कमी है, उसे दूर करने के लिये पुलिस स्टाल भी बड़ी प्रदर्शनियों में लगाये गए। पुलिस ट्रेनिंग कालेज, पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों तथा रेंज ट्रेनिंग सेन्टरों के सभी नए प्रशिक्षार्थियों के लिये उनकी प्रशिक्षा के पाठ्यक्रम के रूप में व्याख्यानों का आयोजन किया गया, जिनमें उन्हें जनता का सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता समझायी गई और यह भी बताया गया कि उसे प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। ज्येष्ठ (सीनियर) अधिकारियों ने सेवारत कर्मचारियों से जोर देकर कहा कि वे विनय तथा सव्यवहार द्वारा जनता का और अधिक सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस के जिन अधिकारियों तथा सिपाहियों ने ऐसा नहीं किया उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की गई और भ्रष्टाचार तथा अन्य कदाचारों की शिकायतों के संबंध में शिक्षात्मक दंड किया गया। फरवरी, १९५६ ई० में शिकायत योजना प्रारम्भ होने पर भ्रष्टाचार, बलात्-ग्रहण, जानबूझकर बदला लेने और परेशान करने की समस्त शिकायतों की जांच शिकायत-अधिकारियों (Complaints Officers) द्वारा तत्परता से की गई। इससे साधारण जनता में काफी हद तक विश्वास की भावना उत्पन्न हो गई है। इस योजना की सफलता इस बात से स्पष्ट है कि सरकार के पास अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध भाई हुई शिकायतों की संख्या में काफी कमी हुई है। इस वर्ष पुलिस को यह भी अनुदेश दिये गए कि वह खोयी हुई सम्पत्ति प्राप्त करने तथा खोए हुए बच्चों को ढूँढ़ने में जनता की सहायता करे। इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य हुआ और पुलिस ने राज्य भर में बड़ी संख्या में बच्चों को उनके माता-पिताओं के पास पहुंचाया।

इससे निम्न में "विनय प्रश्न" तथा "अपराध निरोधक" सप्ताह मनाए गए जिनका परिणाम अच्छा रहा। पुलिस ने बहराइच, फैजाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, आगरा और मुजफ्फरनगर के जिलों में बाढ़ के समय प्रशंसनीय सेवा की।

ग्रामीण जनता से भी ग्राम रक्षा समितियों तथा राइफल क्लबों के जरिए घनिष्ठ संपर्क रखा गया। डाकुओं का सामना करने के उपायों की प्रशिक्षा गांव वालों को देने के निमित्त गांवों में समय-समय पर डकैती रोकने की कार्यवाहियों का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया। इस दिशा में जो सफलता प्राप्त हुई वह इससे स्पष्ट है कि बहुत बार डाकुओं के सशस्त्र गिरोहों का गांव वालों ने सामना किया और वे डाकुओं को पकड़ने या मार डालने में सफल हुए। शहरों में भी मुद्रा रक्षा समितियों के जरिये पुलिस तथा जनता को आपस में मिलने-जुलने और एक दूसरे के और अधिक निकट आने का अवसर मिलता रहा।

जिज्ञा पुलिस सुपरिन्टेण्डेंटों ने प्रशासनीय महत्व की स्थानीय समस्याओं पर विचार विनिमय करने के निमित्त विधान मंडल के सदस्यों तथा प्रेस-प्रतिनिधियों को समय-समय पर आमंत्रित करके बैठकों का आयोजन किया। ऐसी बैठकों काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। प्रेस को सही सूचना दी गई और गलत या अतिशयोक्तिपूर्ण रिपोर्टों के फैलने की संभावना काफी कम हो गई। बड़े शहरों में प्रेस को दिन प्रति दिन ही ऐसी घटनाओं की सूचना देने का प्रबंध है, जिनमें जनता की रुचि होती है।

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयत्न किए गए कि अपराध के मामलों की सही-सही रिपोर्टें दी जायें और उन्हें सही-सही दर्ज किया जाय। पुलिस के उन अधिकारियों तथा सिपाहियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गई, जिन्हें अपराध घटाकर दिखाने या छिड़ाने का दोषी पाया गया। सभी ज्येष्ठ अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिये लगातार प्रयत्न करते रहे कि रिपोर्ट लिखने के लिए कोई शुल्क न लिया जाय और जब कभी वे जनता के संपर्क में आये उन्होंने इस बात का व्यापक प्रचार किया।

ऐसे कुछ मामले हुए जिनमें सरकारी नौकरों पर अपना कर्तव्य पालन करते समय आक्रमण किया गया। यह चिन्ता का विषय है, क्योंकि इससे शान्ति तथा व्यवस्था के प्रति नादर की प्रवृत्ति प्रकट होती है।

इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में भारतीय विद्या भवन द्वारा “धार्मिक नेताओं के जीवन चरित्र” नामक पुस्तक प्रकाशित किए जाने और अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों द्वारा “भगवत गीता” के कथित दहन के फलस्वरूप साम्प्रदायिक भावनाएं उग्र हो गईं। उसका नतीजा यह हुआ कि अलीगढ़, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, जालौन और शाहजहांपुर के जिलों में साम्प्रदायिक दंगे हुए, परन्तु पुलिस द्वारा तुरन्त और दृढ़ कार्यवाही किये जाने से इनमें से अधिकांश स्थानों में उपद्रव शान्त हो गए और कहीं भी स्थिति काबू के बाहर नहीं होने पायी।

अवैध आग्नेयास्त्र बरामद करने के संबंध में कई जिलों में अच्छा काम हुआ। पश्चिमी रेंज के जिलों में आग्नेयास्त्रों की बरामदगी के लिए विशेष प्रयत्न किए गए, जिनका अच्छा परिणाम रहा। इस वर्ष पुलिस की डाकुओं के सशस्त्र गिरोहों से जो बहुत-सी मुठभेड़ हुईं उनके फलस्वरूप भी काफी शस्त्र बरामद हुए।

प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी फोर्स को पिछले वर्षों की तरह, विभिन्न कार्यों पर लगाया गया और उसने दक्षता तथा परिश्रम से काम करने की अपनी ख्याति बनाए रखी। इस फोर्स का ७५ प्रतिशत से अधिक भाग लगातार ड्यूटी पर रहा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सीमाओं पर “संयुक्त कमांड” की कार्यवाहियां समाप्त करने के बाद भी प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी का एक बड़ा दल उत्तर प्रदेश में इन सीमाओं पर डकैती रोकने की कार्यवाहियों पर लगातार लगा रहा। उक्त फोर्स से जिला पुलिस की भी बड़े पैमाने पर डकैती की समस्याओं का सामना करने, साम्प्रदायिक दंगों, बड़े मेलों, त्योहारों, विद्यार्थियों की हड़तालों तथा आन्दोलनों के अवसरों पर कार्यवाहियां करने, विशिष्ट व्यक्तियों के आने पर ड्यूटी देने और राज्य के मुख्यालय में विधान सभा तथा परिषद् में ड्यूटी देने में बड़ी सहायता मिली। राज्यों के पुनर्संगठन के फलस्वरूप बम्बई में हुए दंगों के दौरान में प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी का जो दस्ता भेजा गया था, उसने कई महीने वहां रह कर अपने कर्तव्यों का पालन बहुत ही अच्छी तरह किया।

अपराध अनुसंधान विभाग तथा रेडियो अनुभाग (Section) ने सदा की भांति बहुत अच्छा कार्य किया और कार्य-दक्षता का अपना उच्च स्तर बनाए रखा।

इस वर्ष अपराध के मामलों को रिपोर्टें पहले से अच्छी तरह दी जाने तथा उन्हें पहले से अच्छी तरह दर्ज किए जाने के फलस्वरूप हस्तक्षेप्य अपराधों के ६७,६९३ मामले दर्ज हुए, जब कि १९५५ ई० में ५७,९६० मामले और १९५४ ई० में ६३,९२६ मामले दर्ज हुए थे। अपराधों के सभी शीर्षकों के अन्तर्गत थोड़ी सी वृद्धि हुई, परन्तु यह केवल आंकड़ों की वृद्धि है और एक बड़ी हद तक इसका कारण अपराधों के मामलों की सही-सही रिपोर्टें दी जाने तथा उन्हें सही-सही दर्ज किए जाने पर जोर दिया जाना है। इस प्रसंग में राज्य की जनसंख्या की वृद्धि तथा बेरोजगारी की समस्याओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। बहुत से सक्रिय और संगठित गिरोहों का सफाया किया गया और चम्बल घाटी के डाकुओं को कार्यवाहियां पूर्णतया काबू में रखी गईं। इसके अतिरिक्त पुलिस ने राज्य भर में बहुत से दूसरे कुख्यात डाकुओं का सफाया किया। परन्तु मध्य भारत के रूपा तथा लाखन के भंयकर गिरोहों का जिनसे इस राज्य को संभाव्य खतरा है, सफाया होना अभी बाकी है।

१९५६ ई० में डाकुओं, गुन्डों तथा अन्य समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही तत्परता तथा दृढ़तापूर्वक की जाती रही।

भाग २

अपराध

२--वास्तविक रूप से हस्तक्षेप्य अपराध--१९५६ ई० में वास्तविक रूप से हस्तक्षेप्य मामलों की दर्ज की गई कुल संख्या १,३५,३९१ थी, जब कि १९५५ ई० में यह संख्या १,२४,७०८ थी।

शीर्षक १ से ५ तक के अन्तर्गत वास्तविक रूप से हस्तक्षेप्य अपराधों के मामलों की संख्या (अर्थात्, शीर्षक ६ यानी, "अन्य हस्तक्षेप्य अपराध" के अन्तर्गत अपराधों को कम करके कुल अपराध) १९५५ ई० के ५७,९६० से बढ़कर १९५६ ई० में ६७,६९३ हो गई, यानी १६ प्रतिशत बढ़ती हुई।

इसी तरह शीर्षक ६ के अन्तर्गत वास्तविक रूप से हस्तक्षेप्य अपराध (अन्य हस्तक्षेप्य अपराध) १९५५ ई० के ६६,७४८ से बढ़कर १९५६ ई० में ६७,६९८ हो गए और इस प्रकार लगभग १.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

नीचे विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों के अपराध के तुलनात्मक आंकड़े दिए गए हैं :—

	१९५५	१९५६
वर्ग १--राज्य, सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा तथा न्याय के विरुद्ध अपराध, हस्तक्षेप्य अपराध का अनुत्तेजन (abetment) और हस्तक्षेप्य आपराधिक षड्यन्त्र	३,०५४	३,४६०
वर्ग २--शारीरिक आघात संबंधी गम्भीर अपराध	१०,११६	११,२३३
वर्ग ३--शारीरिक आघात तथा संपत्ति संबंधी या केवल संपत्ति संबंधी गम्भीर अपराध	१८,३४७	२१,५०९
वर्ग ४--शारीरिक आघात संबंधी छोटे-मोटे अपराध	७६०	८५४
वर्ग ५--संपत्ति संबंधी छोटे-मोटे अपराध	२५,६८०	३०,६३७
वर्ग १ से ५ तक का योग ...	५७,९६०	६७,६९३
वर्ग ६--अन्य हस्तक्षेप्य अपराध, जिनका उल्लेख ऊपर नहीं हुआ है	६६,७४८	६७,६९८
समस्त शीर्षकों के अन्तर्गत योग ...	१,२४,७०८	१,३५,३९१

उपर्युक्त विवरण से यह मालूम हो जायगा कि हस्तक्षेप्य अपराधों की कुल संख्या में वृद्धि का कारण एक बड़ी हद तक यह है कि वर्ग ५ के अन्तर्गत अपराधों, यानी संपत्ति संबंधी छोटे-मोटे अपराधों में उल्लेखनीय बढ़ती हुई है। इसके अतिरिक्त वर्ग ३ के अपराधों यानी, शारीरिक आघात तथा संपत्ति संबंधी या केवल संपत्ति संबंधी गम्भीर अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत थोड़ी-सी बढ़ती हुई है। इस सम्पूर्ण वृद्धि का कारण काफी हद तक यह है कि अधिकारियों द्वारा वर्षभर विशेष प्रयत्न किये जाने के फलस्वरूप अपराधों के दर्ज किए जाने में लगातार बढ़ती हुई है। पुलिस के उन अधिकारियों तथा सिपाहियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गई, जो अपराधों को घटाकर दिखाने या छिपाने के लिए जिम्मेदार पाए गए। अपराधों के सही-सही दर्ज किए जाने का एक और कारण शिकायत योजना का कार्यान्वित किया जाना है और इसके फलस्वरूप विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत दर्ज किए गए मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई।

ग्राफ संख्या १ में पिछले पांच वर्षों के हस्तक्षेप्य अपराध एक वक्रेखा द्वारा दिखाए गए हैं। ग्राफ संख्या ७ में अल्पमान किए गए सही मानलों की तुलना में सिद्ध-दोष मामलों का प्रतिशत दिखाया गया है। जैसा कि गत वर्षों में भी बताया जा चुका है, जहां कहीं दोषसिद्धि का प्रतिशत कम होता है, अपराध-संख्या अधिक होती है।

प्रति १०,००० जन-संख्या के पीछे हस्तक्षेप्य अपराधों की संख्या १९५५ ई० के १०.४ से बढ़कर १९५६ ई० में ११ हो गई। इसकी तुलना में १९५४ ई० में अपराधों की संख्या ११.९ थी। अतः यह वृद्धि कोई ज्यादा विस्तारजनक नहीं है।

अन्य जिलों की तुलना में लखनऊ जिले की अपराध-संख्या अधिक रही, जो प्रति १०,००० जन-संख्या के पीछे ३२ थी। अन्य प्रमुख जिले नैनताल, रामपुर और देहरादून थे, जहां प्रति १०,००० जन-संख्या के पीछे अपराध संख्या क्रमशः २४.१९ और २२ थी।

३--अहस्तक्षेप्य अपराध--आलोच्य वर्ष में रिपोर्ट किए गए अहस्तक्षेप्य अपराधों की कुल संख्या १,६८,५११ थी, जब कि १९५५ ई० में यह संख्या १,७७,०२५ थी। अहस्तक्षेप्य अपराधों का वर्गीकरण बराबर नीचे दिया गया है:—

वर्ग १--राज्य, सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा तथा न्याय के विरुद्ध अपराध	४,४८९
वर्ग २--शारीरिक आघात संबंधी गंभीर अपराध	२२
वर्ग ३--शारीरिक आघात तथा संपत्ति संबंधी या केवल संपत्ति संबंधी गंभीर अपराध	१२८
वर्ग ४--शारीरिक आघात संबंधी छोटे-मोटे अपराध	१२,१४७
वर्ग ५--संपत्ति संबंधी छोटे-मोटे अपराध	२,५१७
वर्ग ६--अन्य अपराध जिन्हें उल्लेख ऊपर नहीं हुआ है	२६,८१३
त्रिविध--विशेष तथा स्थानीय कानूनों के अन्तर्गत अन्य अपराध जो पुलिस द्वारा हस्तक्षेप्य नहीं हैं।	१,२२,३९६

४--डकैती--१९५५ ई० में डकैती के जाने मामले दर्ज हुए थे, उनकी तुलना में १९५६ ई० में दर्ज की गई डकैतियों की संख्या कुछ बढ़ी है। १९५५ ई० के ८४४ की तुलना में १९५६ ई० में ९३२ मामले दर्ज हुए। ग्राफ संख्या ३ में पिछले पांच वर्षों में डकैतियों की संख्या दिखाई गई है। कुछ हद तक इस वृद्धि का कारण यह है कि डकैती के अपराध अधिक संख्या में दर्ज किये जाने लगे हैं।

१९५६ ई० में हत्या सहित डकैती के १२० मामले हुए, जब कि १९५५ ई० में ११२ और १९५४ ई० में १३२ मामले हुए थे। यह वृद्धि विशेष उल्लेखनीय नहीं है। ७८१ मामलों में डाकुओं ने डाले डालने के समय आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया, जबकि १९५५ ई० में ऐसे मामलों की संख्या ६६९ थी। अधिकतर जिलों में अवैध हथियार तथा गोला-बारूद बरामद करने के लिए विशेष आन्दोलन आरम्भ किए गए और उनका परिणाम काफी अच्छा रहा।

हमेशा की तरह सबसे अधिक डकैतियां पश्चिमी रेंज में हुईं, जिनकी संख्या २६२ थी। इसके बाद मध्य तथा उत्तरी रेंजों में यह संख्या क्रमशः २३६ तथा १८३ थी। पूर्वी रेंज में ७८ मामले, दक्षिणी रेंज में ६२ मामले, पर्वतीय रेंज में ९ मामले और सरकारी (गवर्नमेंट) रेलवे पुलिस में २ मामले दर्ज हुए। १९५५ ई० में पश्चिमी, सेन्ट्रल उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी रेंजों में क्रमशः २७५, २०२, ११७, ९० और १५४ मामले दर्ज हुए। सरकारी रेलवे पुलिस में १९५५ ई० में ६ मामले दर्ज हुए थे।

डकैती के सबसे अधिक मामले जिन जिलों में हुए, वे ये हैं--मेरठ, १९५५ ई० के २९ की तुलना में ४६ मामले हुए, जिनमें भारतीय बंड संहिता की धारा ३९९/४०२ के अधीन १४ मामले सम्मिलित हैं। मेनपुरी,

१९५५ ई० के ४७ की तुलना में ३९ मामले हुए, आगरा, १९५५ ई० के २६ की तुलना में ३३ मामले हुए, सीतापुर तथा अलीगढ़, १९५५ ई० के क्रमशः ४७ तथा ४५ की तुलना में प्रत्येक में ३० मामले हुए, हरदोई, १९५५ ई० के ३६ की तुलना में ३२ मामले हुए, खोरो, १९५५ ई० के १३ की तुलना में ३२ मामले हुए, बहराइच, ३८ मामले और उन्नाव में ३१ मामले हुए। यह बड़े संतोष की बात थी कि जिला आगरा के दुर्गम बाह्य क्षेत्र को आलोच्य वर्ष में कम से कम ७ महीनों के लिये चम्बल घाटी के गिरोहों के लटमार से पूर्णतया मुक्त रक्खा गया। जिन जिलों में सबसे अधिक अपराध हुए उनमें निरो-धात्मक कार्यवाही भी तेज कर दी गई। सफल मुठभेड़ों के द्वारा तथा अपराध के मामले का धैर्यपूर्वक, दीर्घकाल तक तथा क्रमबद्ध अनुसंधान करके, जिसके फलस्वरूप इन गिरोहों के सदस्यों पर सफलतापूर्वक मुकदमा चलाया गया, और जिलों के बीच अधिक सम्बन्ध स्थापित करके डाकुओं के गिरोहों का, विशेषकर उक्त जिलों में सफाया किया गया। नियमित रूप से अन्तर जिला, अन्तर रेंज और अन्तर-राज्य सम्मेलनों का आयोजन किया गया और इस प्रकार यह सुनिश्चित करना संभव हो गया कि जिन विभिन्न गिरोहों का पता चल गया हो, उनके प्रत्येक सदस्य पर समुचित ध्यान दिया जाय।

इस वर्ष सिर्फ पश्चिमी रेंज में ही १८१ मामलों का पूरी तौर से पता लगा लिया गया, जिनमें १,७४४ डाकुओं को गिरफ्तार किया गया और उनमें से १,३५७ डाकुओं पर मुकदमा चलाया गया। इस रेंज में डाकुओं के सुसंगठित सशस्त्र गिरोहों से ४० मुठभेड़ हुईं जिनमें पुलिस काफी परिमाण में हथियार तथा गोला-बारूद बरामद करने के अतिरिक्त १५ डाकुओं को मार डालने तथा १६८ को घटना-स्थल पर गिरफ्तार करने में सफल हुई। जिला सहारनपुर में कुश्यात डाकू दरयाब सिंह के गिरोह से हुई जबरदस्त मुठभेड़ में उस गिरोह के दो महत्वपूर्ण सदस्य गोली से मार डाले गए। इस डाकू ने कई जिलों के लोगों को आतंकित कर रक्खा था। जिला मेरठ में एक आर्म्ड पुलिस गार्ड ने तेजपाल गूजर के गिरोह का ६ या सात मील तक पीछा किया और तेजपाल के मुख्य साथी को घटना-स्थल पर ही मार डाला। उसी जिले में स्टेशन अफसर मोदीनगर तुरन्त एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां डाका पड़ रहा था और वे घटना-स्थल पर ही एक डाकू को मार डालने और अन्य ७ डाकुओं को पकड़ने में सफल हुए, जिला अलीगढ़ में कुश्यात डाकू इयाम-सुन्दर ब्राह्मण के गिरोह का एक मुठभेड़ में पूरी तौर पर सफाया कर दिया गया। उस मुठभेड़ में गिरोह के तीन सदस्य मार डाले गए और एक घटना-स्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। जिला मैनपुरी में कुश्यात डाकू रिपाल सिंह एक पुलिस दल के साथ, जिसका नेतृत्व पुलिस सुपरिन्टेंडेंट, मैनपुरी, कर रहे थे, एक खुले मैदान में जबरदस्त लड़ाई के बाद गोली से मार डाला गया। इस मुठभेड़ के फलस्वरूप विवेश-निमित्त हथियार और गोला-बारूद तथा एक हथगोला भी बरामद हुआ। जिला एटा में सक्रिय गिरोहों के ८ सशस्त्र सदस्य बड़ी फुर्ती से पकड़ लिए गए। इस जिले में एक मुठभेड़ में देर तक गोलियां चलने के बाद नाथू सिंह और भगवान सिंह अपने दो अनुचरों के साथ घटना-स्थल पर ही गोली से मार डाले गए। इस जिले के एक दूसरे मामले में जिला फतेहगढ़ तथा एटा के डाकुओं के गिरोह के साथ हुई मुठभेड़ के फलस्वरूप एक डाकू घटना-स्थल पर गोली से मार डाला गया और ११ पकड़ लिए गए। जिला आगरा में कल्ला गूजर के चम्बल घाटी के एक सशस्त्र गिरोह के ४ सदस्य एक छोटे से पुलिस दल से हुई मुठभेड़ में गोली से मार डाले गए और एक राइफल, कई बन्दूकें, एक पिस्तौल और बड़े परिमाण में गोला-बारूद भी बरामद हुआ, जिला शाहजहांपुर में कुश्यात डाकू भिलारो अपने तीन साथियों के साथ पुलिस से हुई मुठभेड़ में गोली से मार डाले गए। पुलिस दल का नेतृत्व पुलिस सुपरिन्टेंडेंट श्री आर० डी० पान्डे स्वयं कर रहे थे। चार अन्य डाकू भी घटना-स्थल पर गिरफ्तार कर लिए गए और विवेश निमित्त हथियार तथा गोला-बारूद बरामद किया गया। जिला बरेली में कुश्यात डाकू हुस्सेन शाह तथा लल्लन शाह के गिरोह, जो पास-पड़ोस के जिलों में भी सक्रिय थे, मुठभेड़ों में गोली से मार डाले गए और उनके गिरोहों का पूरी तरह सफाया कर दिया

गया। हुस्सेन शाह इसके पहले हलद्वानी जेल से भाग निकला था। जिला हमीरपुर में डाकू इन्दरजीत लोधी पुलिस से हुई एक मुठभेड़ में मार डाला गया। लखनऊ जिले में ७ डाकू एक मुठभेड़ के बाद घटना-स्थल पर गिरफ्तार कर लिए गए।

एक उत्साहवर्द्धक बात ऐसे मुठभेड़ों की वृद्धि है, जिनमें ग्राम रक्षा समितियों ने राज्यभर में सशस्त्र डाकुओं से जमकर मोर्चा लिया। जनता को अपनी जिम्मेदारियों का अधिकाधिक अनुभव होते रहने पर डकैती की स्थिति निश्चित रूप से सुधरेगी। जिला लखनऊ में स्थानीय ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों से हुई मुठभेड़ के फलस्वरूप कुख्यात डाकू राम औतार मार डाला गया। जिला रायबरेली में ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों ने आधे दर्जन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जो डाका डालने के लिए कानपुर से गाड़ी द्वारा जा रहे थे। जिला जालौन में मध्य भारत के मंगल सिंह के गिरोह का सामना, जो इस जिले में डाका डालने के बाद लौट रहा था, एक पुलिस दल ने किया जिसकी सहायता ग्राम रक्षा समिति के सदस्य कर रहे थे। इस मुठभेड़ के फलस्वरूप मंगल सिंह गोली से मार डाला गया और हथियार तथा गोला बारूद सहित उसके चार साथी पकड़ लिए गए। जिला झांसी में ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों ने बन्दूकों के लाइसेन्सदारों की सहायता से डाकुओं के एक गिरोह को, जो डाका डालने जा रहे थे, मार्ग में रोका और वे घटना-स्थल पर एक डाकू को गिरफ्तार करने में सफल हुए। सर्वसाधारण लोगों ने मुठभेड़ों में भाग लिया, यद्यपि सुसंगठित तथा सशस्त्र गिरोहों के विरुद्ध लड़ने में उनमें से बहुतों को अपने प्राण गंवाने पड़े। ५० मामले में मृत व्यक्तियों के, जिनकी मृत्यु इन मुठभेड़ों के कारण हुई थी, परिवारों को असाधारण पेन्शनें दी गईं।

इस वर्ष डकैती के अपराध में २,४२१ व्यक्तियों को सिद्ध-दोष ठहराया गया। कई मामलों में जमानत पर छोड़े गए अपराधियों को और अधिक अपराधों के लिए जिम्मेदार पाया गया। केवल पश्चिमी रेंज में डकैती के विभिन्न मामले में जमानत पर छोड़े गये २६ व्यक्तियों का हाथ बाद में गंहित अपराधों में पाया गया।

५--राहजनी--ग्राफ संख्या ४ में १९५२ ई० से राहजनी की संख्या दिखाई गई है। १९५६ ई० में इस अपराध में कुछ वृद्धि हुई और ५६२ मामले दर्ज हुए, जब कि १९५५ ई० में ४१४ और १९५४ ई० में ४८८ मामले दर्ज हुए थे। इस वर्ष इस अपराध के लिए ३४२ व्यक्ति सिद्ध-दोष ठहराए गए। जिन जिलों में सबसे अधिक राहजनी के मामले हुए, वे निम्नांकित हैं :--

खोरी	...	३४ मामले
हरबोई	..	२६ "
अलीगढ़	...	२६ "
मेरठ	...	२४ "
शाहजहांपुर	...	२३ "
गोरखपुर	...	२१ "
सरकारी रेलवे पुलिस	...	२४ "

राहजनी के अधिकतर मामले छोटे-मोटे थे, जिनमें बाजारों से लौटने वाले लोगों को रास्ते में रोककर उनके पास का सामान तथा नकद खपया लूट लिया गया था। इस वर्ष कोई सनसनीखेज या महत्वपूर्ण राहजनी का मामला नहीं हुआ।

६--हत्या--ग्राफ संख्या २ में पिछले ५ वर्षों में हत्याओं की संख्या दिखाई गई है। १९५६ ई० में १,५९९ हत्याएं की गई थीं, जबकि १९५५ ई० में १,४८८ हत्याएं हुई थीं। ५३६ हत्याएं निजी लाभ के लिए और २४३ हत्याएं कामलिप्ता के कारण की गईं। ८ हत्याएं जहर देकर की गईं और ११ हत्याएं भाड़े के हत्यारों ने कीं।

२१ टेक्निकल हत्या के मामले हुए जिनमें स्त्रियों ने अपने बच्चों के साथ डूबकर आत्म-हत्या की। इस राज्य में हत्या का मुख्य कारण शत्रुता है।

जिन जिलों में हत्याओं के सब से अधिक मामले हुए ये हैं--

मेरठ, जिसमें १९५५ ई० के ५५ की तुलना में ७७ मामले हुए, उन्नाव, जिनमें १९५१ ई० के ३५ की तुलना में ६४ मामले हुए, अलीगढ़, जिसमें १९५१ ई० के ५४ की तुलना में ५६ मामले हुए, गोंडा, जिसमें १९५५ ई० के २८ की तुलना में ५४ मामले हुए, हरदोई तथा सीतापुर, जिनमें से प्रत्येक में ५२ मामले हुए, जबकि १९५५ ई० में क्रमशः ६२ तथा ४० मामले हुए थे, एटा, बदायूँ तथा खीरी, जिनमें से प्रत्येक में ५० मामले हुए, जबकि १९५१ ई० में क्रमशः ६१, ५१ तथा ५३ मामले हुए थे और शाहजहाँपुर, जिसमें १९५५ ई० के ३६ की तुलना में ५२ मामले हुए। जिला एटा तथा हरदोई में इस स्थिति में पुनरावृत्ति परन्तु मेरठ, उन्नाव, शाहजहाँपुर, गोंडा और सीतापुर के जिलों में हत्याओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

रिपोर्ट किये गये मामलों की तुलना में सिद्ध-शेष मामलों का प्रतिशत १७.६ था। सेशन न्यायालयों ने १९४ व्यक्तिओं को प्राणदण्ड दिया और ६१ मामलों में प्राणदण्ड की पुष्टि हाई कोर्ट ने की।

स्थानीय पुलिस को ऐसे सभी मामलों में निरोधात्मक कार्यवाही करने का अनुदेश दिया गया, जिसमें विभिन्न पक्षों के बीच स्पष्टतः शत्रुता हो।

१ हेड कांस्टेबल, १ कांस्टेबल और १ नीतीशार अपने कर्तव्यों का पालन करते हुये जान से मारे गए। १ डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट, १ सक्ति इंस्पेक्टर, ७ सब-इंस्पेक्टर, ३ हेड कांस्टेबल, २५ कांस्टेबल और १ ग्राम चौकीदार भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए घायल हुए। सब-इंस्पेक्टर, ए० पी० (प्लेन कमांडर) जोरे सिंह, चम्बल घाटी के डाकुओं के खिलाफ कार्यवाहियों में जान से मारे गये।

७--दंगे--इस वर्ष दर्ज किए गये दंगों की संख्या में कुछ कमी हुई। ३,०८७ मामले दर्ज हुये, जबकि १९५५ ई० में २,७६५ मामले और १९५४ ई० में ३,०८२ मामले दर्ज हुए थे। परन्तु यह वृद्धि विस्ताजनक नहीं है। जिन जिलों में सबसे अधिक दंगे हुए, वे ये हैं--मेरठ, जिसमें १९५५ ई० के १४१ की तुलना में १५४ मामले हुए, इलाहाबाद, जिसमें १९५५ ई० के १३२ की तुलना में १२९ मामले हुए। आजमगढ़, जिसमें १९५५ ई० के ६४ की तुलना में ११८ मामले हुए। गोरखपुर, जिसमें १९५५ ई० के ११९ की तुलना में १०६ मामले हुए। इटावा, जिसमें १९५५ ई० के ८६ की तुलना में १०० मामले हुए और बदायूँ जिसमें १९५५ ई० के ७३ की तुलना में १०३ मामले हुए। जिला गोरखपुर में इस अपराध की संख्या में कुछ कमी हुई, परन्तु जिला बदायूँ में इस संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

१९५५ ई० के ११ की तुलना में ३० दंगों के मामले साम्प्रदायिक प्रकार के थे। बम्बई से 'धार्मिक नेता' (Religious Leaders) नामक पुस्तक प्रकाशित होने के बाद, जिसमें पैगम्बर मुहम्मद के बारे में कुछ अनाबर सूत्रक अभ्यक्तियाँ थीं, राज्य भर में साम्प्रदायिक आन्दोलन हुआ। इस सम्बन्ध में अलीगढ़ में ५ साम्प्रदायिक दंगे, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, जालौन में से प्रत्येक में चार दंगे, इलाहाबाद, बिजनौर और आजमगढ़ में से प्रत्येक में २ दंगे और आगरा, इटावा, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, गोंडा तथा लखनऊ में से प्रत्येक में १ दंगा हुआ। जालौन में इनमें से एक साम्प्रदायिक दंगे में ९ व्यक्ति जान से मारे गए। इनमें से अधिकतर जिलों में पुलिस द्वारा तुरन्त तथा सख्त कार्यवाही की गई और जिला अधिकारियों ने स्थिति को आगे बिगड़ने से रोक लिया।

बंड प्रक्रिया संहिता (Cr. P.C.) की धारा १०७ और १०७/११७ के अधीन कार्यवाही लिये पुलिस ने २०,३२१ मामलों की रिपोर्टें मैजिस्ट्रेटों के पास भेजी, जब कि १९५५

ई० में ऐसे मामलों की संख्या २१,६३७ थी। इनमें से ५,५७३ मामलों में जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी, उनसे मुचलका लिया गया और ४,९८८ मामले वर्ष के अन्त में विचाराधीन थे, ८,४०२ मामलों में जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी, उन्हें छोड़ दिया गया, ३,३७१ मामले बिना कार्यवाही के ही खारिज कर दिये गये और ३,७७५ मामलों का अन्य प्रकार से निबटारा किया गया। ५,७८८ मामले पिछले वर्ष से विचाराधीन हैं।

द—गहरी चोटें—गहरी चोट के दर्ज किए गए कुल मामलों की संख्या २,३५३ थी, जब कि १९५५ ई० में २,१७७ और १९५४ ई० में २,०९७ मामले दर्ज हुए थे। इस प्रकार लगभग १० प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेन्ट्रल रेंज में गहरी चोट के फिर सबसे अधिक मामले हुये। यानी १९५५ ई० के ६७४ की तुलना में ६८४ मामले हुये। इसके बाद दक्षिणी रेंज का नम्बर है, जहां १९३५ ई० के ४४७ की तुलना में ५०४ मामले दर्ज हुए। इस प्रकार के अपराध के मामले जिन जिलों में सबसे अधिक हुए, वे ये हैं—हरबोई, १३० मामले, कानपुर, १०८ मामले, बरेली ८९ मामले, इलाहाबाद ९८ और उन्नाव ९० मामले। रिपोर्ट किये गए मामलों की तुलना सिद्ध-दोष मामलों का प्रतिशत २० था, जबकि १९५५ में यह प्रतिशत २१ और १९५४ ई० में २० था। ऐसे सभी महत्वपूर्ण मामलों का, जिनमें गहरी चोट पहुंची, अनुसंधान किया गया।

९—चोरियां—दर्ज किये गये सही मामलों की कुल संख्या २६,५६३ थी, जबकि १९५५ ई० में २२,१८५ और १९५४ ई० में २४,६०३ मामले दर्ज हुये थे। इस प्रकार लगभग १६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। १९५५ ई० के १०,४३८ की तुलना में ९,१४३ व्यक्ति सिद्ध-दोष ठहराए गए। रिपोर्ट किए गए मामलों की तुलना में सिद्ध-दोष मामलों का प्रतिशत १९५५ ई० के १८.५ से बढ़कर १९५६ ई० में १९.८ प्रतिशत हो गया। पिछले तीन वर्षों में खास खास किस्म की संपत्ति की चोरियों का विवरण नीचे दिया गया है।

	१९५४	१९५५	१९५६
(१) साइकिलें, जो चुराई गईं ...	३,५७३	३,२५९	३,७४८
साइकिलें जो बरामद की गईं ...	६९५	५६७	६२३
(२) कृषि उपज ...	१,५०८	१,३२२	१,४७१
(३) मोटर गाड़ियां और पुर्जे ...	५६	५३	५१
(४) टेलीग्राफ और टेलीफोन के तार ..	४१८	३३४	३७४
(५) आग्नेयास्त्र, जो खो गए ..	२७४	२८८	३०८
(६) आग्नेयास्त्र, जो बरामद किए गए ...	९६२	१,९२५	२,००९

इस वर्ष खोये और बरामद किए गए हथियारों का विवरण नीचे दिया गया है:—

खोये हुए हथियार

रिवाल्वर	पिस्तौल	मस्केट	राइफल	बन्दूकें	देशी बन्दूकें	एअर गन	बन्दूक का कुंदा	योग
३९	१६	३	२१	२१६	८	१	१	३०८

बरामद किए गए हथियार

रिबालवर		पिस्तौल		राइफल	मस्केट	बन्दूकें		ए अर गन	गन स्टिक	तोप	योग
विदेश निमित्त	देशी	विदेश निमित्त	देशी			विदेश निमित्त	देशी				
५५	१६	१६	५२२	३०	३	१८१	१८३	१	१	१	२००९

१०—मवेशियों की चोरियां—पुलिस में रिपोर्ट की गई मवेशियों की चोरियों की सही संख्या १९५५ ई० के २,६३० की तुलना में ३,५०६ थी। इस प्रकार ३३ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अपराध के सबसे अधिक मामले जिन जिलों में हुए, वे ये हैं—फतेहपुर २७९, मेरठ १६५, हरदोई १६१, मुजफ्फरनगर १५०, मुरादाबाद १७९ और ननीताल तथा सहारनपुर में से प्रत्येक में, १२९। १९५५ ई० के १,९५ की तुलना में १९५६ ई० में इस अपराध के लिए १,५७३ व्यक्तियों को सिद्ध-दोष ठहराया गया। रिपोर्ट किए गये मामलों की तुलना में सिद्ध-दोष मामलों का प्रतिशत १९५५ ई० के २५.६ प्रतिशत से कुछ घट कर १९५६ ई० में २० प्रतिशत हो गया।

विभिन्न जिलों में कुछ इस प्रकार के वर्ग हैं, जैसे गजर तथा बंजारे जो इस प्रकार के अपराध में विशेषता प्राप्त करते हैं। वे चुराये हुए मवेशियों को बहुत ही थोड़े समय में सैकड़ों मील दूर स्थानों में पहुंचा देते हैं और उनका बाहरी रूप बदल देते हैं, जिससे उनकी पहचान करना बहुत कठिन हो जाता है। इन कठिनाइयों के कारण इस अपराध को रोकने के लिए पुलिस द्वारा विशेष तथा सम्मिलित प्रयत्न किये गये गंगा तथा जमुना की कन्दराओं और खार क्षेत्रों में अपने चुराये हुए मवेशी छिपाने की प्राकृतिक सुविधा भी मवेशी चुराने वालों को मिलती है।

११—सेंध लगाना—ग्राफ संख्या ५ में पिछले पांच वर्षों में सेंध लगाने की अपराधों की संख्या दिखाई गई है। १९५६ ई० में दर्ज किये गये अपराधों की संख्या १९५५ ई० के १६,५०३ से बढ़कर १९,४२० हो गई और इस प्रकार १७.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। जिन जिलों में इस प्रकार के अपराध के सबसे अधिक मामले हुए, वे ये हैं—इलाहाबाद ८३९ मामले, उन्नाव २६ मामले, मेरठ ७६३ मामले, कानपुर ६९६ मामले, आजमगढ़ ६८० मामले, गोरखपुर ६९१ मामले, अलीगढ़ ५९१ मामले, हरदोई ५९२ मामले, वाराणसी ५७५ मामले और बस्ती ५६४ मामले। रिपोर्ट किए गए मामलों की तुलना में सिद्ध-दोष मामलों का प्रतिशत १९५५ ई० के १५ प्रतिशत से कुछ घटकर १९५६ ई० में १३.५ प्रतिशत हो गया।

आलोच्य वर्ष में सेंध लगाने वालों के कई महत्वपूर्ण गिरोहों का पूरी तौर पर सफाया कर दिया गया। लखनऊ जिले में हरदयाल सिंह तथा राम सिंह के गिरोहों का सफाया किया गया। जिला सीतापुर में गंगा प्रसाद चमार तथा नत्था लाल सुनार के गिरोह भी खत्म कर दिए गए। इलाहाबाद जिले में, शहर में सेंध लगाने वाले चार महत्वपूर्ण गिरोह खत्म कर दिए गए। कानपुर जिले में जसोदा नन्दन, श्यामू, लाला, मुहब्बत, रघुबीर, राम सिंह और पहाड़ी को गिरफ्तार करके, जो झांसी तथा ग्वालियर जैसे दूर-दूर के स्थानों पर जाकर बड़ी संख्या में सेंध लगाते थे, एक महत्वपूर्ण गिरोह को खत्म कर दिया गया।

सेंध लगाने की संख्या में वृद्धि का कारण एक बड़ी हद तक इस प्रकार के अपराधों का पहले से अच्छी तरह दर्ज किया जाना और शिकायत योजना का कार्यान्वित किया जाना

है। सेंध लगाने के अपेक्षाकृत अधिक मामलों के लिये, जिनकी इस वर्ष रिपोर्ट की गई, भूतपूर्व अराधनाशील जातियों के भूतपूर्व सदस्य भी जिम्मेदार थे।

शहरों में अक्सर सेंध लगाने के अधिकांश मामलों के लिये प्रवीण सेंध लगाने वाले जिम्मेदार पाए गये। अन्य प्रकार के अपराध के मामलों की तुलना में सेंध लगाने के मामलों का अनुसंधान अपेक्षाकृत अधिक कठिन कार्य है और उनके संबंध में चलाये गये मुकदमों में सफलता पाने की संभावना भी अपेक्षाकृत कम रहती है। परन्तु अपराध अनुसंधान विभाग के मुख्यालय में अनुसंधान अधिकारियों की अनुसंधान के वैज्ञानिक अवलम्बों (scientific aids) की प्रशिक्षा दी जा रही है और यह आशा की जाती है कि इससे अनुसंधान का स्तर ऊंचा होगा।

१२—जाली सिक्के और करेंसी नोट—इस वर्ष जाली करेंसी नोट बनाने के २३ मामलों की रिपोर्ट की गई जब कि १९५५ ई० में यह संख्या १७ थी। इस शीर्षक के अन्तर्गत अपराध संख्या लगातार बढ़ रही है। १९५५ ई० के ३६ की तुलना में जाली सिक्के बनाने के ३९ मामलों की रिपोर्ट की गई। कोई सनसनीखेज मामला नहीं हुआ। इन अपराधों के लिये जिम्मेदार अभियुक्त अभ्यस्त अपराधी हैं और वे दोष-सिद्धि के बाद अनेक बंड की अवधि पूरा कर लेने पर जब कारागार से छूटते हैं तो उसके बाद भी अना यह पेशा जारी रखते हैं। अभ्यस्त अपराधियों पर निगरानी रक्खा जाना जारी है।

१३—अग्रहरण—७९३ मामले दर्ज किये गये, जब कि १९५५ में ७१३ और १९५४ ई० में ७१० मामले दर्ज हुए थे। इस अपराध के सबसे अधिक मामले (६१) जिला लखनऊ में दर्ज हुए। इसके बाद जिन जिलों का नम्बर आता है, वे ये हैं—कानपुर तथा हरदोई, जिनमें से प्रत्येक में ४२ मामले हुए, सीतापुर ३८ मामले, मुरादाबाद में ३७ मामले और इलाहाबाद में ३५ मामले। तावान वसूल करने के लिए अग्रहरण करने के तीन मामले हुए, जिनमें से एक आगरा में, एक एटा में और एक टेहरी-गढ़वाल में हुआ।

अनाथालयों और विधवाश्रमों के पुनर्संगठन तथा उचित नियंत्रण के लिए सरकार ने जो कार्यवाही की है उससे निस्संदेह स्त्रियों के क्रयविक्रय के मामलों में कमी आ जायेगी। इस वर्ष किसी सनसनीखेज मामले की रिपोर्ट नहीं की गई।

१४—जहर देना—१९५६ ई० में ६८ मामले दर्ज किए गए, जबकि १९५५ ई० में ६२ और १९५४ ई० में ९३ मामले दर्ज हुए। इन मामलों में से केवल २१ मामलों में पेशेवर जहर देने वालों का हाथ था, जिनमें सरकारी रेलवे पुलिस के १६ मामले सम्मिलित हैं। इसकी तुलना में १९५५ ई० में इस प्रकार के २७ मामले हुए थे। रिपोर्ट किये गये मामलों की तुलना में सिद्ध-दोष मामलों का प्रतिशत १९५५ ई० के २४ से बढ़कर १९५६ ई० में २६ हो गया। इस अपराध के सबसे अधिक मामले सरकारी रेलवे पुलिस में हुए, जहां १६ मामले दर्ज हुए। सरकारी रेलवे पुलिस के सभी १६ मामलों में पेशेवर जहर देने वालों का हाथ था, क्योंकि रेलवे प्लेटफार्म और चलती गाड़ियां ऐसे स्थान हैं जहां जहर देने वालों को सीधे-साधे और भीले-भाले लोगों को धोखा देकर जहर देने का अनुकूल अवसर मिलता है। गोरखपुर में ऐसे ५ मामले दर्ज किये गये और चार-चार मामले बस्ती तथा बुलन्दशहर के जिलों में दर्ज हुए।

१५—पुलिस की हिरासत से भाग निकलना—१९५५ ई० के ३७ और १९५४ ई० के ५० की तुलना में इस वर्ष पुलिस की हिरासत से ५३ व्यक्ति निकल भागे। इनमें से ३९ फिर से गिरफ्तार कर लिए गए। कई मामलों में पुलिस दलों पर आक्रमण किया गया और गिरफ्तार अभियुक्तों को उनके साथियों या रिश्तेदारों ने पुलिस की हिरासत से छुड़ा लिया। ११ मामलों में पुलिस मार्गरक्षक दल बोधी नहीं पाया गया। ऐसे सभी मामलों में, जिनमें पुलिस मार्गरक्षक दल लापरवाह और अभियुक्तों के निकल भागने के लिये जिम्मेदार पाया गया, प्रतिरोधक बंड दिये गये।

१६.-शिकायत-योजना--नान-गजटेड सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर पुलिस विभाग के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार, परेशान करने और अत्याचार की प्रवृत्ति रोकने के उद्देश्य से इस राज्य में १ फरवरी, १९५६ ई० से शिकायत-योजना चालू की गई। इस योजना के अन्तर्गत इस राज्य के प्रत्येक जिले में स्थानीय पुलिस सुपरिन्टेंडेंट (अधीक्षक) के नियंत्रण में एक डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेंडेंट (शिकायत) तैनात किया गया। उनके लिए आवश्यक है कि वे पुलिस विभाग के नान-गजटेड कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचारों, बलात्-ग्रहण, परेशान करने और जानबूझकर बदला लेने की जो शिकायतें की जायें, उनकी जांच करे और अन्य विभागों के नान-गजटेड कर्मचारियों के खिलाफ की गई केवल भ्रष्टाचार तथा बलात्-ग्रहण की शिकायतों की जांच करें।

इस योजना के आरम्भ होने के दिनांक से नान-गजटेड सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध इस शाखा के पास कुल ७,५२५ शिकायतें आईं। ३,८६८ यानी ५१.४ प्रतिशत शिकायतें घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार के संबंध में थीं और ६७३ यानी ८.९ प्रतिशत बलात्-ग्रहण, २,७३२ यानी ३६.३ प्रतिशत परेशान करने और २५२ यानी ३.४ प्रतिशत जानबूझकर बदला लेने के संबंध में थीं। इनमें से १,२५७ शिकायतें डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेंडेंट "शिकायतें" के पास विभिन्न कारणों से, जिनका उल्लेख निम्नांकित पैरा १७ और १८ में किया गया है, नहीं भेजी गईं। इस प्रकार शिकायतों की जांच के लिए नियुक्त डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेंडेंटों ने ५,२५९ मामलों की जांच की और उसे पूरा किया। १,७६६ मामले पूर्णतः या अंशतः सही पाए गए, यानी जितने मामलों की जांच हुई उनमें से केवल २६.६ प्रतिशत मामले सही साबित हुए।

कुल जितनी शिकायतें प्राप्त हुईं उनमें से लगभग ८० प्रतिशत शिकायतें पुलिस विभाग के खिलाफ थीं और २० प्रतिशत शिकायतें अन्य विभागों के नान-गजटेड सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ थीं।

सही साबित हुए १,७६६ मामलों में से १,६२२ मामलों में वैभागिक कार्यवाही की गई और ८७ मामलों में न्यायालयों में मुकदमा चलाया गया। ११ मामलों में अभियुक्त सिद्ध-दोष ठहराए गए, ५ में दोषमुक्त किए गए और ७५ मामले अभी न्यायालयों के विचाराधीन थे। जिन १,६२२ मामलों में वैभागिक कार्यवाही की गई उनमें से ५१ मामलों में अभियुक्त दोषमुक्त ठहराए गए। ५८० मामलों की अभी सुनवाई होनी शेष थी और ९९१ मामलों में उन सरकारी कर्मचारियों को वैभागिक कार्यवाही करके उपयुक्त दंड दिया गया, जिनके विरुद्ध शिकायत की गई थी।

१७--पुलिस के विरुद्ध शिकायत--पुलिस के विरुद्ध कुल ६,०९१ शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से ७८४ मामले शिकायतों के संबंध में नियुक्त डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेंडेंटों के पास जांच के लिए नहीं भेजे गए, क्योंकि वे या तो अस्पष्ट या गुमनाम थे या बहुत ही मामूली किस्म के थे या वैभागिक अधिकारी उनके बारे में पहले ही जांच कर चुके थे या उन्हें पेश-बन्दी के लिए उन्होंने भेजा था, जिनके खिलाफ पुलिस द्वारा मुकदमे चलाए गए थे या उनकी ओर से उनके रिश्तेदारों या समर्थकों ने भेजा था या उसी विषय पर जांच अपराध अनुसंधान विभाग या किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा होनी थी। जितनी शिकायतों की जांच की गई उनमें से २६.६ प्रतिशत सही साबित हुईं। यह देखने में आया कि इस वर्ष पुलिस के विरुद्ध बहुत सी तुच्छ शिकायतें की गईं। परन्तु वर्ष के समाप्त होने तक यह प्रवृत्ति कम हो गई।

शिकायतों के संबंध में नियुक्त डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेंडेंटों को जांच के लिये कुल जितनी शिकायतें सौंपी गईं उनमें से २,४२९ घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार के बारे में थीं, ५८५ बलात्-ग्रहण, २,१३६ परेशान करने और १५७ जानबूझकर बदला लेने के कार्यों के बारे में थीं। इस प्रकार कुल जितनी शिकायतों की जांच की गई उनकी ४३.७ प्रतिशत शिकायतें घूसखोरी और भ्रष्टाचार की थीं, १०.३ प्रतिशत बलात्-ग्रहण की, ४२.१ प्रतिशत परेशान

करन की ओर ३.९ प्रतिशत जानबूझकर बढ़ा लेने के कार्यों की थीं। सभी शिकायतों की जांच की गई और जांच पूरी कर ली गई।

शिकायतों के संबंध में नियुक्त डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेंडेंटों द्वारा जांच तथा अनुसंधान किये जाने के फलस्वरूप २४ मामलों में २ सब-इंस्पेक्टरों, ३ हेड कांस्टेबलों, २३ कांस्टेबलों और १ ग्राम चौकीदार के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। १ कांस्टेबल के खिलाफ एक मुकदमे में वह सिद्ध-दोष ठहराया गया है, १ हेड कांस्टेबल तथा ४ कांस्टेबलों के खिलाफ चलाए गए ४ मुकदमों में वे दोषमुक्त कर दिए गए हैं और १९ मुकदमों की सुनवाई अभी होनी है।

शिकायतों के संबंध में नियुक्त डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेंडेंटों द्वारा जांच करने पर सही पायी गई शिकायतों के अन्य मामलों में वैभागीक कार्यवाही की गई।

वैभागीक कार्यवाही के फलस्वरूप ३ सब-इंस्पेक्टर, १२ हेड कांस्टेबल, ५२ कांस्टेबल और २१ ग्राम चौकीदार नौकरी से बरखास्त किए गए। १ सब-इंस्पेक्टर और ४ कांस्टेबल नौकरी से अलग कर दिए गए।

४९ सब-इंस्पेक्टरों, ३३ हेड कांस्टेबलों और १०७ कांस्टेबलों के सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रोक लिए गए।

४ सकल इंस्पेक्टरों, १५६ सब-इंस्पेक्टरों, ६९ हेड कांस्टेबलों और ११५ कांस्टेबलों, १ असिस्टेंट एकाउन्टेन्ट, १ कैरेक्टर रोल कीपर, १ हेड क्लर्क और २ असिस्टेंट पब्लिक प्रासीक्यूटर्स की अवचार प्रविष्टियां (misconduct entries) की गईं।

३५ सब-इंस्पेक्टरों, ६ हेड कांस्टेबलों, ३६ कांस्टेबलों, १ असिस्टेंट पब्लिक प्रासीक्यूटर और १ असिस्टेंट एकाउन्टेन्ट की क्षुद्र-बंड-प्रविष्टियां की गईं।

२० सब-इंस्पेक्टर, १७ हेड कांस्टेबल और ६५ कांस्टेबलों की वेतन-वृद्धियां रोक दी गईं। ३ इंस्पेक्टरों, १२३ सब-इंस्पेक्टरों, ६३ हेड कांस्टेबलों, ३३२ कांस्टेबलों और २९ ग्राम चौकीदारों के संबंध में अन्य प्रकार की वैभागीक कार्यवाही की गई। वर्ष के अन्त में ५८० मामलों में वैभागीक कार्यवाही पुलिस सुपरिन्टेंडेंटों के विचाराधीन थीं।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, जनता के पास अब एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा उसकी शिकायतों के संबंध में तत्परता से कार्यवाही हो सकती है और इससे उन लोगों में पर्याप्त विश्वास उत्पन्न हो गया है जिनकी शिकायतें सच्ची होती हैं। इस कारण उक्त योजना आम तौर पर पसन्द की गई है। यह भी आशा की जाती है कि इस योजना से सरकारी कर्मचारियों द्वारा बलत्-ग्रहण और अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार की संभावनाएं बड़ी सीमा तक कम हो जायेंगी। उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि उनके विरुद्ध शिकायतों की तत्परता से जांच की जाएगी और उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के कार्यों के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कभी-कभी उन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध, जिनके बारे में शिकायतें आयी थीं, आरोप सही पाये जाने पर भी उन्हें सिद्ध करने में कठिनाई का अनुभव हुआ, क्योंकि कभी-कभी परिवादी (complainant) उन कर्मचारियों से मिल गए या विभिन्न कारणों से गवाही नहीं मिल सकी।

१८-पुलिस विभाग को छोड़कर अन्य विभागों के नान-गजटेड सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें-पुलिस विभाग को छोड़कर अन्य विभागों के नान-गजटेड सरकारी कर्मचारियों के बारे में ६६१ जांचें, शिकायतों के संबंध में नियुक्त डिप्टी सुपरिन्टेंडेंटों को सौंपी गईं। इनमें से ८३९ जांचें भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी की शिकायतों के संबंध में थीं, ३७ बलात्-ग्रहण, ८० परेशान करने और ५ जानबूझकर बढ़ा लेने के कार्यों के संबंध में थीं।

इनमें से ७२५ शिकायतें केवल राजस्व विभाग के नान-गजटेड अधिकारियों के विरुद्ध थीं। १७ शिकायतें चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग के संबंध में थीं, ५९ नियोजन

विभाग, १५ कृषि विभाग तथा १५ स्थानीय निकायों, ३५ आबकारी विभाग, २९ सिंचाई तथा हंड्रोजो-इलेक्ट्रिक विभागों, १ परिवहन विभाग, ६ निबंधन विभाग (रजिस्ट्रेशन विभाग), ११ न्याय विभाग (जुडीशियल विभाग), ३ शिक्षा विभाग, २ सेल्स टैक्स विभाग, ४ जेल (कारागार) विभाग, ४ सहायता तथा पुनर्वासि विभाग, १७ वन विभाग, १६ सप्लाई विभाग और एक-एक पशु-पालन विभाग तथा एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों के संबंध में थीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग से कोई भी मामला जांच के लिए शिकायत-शाखा के पास नहीं भेजा गया।

४७३ मामले "शिकायतों" के संबंध में निम्नलिखित डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेंडेंटों के पास उन कारणों से, जिनका उल्लेख शीर्षक "पुलिस के विरुद्ध शिकायतें" के अन्तर्गत परा में किया गया है, नहीं भेजे गए। ८८३ जांचें पूरी की गईं और इनमें से ४१६ शिकायतें अंशतः या पूर्णतः सही पाई गईं। इस प्रकार अन्य विभागों के नान-गजटेड सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जितनी शिकायतों की जांच इस शाखा ने की उनकी ४७,१ प्रतिशत शिकायतें सही साबित हुईं। ४०४ मामलों में जिन व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतें की गईं थीं उनके खिलाफ वैभागीक या कानूनी कार्यवाही की गई। ६३ व्यक्तियों का न्यायालयों में चालान किया गया, जिनमें से १० सिद्ध दोष ठहराए गए, १ दोषमुक्त किया गया और ५२ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमों की अभी सुनवाई होनी थी। ३४१ व्यक्तियों के विरुद्ध वैभागीक कार्यवाही की गई, जिनमें से २२१ मामलों को छोड़कर जिनमें अभी वैभागीक कार्यवाही होनी थी, अन्य सभी मामलों में कार्य-वाही पूरी हो गई। इस प्रकार दंडित किये गये १५६ व्यक्तियों में से ३४ को बर्खास्त किया गया, २८ को नौकरी से अलग कर दिया गया। ८ व्यक्तियों के सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रोक लिए गये, १३ व्यक्तियों की वेतन वृद्धि रोक दी गई, ११ व्यक्तियों को अवचर प्रविष्टियां की गईं, ४ व्यक्तियों को क्षुद्र-दंड-प्रविष्टियां की गईं और ५८ व्यक्तियों को अन्य प्रकार से दंड दिया गया।

भाग ३

१६—अपराधों का पता लगाना और उनकी रोकथाम करना—गत पांच वर्षों में रिपोर्ट किए गए, अनुसंधान किए गए तथा निर्णीत मामलों की तुलना में सिद्ध-दोष मामलों का प्रतिशत नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	रिपोर्ट किए गए मामलों की तुलना में सिद्ध-दोष मामलों का प्रतिशत	अनुसंधान किए गए सभी मामलों की तुलना में सिद्ध-दोष मामलों का प्रतिशत	न्यायालयों में निर्णीत मामलों की तुलना में सिद्ध-दोष मामलों का प्रतिशत
१९५२	२३	२७	६७
१९५३	२५	२८	६५
१९५४	२४	२८	६५
१९५५	२५	२८	६५
१९५६	२१	२५	६३

१९५६ ई० में रिपोर्टों की तुलना में सिद्ध-दोष मामलों के प्रतिशत में कुछ कमी हुई। न्यायालयों में निर्णीत मामलों की तुलना में सिद्ध-दोष मामलों के प्रतिशत में भी कुछ कमी हुई है।

ये संख्याएँ निश्चित रूप से कम हैं और पहले से ही कम रही हैं और यह बड़ी चिन्ता का विषय है। अपीलों की सुनवाई करने वाले न्यायालयों में परिणाम और भी खराब थे।

दोष-सिद्धि कम होने का एक कारण कर्मचारिवर्ग की अपर्याप्तता तथा अनुभवी कर्मचारियों की कमी है। परन्तु यह देखा गया है कि एक बड़े हद तक मुकदमों के परिणाम एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भिन्न होते हैं। यदि अनुसंधान की खराबी ही बड़ी संख्या में दोषमुक्ति का कारण होती तो ऐसा न होता। न्यायालयों में भेजे गए मामलों के परिणाम खराब होने के अन्य कारण एक बड़ी सीमा तक निम्नांकित हैं :—

(१) आमतौर पर सबसे गवाह न्यायालयों में आकर गवाही देने और अभिविधा तथा अपमान सहने से बचना चाहते हैं।

(२) जमानत पर छूटे हुए अभियुक्त गवाहों को डराने, घमसाने या फुसलाने में सफल हो जाते हैं और वे उनसे मिल कर न्यायालयों में मुकदमों को बिगाड़ देते हैं। खुद परिवादी भी डराए धमकाये जाने से दब जाते हैं और वकालत लिए जाने के डर से उनकी गवाही भी बिगड़ जाती है। अपने सीमित कर्मचारिवर्ग की सहायता से पुलिस परिवादियों (complainants) को उनके अभ्याक्रामी पड़ोसियों के मुकाबले प्रभावकारी तथा पर्याप्त शरण देने में असमर्थ हैं। इस प्रकार दण्डों तथा गुंडों के विरुद्ध, जो कि अभियुक्त आम तौर पर होते हैं, खड़े हो सकने में जो गवाह समर्थ होते हैं वे या तो अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं या खुद कुख्यात होते हैं। उनकी गवाही से न्यायालय के संतुष्ट होने की

संभावना नहीं होनी, जिसके कारण अभियुक्त दोषमुक्त कर दिये जाते हैं। अनुसंधान के वैज्ञानिक अवलंब भी आसानी से और सभी जगहों में उपलब्ध नहीं हैं।

उपयुक्त सभी असुविधाओं के बावजूद उपलब्ध साधनों से अपराधों का पता लगाने तथा मुकदमा चलाने में काफी सकलता प्राप्त हुई।

यह आशा की जाती है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के सुधरे हुए तथा उन्नत उपाय काम में लाने, वैज्ञानिक अवलम्बों को व्यवस्था करने और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार अनुसंधान कर्मचारि वर्ग में वृद्धि करने से वर्तमान स्थिति में काफी परिवर्तन होगा।

रक्षी प्रहरी (वाच एन्ड वार्ड) को अनुसंधान कर्मचारि वर्ग से पृथक् करने, यद्यपि अभी तक यह सीमित पैमाने पर ही हुआ है, और द्रुतगामी दलों के निर्माण से अपराधों का और अच्छी तरह पता लगाने तथा उनका अनुसंधान तत्परता से करने में एक बड़े हद तक सहायता मिली है।

२०—चुराई गई और बरामद की गई सम्पत्ति—पिछले तीन वर्षों में चुराई गई तथा बरामद की गई सम्पत्ति का मूल्य रूपों में नीचे दिया गया है :—

अपराध	१९५४		१९५५		१९५६	
	चुराई गई सम्पत्ति	बरामद की गई सम्पत्ति का प्रतिशत	चुराई गई सम्पत्ति	बरामद की गई सम्पत्ति का प्रतिशत	चुराई गई सम्पत्ति	बरामद की गई सम्पत्ति का प्रतिशत
सोध लगाना	८३,७४,९६१	७'६५	६६,८३,६५२	६'६	७८,५६,११४	५'०२
दूसरी चोरियां	५६,६१,६०६	१९'३	४९,००,४६९	२१'८	५७,३३,६७३	१४'९
डकैती	१६,३८,५२१	५'०२	१५,४३,४७०	६'७	१२,४५,११२	२'६
राहजनी	२,३०,८०२	१२'७७	२,३१,५०८	२३'६	२,१३,६००	१०'३
आपराधिक विश्वासघात	८,८९,६९०	७'३२	७,०५,०२७	८'८	६,४५,५६५	७'८
आपराधिक विश्वासघात जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा या उनके एजेंटों द्वारा किया गया हो	१०,७४,२०३	२'८६	७,०६,६५०	९	३,६४,६०८	३'३

शोध 'सोध लगाना' दूसरी चोरियां 'डकैती' और 'राहजनी' के अन्तर्गत चुराई गई या लुटेरी गई सम्पत्ति की बरामदगी का प्रतिशत कम हुआ। इसी प्रकार आपराधिक विश्वासघात से संबद्ध उस सम्पत्ति के प्रतिशत में भी, जो बाद में बरामद हुई, कुछ कमी हुई है। सरकारी कर्मचारियों या उनके एजेंटों द्वारा किए गए आपराधिक विश्वासघात से संबद्ध उस सम्पत्ति के प्रतिशत में, जो बाद में बरामद हुई, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

२१--मोटर वेहिकल्स ऐक्ट तथा ट्रैफिक (यातायात) संबंधी अपराध--गत पांच वर्षों की दुर्घटनाओं के आंकड़े नीचे दिये गये हैं और साथ ही मोटर वेहिकल्स ऐक्ट तथा इस ऐक्ट के अधीन बने नियमों के उल्लंघनों का उल्लंघन होने पर पुलिस द्वारा चलाए गए मुकदमों के आंकड़े भी दिए गए हैं :—

	१९५२	१९५३	१९५४	१९५५	१९५६
ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो मारे गए	३७१	३४३	३६५	४१०	४७७
ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो घायल हुए	६७३	७२४	६८६	८४१	९५२
विधि की धाराएं :					
इंडियन पेनेल कोड की धारा ३०४	३२२	३०८	३१९	३६५	३०९
" " ३३७/३३८	४५०	५३६	४८८	४७९	६४९
" " २७९					
और					
मोटर वेहिकल्स ऐक्ट की धारा ११६	४५८	३७९	३४३	६५५	५१२
बसों में निर्धारित संख्या से अधिक यात्री					
बैठाना या सामान लादना	५८२	३७७	२५९	३८८	२९७
ट्रकों में निर्धारित संख्या से अधिक यात्री					
बैठाना या अधिक सामान लादना	६४५	६१०	५४७	५३१	९७६

मोटर गाड़ियों के दुर्घटनाओं में प्रस्त होने के फलस्वरूप मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और मोटर गाड़ियों के दुर्घटनाओं में प्रस्त होने की संख्या भी बढ़ी है। इसका एक कारण बड़े शहरों में जनसंख्या बढ़ जाने से शहरों तथा सड़कों पर अत्यधिक भीड़ का बढ़ जाना है। सड़कों अब भी उतनी ही सकरी हैं जितनी पहले थीं और सड़कों पर मोटर गाड़ियों की संख्या काफी बढ़ गई है और प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी अनुपात में ट्रैफिक पुलिस की संख्या नहीं बढ़ी है। ड्राइवर तथा पैदल चलनेवालों को भी सड़कों पर ठीक तरह आने-जाने का ज्ञान नहीं होता। ट्रंक सड़कों के किनारों पर भी बड़ी संख्या में गांव बसे हुए हैं और बच्चे इन सड़कों के बीचोबीच खेलते रहते हैं।

पुलिस की सतर्कता से ऐसे मामलों की संख्या में वृद्धि हुई जिनमें निर्धारित भार से अधिक ले जानेवाली ट्रकों का पता लगाया गया और मुकदमा चलाया गया। बसों पर निर्धारित परिमाण से अधिक भार ले जाने के मामलों में कमी हो रही है।

ट्रैफिक पुलिस की प्रशिक्षा पर आम्ब्ड ट्रेनिंग सेन्टर (सशस्त्र प्रशिक्षा केन्द्र), सीतापुर में पूरा-पूरा ध्यान दिया गया। उनकी प्रशिक्षा के समय उन्हें जोर दे कर यह भी बताया गया कि जनता के प्रति उनका व्यवहार विनम्र परन्तु वृद्ध होना चाहिये। बड़े शहरों में जनसाधारण में, सड़क पर ठीक तरह से आने-जाने या सवारियां लाने-ले-जाने को भावना पैदा करने के लिये उन सड़कों पर, जिनमें बड़ी भीड़ होती है, लाउडस्पीकरों द्वारा नियमित रूप से प्रचार किया गया। इस राज्य के सभी शहरों में उन चौराहों पर, जहां बड़ी संख्या में सवारियां आती-जाती हैं, "ट्रैफिक आइलैंड" बनवाने के प्रयत्न जारी रखे गये। बड़े शहरों में तेजी से और दुस्साहसपूर्वक गाड़ी बौड़ाने के अपराधों को रोकने के लिये "मोबाइल पेट्रोल कारों" की व्यवस्था किये जाने से मोटर दुर्घटनाओं तथा उनके कारण होने वाले हताहतों की संख्या में कमी करने में बड़ी सहायता मिलेगी।

२२--निगरानी (Surveillance)--१९५६ ई० के अन्त में ५७,७९८ व्यक्ति पुलिस की निगरानी में थे, जबकि १९५५ ई० के अन्त में ऐसे व्यक्तियों की संख्या ५६,६७९ थी। इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो पुलिस की निगरानी में हैं, बढ़ गई है और इससे यह स्पष्ट है कि बदमाशों पर पुलिस और भी अधिक निगरानी रखने लगी है। इनमें से २७,४८८ भूतपूर्व सिद्ध-दोष व्यक्ति थे और शेष व्यक्तियों को यद्यपि किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए सिद्ध-दोष नहीं ठहराया गया था, फिर भी उन्हें पुलिस की निगरानी में रखा गया क्योंकि वे कुख्यात थे और उनकी कार्यवाहियों पर सख्त निगरानी रखने की आवश्यकता थी। १९५६ ई० के अन्त में जेल में १०,३३४ व्यक्ति थे और ७,६५० लापता थे। लापता नम्बरी बदमाशों का पता लगाने के लिए गम्भीर प्रयत्न किए गए परन्तु यह पाया गया कि निगरानी से बचने के लिए और भी व्यक्ति लापता होते जा रहे हैं। इस प्रकार लापता नम्बरी बदमाशों की संख्या अब भी बहुत बढ़ी है। अब भी ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें जेलों से छोड़े गए नम्बरी बदमाशों की 'पी० आर० स्लिप्स' उनके छोड़े जाने के पहले पुलिस सुपरिन्टेण्डेंटों को नहीं मिली।

१९५६ ई० के अन्त में 'ए' वर्ग के ४,७९० अपराधी थे और 'बी' वर्ग के ९२८ अपराधी थे, जब कि १९५५ ई० के अन्त में 'ए' वर्ग के ४,७६२ और 'बी' वर्ग के ८४७ अपराधी थे। इस संख्या में कुछ वृद्धि हुई है। फरार अपराधियों का पता लगाने के लिए इस वर्ष विशेष रूप से समय-समय पर आन्दोलन आरम्भ किए गए। साधारणतया फरार अपराधी सुदूर स्थानों के मिलों में नाम बदल कर काम पा जाते हैं।

२३--निरोधात्मक कार्यवाही (Proventive Action)--बंड प्रक्रिया संहिता (Cr. P. C.) की धारा १०९ तथा ११० के अधीन की गई निरोधात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में दिखते तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं:--

वर्ष	बंड प्रक्रिया; संहिता की धारा ११०		बंड प्रक्रिया संहिता की धारा १०९	
	उन व्यक्तियों की सं० जिन्हें न्यायालय भेजा गया	उन व्यक्तियों की सं० जिनसे मचलका लिया गया	उन व्यक्तियों की सं० जिन्हें न्यायालय भेजा गया	उन व्यक्तियों की सं० जिनसे मचलका लिया गया
१९५४	२,२४०	१,३२५	१५,२६२	९,७३५
१९५५	२,९६५	१,७६४	१५,१२९	९,३२५
१९५६	३,२६५	१,९७५	१५,६९०	१०,०२४

बंड प्रक्रिया संहिता (Cr. P. C.) की धारा १०९ के अधीन पर्याप्त कार्यवाही की गई। इस धारा के अधीन १९५६ ई० में अपेक्षाकृत अधिक व्यक्तियों से मचलके लिए गए, स्थानीय पार्टीबन्दी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बदमाशों तथा गुन्डों के खिलाफ गवाही देने में बचने की प्रवृत्ति के कारण बंड प्रक्रिया संहिता (Cr. P. C.) की धारा ११० के अधीन कार्यवाही अधिकाधिक कठिन होती जा रही है। अब उन व्यक्तियों के लिए, जिनके खिलाफ बंड प्रक्रिया संहिता की धारा ११० के अधीन कार्यवाही की जाती है, अपनी सफाई के लिए ऐसे गवाह पहले से अधिक संख्या में पेश करना आसान होता जा रहा है, जो उन्हें सचचरित्र प्रमाणित करते हैं। परन्तु इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रयत्न किए जाते रहे। इसी उद्देश्य से वास्तविक गुन्डों का पता लगाने के लिए

गजटेड अधिकारियों ने सार्वजनिक सभाएं की और उन गुन्डों को बंड प्रक्रिया संहिता की धारा ११० के अधीन न्यायालय में भेजने के लिए जनता का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की। कई मामलों में यह भी पाया गया कि प्रभावशाली लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए बदनामों को शरण दी थी और वे न्यायालयों में इन लोगों के पक्ष-समर्थन के लिए उपस्थित भी हुए थे।

अभ्यस्त अपराधी प्रतिबंध अधिनियम 'Habitual Offenders' (Restriction Act) के अधीन कानपुर, बलिया और मेरठ के जिलों में ७ व्यक्ति न्यायालयों के समक्ष भेजे गए, जिनमें से ४ से मुचलके लिए गए, १ फरार हो गया और २ के विरुद्ध मुकदमे न्यायालय के विचारधीन थे।

भाग ४

२४--जिला कार्यकारी दल (District Executive Force)--की कुल संख्या तथा व्यय--१९५६ ई० के अन्त में अस्थायी कर्मचारीवर्ग को सम्मिलित करके इस दल की कुल संख्या ६०,१२७ थी जब कि १९५५ ई० के अन्त में यह संख्या ५९,५२१ और १९५४ ई० के अन्त में ५७,३४२ थी। इस प्रकार यह विवृत होगा कि इस वर्ष उक्त दल की संख्या में कोई खास बढ़ती नहीं हुई। इसका कुल पूर्वावधारित व्यय ८,६२,१४,९०० रुपये था, जब कि इसकी तुलना में १९५५-५६ में वास्तविक व्यय ८,०७,५७,६८४ रुपये हुआ था। इसमें सरकारी रेलवे पुलिस (गवर्नमेंट रेलवे पुलिस) तथा रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस (रेलवे रक्षा पुलिस) के लिए रेलवे प्रशासन से वसूल किया जाने वाला ३१,३४,५३५ रुपये सम्मिलित हैं। १,१४,३६३ रुपये की एक धनराशि, जो रेलों में बिना टिकट यात्रा रोकने के संबंध में नियुक्त कर्मचारियों तथा रेलवे मैजिस्ट्रेटों पर हुए व्यय की आधी राशि है और १२,३१० रुपये की एक दूसरी धनराशि भी, जो विन्ध्य प्रदेश के क्षेत्र से होकर जाने वाली सेन्ट्रल रेलवे की लाइन पर लगाई गई उत्तर प्रदेश सरकारी रेलवे पुलिस के अपराध पुलिस पर हुआ व्यय है, रेलवे प्रशासन से वसूल की गई।

१९५६-५७ ई० के लिए पूर्वावधारित व्यय ८,६२,१४,९०० रुपये था, जब कि मूल बजट अनुदान ८,१९,९१,००० रु० का था। इस प्रकार ४२,२३,९०० रु० का शुद्ध अतिरिक्त व्यय हुआ। इस अतिरिक्त व्यय के कारण पूरक अनुदानों की मांग करनी पड़ी। इस अतिरिक्त व्यय को रोकने के लिए विशेष प्रयत्न किए गए। चौकीदारों के अस्थायी पद रिक्त होने पर उन्हें नहीं भरा गया और इस प्रकार अस्थायी कर्मचारिवर्ग की संख्या में काफी कमी कर दी गई।

इस प्रकार पुलिस पर कुल व्यय राज्य के कुल राजस्व का ९ प्रतिशत था, यद्यपि लड़ाई के पहले पुलिस पर व्यय राज्य के कुल राजस्व का लगभग १३ प्रतिशत था।

जनसंख्या बढ़ने और अपराधों के बढ़ जाने के बावजूद, जिससे पुलिस का काम भी बढ़ गया है, पुलिस फोर्स की कुल संख्या में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई नहीं देता। हमारे राज्य में प्रति १०,००० जनसंख्या के पीछे लगभग ९ पुलिस के कर्मचारी हैं, जब कि इस देश के कुछ अन्य राज्यों में यह संख्या इससे कहीं अधिक है। इसी प्रकार पर्यवेक्षी कर्मचारीवर्ग (Supervisory Staff) की संख्या भी अपर्याप्त है और उसका अनुपात और भी कम है।

(२) सिविल पुलिस--१९५६ ई० के अन्त में सिविल पुलिस के स्थायी कर्मचारियों की संख्या ३३, ७०८ थी, जब कि १९५५ ई० के अन्त में यह संख्या ३३, ४१५ और १९५४ ई० के अन्त में ३२,९०२ थी।

यह बात पुनः दुहराई जाती है कि बड़े शहरों के थानों में अनुसंधान-कर्मचारिवर्ग को शान्ति तथा व्यवस्था के कर्मचारिवर्ग से पृथक् करने और महत्वपूर्ण शहरी चौकियों में सब-इंस्पेक्टर तैनात करने की योजना बहुत सफल हुई है और उसे स्थायी रूप से चालू करना आवश्यक है। उन शहरों में जहां ये योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं, अनुसंधान करने वाले सब-इंस्पेक्टर अपराध-स्थल पर तुरन्त पहुंच जाते हैं और वे उन मामलों का, जो उन्हें सौंपे जाते हैं, अनुसंधान तथा पंरबी करने में अधिक समय लगा सकते हैं और इससे पहले से अच्छे परिणाम प्राप्त करना संभव हुआ है। इन बातों से भी पुलिस जनता में लोकप्रिय होती है, क्योंकि जनता मामलों की ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना और उनका तत्परता से अनुसंधान किया जाना पसन्द करती है। शान्ति तथा व्यवस्था के सब-इंस्पेक्टर जनता की शिकायतों और कठिनाइयों की ओर तुरन्त ध्यान दे सकते हैं। इस योजना की सफलता को देखते हुए इसे अब अन्य बड़े शहरों में भी कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

सूचना कक्ष (Information Rooms) तथा द्रुतगामी दल (Flying Squads) जहाँ कहीं भी बेखोले गए हैं, ज़रूरतमंद लोगों को शीघ्र सहायता देने में बहुत सफल हुए हैं और उनसे पुलिस तथा जनता के बीच की दूरी एक बड़े हद तक कम हो गई है। जैसे-जैसे धनराशि उपलब्ध होती जाएगी इन्हें अन्य शहरों में भी खोला जाएगा।

अनुसंधान अधिकारियों को अनुसंधान के उन्नत तथा वैज्ञानिक उपायों की प्रशिक्षा देने के लिए अपराध अनुसंधान विभाग के वैज्ञानिक अनुभाग में २ महीने का अल्पकालीन पाठ्यक्रम चालू रखा गया। इस प्रशिक्षा के फलस्वरूप अनुसंधान का स्तर धीरे-धीरे ऊँचा होते जाना चाहिए।

(३) सशस्त्र पुलिस (Armed Police)—१९५६ ई० के अन्त में सशस्त्र पुलिस के स्थायी कर्मचारियों की संख्या ११, ४९५ थी, जब कि १९५५ ई० के अन्त में यह संख्या ११, ५२९ और १९५४ ई० के अन्त में ११, ४०० थी। इस दल के बढ़ते हुए काम को देखते हुए सशस्त्र पुलिस की संख्या अपर्याप्त पायी गई है।

(४) घुड़सवार पुलिस (Mounted Police)—घुड़सवार पुलिस के स्थायी कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार रही—६ सब-इंसपेक्टर, ३२ हेड कांस्टेबुल, और १४६ कांस्टेबुल। कुछ समय से यह संख्या स्थिर रही है। इस वर्ष पुलिस ट्रेनिंग कालेज के लिये एक हेड कांस्टेबुल, घु० पु० का अस्थायी पद स्वीकृत हुआ। १९५६ ई० के अन्त में घोड़ों की संख्या २२५ थी, जिनमें वे घोड़े सम्मिलित हैं, जो पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद में गजेटेड अधिकारियों तथा कंडेक्टों की प्रशिक्षा के लिये थे, जब कि १९५५ ई० के अन्त में यह संख्या २२५ और १९५४ ई० के अन्त में २२० थी।

(५) प्रासीक्यूशन स्टाफ (अभियोजन कर्मचारी)—इस ब्रांच को पुनर्संगठित करने के बाद प्रासीक्यूशन ब्रांच के स्थायी कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है—७ सीनियर पब्लिक प्रासीक्यूटर (७ बड़े जिलों के लिए), ५६ पब्लिक प्रासीक्यूटर और ३१७ असिस्टेंट पब्लिक प्रासीक्यूटर।

(६) फायर सर्विस (अग्निशमन सेवा)—केवल कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद तथा लखनऊ के नगरों में पुलिस फायर सर्विसें काम कर रही थीं। फायर सर्विस में इस वर्ष भी ३ चीफ फायर अफसर, ८ फायर स्टेशन अफसर, ८ फायर स्टेशन सेकेण्ड अफसर, ३० मोटर ट्रान्सपोर्ट ड्राइवर, १९ लीडिंग फायरमैन और १३३ फायरमैन थे।

फायर सर्विस न केवल शहरों में ही बहुत उपयोगी सेवा करता रहा बल्कि बुलाए जाने पर जिले के भीतरी भाग तथा आस-पास के जिलों में जाकर भी सेवाकार्य करता रहा। ८०,००० रु० की राशि तक आग बुझाने की नई सज्जा खरीदने की स्वीकृति सरकार ने दी, जब कि १९५५ ई० में इस प्रयोजन के लिए १,३३,८०० रु० का अनुदान स्वीकृत हुआ था।

सितम्बर, १९५६ ई० में आग बुझाने की प्रशिक्षा देने के लिए फायर स्टेशन, इलाहाबाद में एक फायर ट्रेनिंग स्कूल (अग्निशमन प्रशिक्षा स्कूल) खोला गया। आशा की जाती है कि यह स्कूल फायर सर्विस तथा बाहर वालों के लिए भी, जो आग बुझाने की प्रशिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

२५—अपराध अनुसंधान विभाग—अपराध अनुसंधान विभाग की सभी शाखाएं इस वर्ष अच्छा कार्य करती रहीं।

(१) विशेष शाखा—विशेष शाखा के कार्य संचालन की एक रिपोर्ट सरकार के पास अलग से भेज दी गई है।

(२) अनुसंधान शाखा (Investigation Branch)—वर्ष के दौरान में इस शाखा (ब्रांच) ने सब मिलाकर ३४६ मामलों की जांच की, जब कि १९५५ ई० में यह संख्या ३३७ थी। २१६ मामले पिछले वर्ष से विचाराधीन थे और १३० नये मामले जांच के लिए

आए, जब कि १९५५ में ९६ नए मामले जांच के लिए आए थे। इस वर्ष १९५५ ई० के ९१ की तुलना में ११३ मामलों में अनुसंधान कार्य पूरा किया गया। पिछले वर्ष के १२८ की तुलना में १२७ जांचें पूरी की गईं। इससे यह विदित होगा कि इस ब्रांच में कार्य वर्ष प्रति-वर्ष बढ़ता जा रहा है। परन्तु जांच का कार्य उतनी अच्छी तरह नहीं हो पाया जितनी अच्छी तरह उसे होना चाहिए था, जिसका कारण यह है कि प्रत्येक अनुसंधान अधिकारी के पास इतना अधिक कार्य है कि वह उसे आसानी से नहीं निबटा पाता है।

न्यायालयों में पहले की तुलना में अच्छे परिणाम रहे—प्रथम क्षेत्राधिकार (original jurisdiction) के न्यायालयों में दोषसिद्धि का प्रतिशत ९५ प्रतिशत था, जबकि १९५५ ई० में ७० प्रतिशत और १९५४ ई० में ८८ प्रतिशत था। सेशन न्यायालयों में अपीलों के मामलों में दोषसिद्धि में कुछ कमी हो गई। उनमें सफलता का प्रतिशत ७५ प्रतिशत था, जबकि १९५५ ई० में ८८ प्रतिशत और १९५४ ई० में ५७ प्रतिशत था। हाई कोर्ट में ६३ प्रतिशत मामलों में सफलता हुई जब कि १९५५ ई० में ६२ प्रतिशत और १९५४ ई० में ६० प्रतिशत मामलों में सफलता मिली थी। हाई कोर्ट में विचाराधीन मामलों की संख्या पिछले वर्ष के ३० की तुलना में घटकर २७ हो गई।

पहली फरवरी, १९५६ ई० से 'शिकायत' योजना आरम्भ करने के बाद सेन्ट्रल पुल आफ इंस्पेक्टरों (इंस्पेक्टरों का केन्द्रीय समुच्चय) समप्त कर दिया गया। इस वर्ष २३ मामलों का निबटारा होना बाकी था, जिनमें से १७ में वैभागीक कार्यवाही होनी थी, ४ में अनुसंधान होना था और दो मामलों की न्यायालयों में सुनवाई होनी बाकी थी। ८ मामलों में अभी वैभागीक कार्यवाही होनी है और एक न्यायालय में विचाराधीन है। १० मामलों में वैभागीक कार्यवाही पूरी हो गई और ४ मामले शिकायतों के संबंध में नियुक्त डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेंडेंट के पास भेजे गए।

अनुसंधान शाखा ने सब-इंस्पेक्टरों की अनुसंधान के उन्नत उपायों की प्रशिक्षा देना भी आरम्भ किया। १८ सब-इंस्पेक्टरों को यह प्रशिक्षा दी गई, जिसकी अवधि ६ महीने थी। इस प्रशिक्षा के अतिरिक्त १४३ सब-इंस्पेक्टरों को भी जिला अपराध अभिलेख अनुभागों (District Crime Record Sections) में अभिलेख रखने की प्रशिक्षा दी गई। अनुसंधान शाखा ने पिछले पांच वर्षों में जितनी जांच-पड़तालें कीं, उनका विवरण नीचे दिया गया है :—

वर्ष	नई जांच-पड़ताल	गत वर्ष के विचाराधीन मामले	निर्णीत मामले जो विचाराधीन सूची में पुनः दर्ज हुए	निबटारे के लिये मामले
१९५२	६०	१५३	६९	३१२
१९५३	१२६	२०२	५९	३८७
१९५४	१०३	२२३	२१	३४७
१९५५	६६	२४१	..	३३७
१९५६	११०	२१६	..	३४६

इस वर्ष की गई जांच-पड़तालों के निबटारे का व्यौरा नीचे दिया गया है :—

- | | |
|---|----|
| (१) ऐसे मामले, जिसमें प्रथम क्षेत्राधिकार के न्यायालयों द्वारा बंड दिया गया | १७ |
| (२) ऐसे मामले, जिनमें सेशन तथा हाई कोर्ट में अपील किये जाने पर दंडाज्ञा की पुष्टि हुई | १३ |

(३) ऐसे मामले, जिनमें प्रथम क्षेत्राधिकार के न्यायालयों द्वारा अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया	२
(४) ऐसे मामले, जिनमें सेशन तथा हाईकोर्ट में अपील की जाने पर अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया	७
(५) ऐसे मामले, जिनमें वैभाषिक कार्यवाही करके दंड दिया गया	१७
(६) ऐसे मामले, जिनमें सरकार ने कार्यवाही करना छोड़ दिया	..
(७) ऐसे मामले, जिनमें सरकार ने अन्य कारणों से कार्यवाही करना छोड़ दिया	..
(८) ऐसे मामले, जो अन्य प्रकार से निबटाये गये... ..	७१
(९) ऐसे मामले, जिनकी सुनवाई निम्न न्यायालयों में होनी है	६३
(१०) ऐसे मामले, जिनकी सुनवाई सेशन न्यायालयों में होनी है	३०
(११) सेशन न्यायालयों के विचाराधीन अपीलों की संख्या	१०
(१२) हाईकोर्ट के विचाराधीन अपील तथा पुनरीक्षण "(revisions)"	२७
(१३) अपील के निमित्त प्रार्थना-पत्र, जो सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन हैं... ..	६
(१४) सरकार के विचाराधीन मामले	१२
(१५) ऐसे मामले, जिनका अनुसंधान होना है और जो अन्य अधिकारियों के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजे गये हैं	७१
योग	३४६

इस वर्ष कई महत्वपूर्ण तथा जटिल मामलों के सम्बन्ध में उक्त ब्रांच ने कार्यवाही की। कुछ महत्वपूर्ण मामले, जिनका अनुसंधान किया गया, नीचे दिये गये हैं :—

(१) जनवरी, १९५५ ई० में ड्राइवर की हत्या के बाद एक टेक्सी कार इलाहाबाद में चुराई गई। ड्राइवर का मृत शरीर कुछ समय बाद बरामद किया गया और जब मामला करीब-करीब बिल्कुल ही रुक गया तो उसे अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपा गया। इस विभाग ने लम्बे असे तक अनुसंधान करने के बाद अभियुक्त का पता बिहार राज्य में लगाया और यह मामला न्यायालय के समक्ष भेज दिया गया है।

(२) वाराणसी में बड़े पैमाने पर जाली परिमितों (अनुज्ञाओं) के आधार पर सीमेट तथा लोहे के अपाहरण (misappropriation) की कूटयोजना (racket) का अनुसंधान अपराध अनुसंधान विभाग ने आरम्भ किया और इसके फलस्वरूप ८ अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया जा चुका है।

(३) अंगुली छाप ब्यूरो (Finger Print Bureau) तथा वैज्ञानिक अनुभाग

(क) अंगुली छाप ब्यूरो—इस अनुभाग (Section) का कार्य भी काफी बढ़ गया, जिसका विशेष कारण यह है कि उसे भारत सरकार द्वारा हाल ही में खोले गये केन्द्रीय अंगुली छाप ब्यूरो (Central Finger Print Bureau) में रिकार्ड के लिये अब अन्वेषण पुर्जियां (Search Slips) सप्लाई करनी होती हैं। इस वर्ष १८,१३० अन्वेषण पुर्जियां का निबटारा किया गया, जब कि १९५५ ई० में १७,८७७ पुर्जियों का निबटारा किया गया था।

अंगुली छाप की ऐसी पुर्जियों की कुल संख्या, जो रिकार्ड की गई। १९५५ ई० के २,५८,७४९ से और बढ़कर १९५६ ई० में २,६४,०६४ हो गई।

व्यूरो में विशेषज्ञ सम्मति देने के लिए शुल्क के रूप में २२,८४९ रु० ४ आना (जिसमें ८,७६४ रु० ४ आना, फोटोग्राफी का शुल्क सम्मिलित है) की तुलना में १६,९१४ रु० ७ आ० (जिसमें फोटोग्राफी का शुल्क सम्मिलित नहीं है) कमाया।

कुछ महत्वपूर्ण मामले, जिनमें इस अनुभाग की सहायता से अभियुक्तों का पता चलाया गया, नीचे दिए जाते हैं :—

(१) एक अध्यापिका तथा दो लड़कियों को अभियुक्त ने जहर दे दिया, परन्तु वह मृत अध्यापिका के लोहे के संवूक के ऊपर अपनी हथेली तथा अंगूठे का चिह्न छोड़ गया। उक्त व्यूरो ने अभियुक्त का पता लगाने में अनुबंधान अधिकारी की सहायता की।

(२) रतसड़ इंटर कालेज, बलिया के गबन के मामले में ३३७ चिन्हों की १६ संशयास्पद व्यक्तियों के अंगूठों के चिन्हों से मिलाया गया, और इसके फलस्वरूप ४ अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया। इस मामले में अभियुक्त के विरुद्ध गवाही का मुख्य आधार व्यूरो द्वारा दी गई गवाही थी।

(ख) वैज्ञानिक अनुभाग—इस अनुभाग में अग्नेयास्त्र तथा विविध परीक्षण अनु-भाग (Fire arms and miscellaneous Examinations Sections) संदिग्ध प्रलेख अनुभाग (Questioned Documents Section) तथा फोटोग्राफी अनुभाग सम्मिलित हैं।

अग्नेयास्त्र अनुभाग में अग्नेयास्त्रों की पहचान में संबद्ध २,८८७ प्रदर्श (Exhibits) की परीक्षा की गई, जब कि १९५५ ई० में यह संख्या ३,८३२ थी। कुल मामलों के लगभग ८० प्रतिशत में निश्चित विशेषज्ञ सम्मति दी गई।

कई महत्वपूर्ण मामलों में इस अनुभाग ने उन स्थानों से जहां डकैतियां हुई थीं, बरामद किए हुए शेलों की परीक्षा के बाद उपयोगी सूचना दी। अलीगढ़ तथा मथुरा को पांच विभिन्न डकैतियों से संबद्ध ५८ दागे हुए शेल, जो वर्गीकरण के लिए प्राप्त थे, चार वर्गों में बांटे गए, जिससे पता चलता है कि उन्हें ४ बर्रेलों से दागा गया था। न पांच डकैतियों में से चार डकैतियों के बारे में यह पाया गया कि उनमें एक ही प्रकार की ३ बर्रेलों काम में लड़ी गई थीं। इसके अनतिरिक्त ये चार डकैतियां उन्हीं तीन हथियारों से की हुई पायी गईं जिनकी शिनाख्त पहले अलीगढ़ के एक मामले में हुई थी।

इसी प्रकार मेरठ जिले की एक डकैती के संबंध में उस जिले से प्राप्त हुए १५ दागे हुए शेलों की देखकर इस अनुभाग ने यह निष्कर्ष निकाला कि ये शेल उन्हीं हथियारों से दागे गए थे जो इसके पहिले अलीगढ़ जिले का डकैतियों में काम आ चुके थे। इस प्रकार इस अनुभाग ने विभिन्न जिलों के अनुसंधान अधिकारियों की सहायता उन डकैतियों का वर्गीकरण करने में की जो डकैती के एक ही गिराह द्वारा की गई थी। इसके फलस्वरूप पश्चिमो रेंज अनुसंधान कार्य में समन्वय स्थापित हुआ और यह गिराह खत्म कर दिया गया।

(ग) संदिग्ध प्रलेख अनुभाग—१९५५ ई० के ४०२ की तुलना में ४३१ मामले सम्मति के लिए आए। १९५५ ई० के ४,३७० की तुलना में ४,६७० प्रदर्शों की परीक्षा की गई। १९५५ ई० के ४४ की तुलना में ३२ सिविल मामले परीक्षा किए बिना लौटा दिए गए। इन आंकड़ों से पता चलता है कि इस अनुभाग का कार्य धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

(घ) फोटोग्राफी अनुभाग—इस वर्ष कुल १९,६२८ फोटोग्राफ तैयार किए गए, जब कि १९५५ ई० में १८,४८२ फोटोग्राफ तैयार हुए थे। १२६ घटनास्थलों की फोटो ली गई, जब कि १९५५ ई० में ३३ घटनास्थलों की फोटो ली गई थी। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि इस बांच के कार्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है और

इसलिए इस ब्रान्च का और विस्तार करने की आवश्यकता है जिससे कि इस अनुभाग द्वारा दी गई सुविधाएं अनुसंधान अधिकारियों को अपेक्षाकृत अधिक मामलों में उपलब्ध कराई जा सकें।

वैज्ञानिक अनुभाग अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त राज्य के विभिन्न जिलों को विभिन्न प्रदर्शनियों में पुलिस स्टाल लगाता रहा इन्हें देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में आए और उन्होंने उन स्टालों की बड़ी तारीफ की।

(ड) प्रशिक्षण अनुभाग (Training Section)—१९५६ ई० में १०३ सब-इंस्पेक्टरों को अनुसंधान करने के उन्नत उपायों (Advanced Methods) तथा वैज्ञानिक अवलम्बों (Scientific Aids) की प्रशिक्षण दी गई जब कि १९५५ ई० में ९९ सब-इंस्पेक्टरों को इस प्रकार की प्रशिक्षण दी गई थी। १६ सब-इंस्पेक्टरों को फोटोग्राफी की भी प्रशिक्षण दी गई।

२४ हेड कांस्टेबलों को भी पुलिस फोटोग्राफी कोर्स की प्रशिक्षण दी गई। विशेष शाखा के २ अधिकारियों तथा सिपाहियों को फोटोग्राफी की प्रशिक्षण दी गई।

(४) राज्य अपराध सूचना (क्राइम इन्फार्मेशन) ब्यूरो तथा जिला अपराध अभिलेख अनुभाग (District Crime Record Section)—राज्य अपराध सूचना ब्यूरो, जो अपराध अनुसंधान विभाग के मुख्यालय में स्थित है, इस राज्य के विभिन्न जिला अपराध अभिलेख अनुभागों में और उत्तर प्रदेश तथा बाहरी राज्यों के बीच भी समन्वय स्थापित करता रहा। यह ब्यूरो महत्वपूर्ण मामलों के अनुसंधान के संबंध में विभिन्न जिलों को उपयोगी सूचना देता रहा है। इस ब्यूरो ने धोखा देने, जहर देने तथा अन्य संगठित अपराधों के विषयों पर जो अपराध सूचनांक पंजियां (Crime Index Registers) रक्खी थी, उनसे भी अन्तर-राज्य तथा अन्तर-जिला दोनों अस्तरों पर अपराध के अनुसंधान कार्य में समन्वय स्थापित करने में बड़ी सफलता मिली। उसने विभिन्न अपराधों के संबंध में ५२ टिप्पणियां भेजीं, जब कि १९५५ ई० में यह संख्या ६८ थी। संपत्ति संबंधी १२ मामलों में सुराग मिल गया। अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त राज्य अपराध सूचना ब्यूरो, सब-इंस्पेक्टरों को जिला अपराध अभिलेख अनुभागों के कार्य की प्रशिक्षण देने के लिए एक अल्पकालीन पाठ्यक्रम भी चला रहा है। इस वर्ष २०३ सब-इंस्पेक्टरों को यह प्रशिक्षण दी गई।

प्रत्येक जिले में स्थापित जिला अपराध अभिलेख अनुभाग उपयोगी सूचना इकट्ठा करके राज्य अपराध सूचना ब्यूरो को देता रहा।

२६--सरकारी रेलवे पुलिस--वास्तव में हस्तक्षेप मामलों की कुल संख्या १९५५ ई० के ४,०७८ से घटकर १९५६ ई० में ३,७५९ हो गई। पिछले तीन वर्षों में हुए कुछ गंभीर अपराधों का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया जाता है :—

अपराध का शीर्षक	१९५४	१९५५	१९५६
डकैती	४	६	२
राहजनों	१९	१७	२४
हत्या	६	८	४
जहर देना	३६	१६	१६
संदोष मानवहत्या (Culpable Homicide)	०	२	२

उकंतियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी हुई और वर्ष के दो मामलों का सफलतापूर्वक पता चला लिया गया और अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया। राहजनी की संख्या में कुछ वृद्धि हुई, परन्तु ७ मामलों का सफलतापूर्वक पता चला लिया गया और न्याया-लया में मुकदमा चलाया गया।

समस्त शीर्षकों के अंतर्गत चुराई गई संपत्ति का कुल मूल्य ७,४८,५८९ रु० था और बरामद की गई सम्पत्ति का कुल मूल्य १,०५,४९७ रु० था, जब कि इसकी तुलना में १९५५ ई० में १०,७७,००७ रु० की संपत्ति चुराई गई थी, और २,०१,५९० रु० की संपत्ति बरामद हुई थी। इस प्रकार १९५६ ई० में चुराई गई संपत्ति का १३.४ प्रतिशत बरामद कर लिया गया, जब कि १९५५ ई० में १८.७ प्रतिशत संपत्ति बरामद हुई थी। १९५५ तथा १९५६ ई० में की गई सभी किस्म की चोरियों का तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

चोरी की किस्म	१९५५	१९५६	अन्तर
चलती हुई मालगाड़ी से	५६	५८	+२
चलती हुई सवारी गाड़ी (पैसेंजर गाड़ी से)	५०१	४६१	--२०
पैसेंजर हाल तथा प्लेटफार्मों से	८५९	७६८	--९१
याईस तथा गुड शेड्स से	५२४	५१०	--१४
विविध	१८३	७६१	--२०२
योग ...	२,९२०	२,५९८	--३२५

इस प्रकार यह विदित होगा कि सभी शीर्षकों के अन्तर्गत चोरियों की संख्या में, विशेष कर प्लेटफार्मों तथा पैसेंजर हालों में होने वाली चोरियां जी संख्या में काफी कमी हुई हैं।

दुर्घटनाएं—इस वर्ष ८ दुर्घटनाएं हुईं जिनके फलस्वरूप कुल ७ आदमी घायल हुए। आत्म-हत्या तथा आत्महत्या के प्रयत्न के मामलों की संख्या १९५५ ई० के २२ से बढ़कर १९५६ ई० में २३४ हो गई। मारे गये या घायल हुए रेल कर्मचारियों की संख्या १९५५ ई० के ८८ से बढ़कर १९५६ ई० में १०६ हो गई। रेलगाड़ियों की दुर्घटनाओं के अलावा अन्य दुर्घटनाओं से १,१७४ मृत्युएं हुईं और ४६१ मामलों में लोग घायल हुए।

वर्ष के दौरान में सरकार की रेलवे पुलिस को आदेश दिया गया कि वह फतेहगढ़, गोरखपुर बस्ती और वाराणसी में बुद्ध जयन्ती के सिलसिले में अपना कार्य पूरा करे। उसने हरद्वार के अर्द्ध कुम्भ मेले में अपने कर्तव्य का निर्वाह बहुत ही अच्छी तरह किया। वहां उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जितने अपराध हुए उनकी संख्या आज तक दर्ज की गई अपराधों की संख्याओं में सबसे कम थी।

रेलवे रक्षा पुलिस (Railway Protection Police)—रेलवे रक्षा पुलिस का कार्य अच्छा रहा। इस दल का अधिकतर मालगाड़ियों की मार्ग रक्षा करने तथा प्रभावित यादों में गश्त लगाने के काम में लगाया गया। चलती मालगाड़ियों तथा यादों में चोरियों की कमी से इस दल के अच्छे कार्य का पता चलता है। यह दल अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ने और बहुत से मामलों में संपत्ति बरामद करने में भी सफल रहा।

बिना टिकट यात्रा रोकने के काम में ८ सब-इंस्पेक्टरों, ४५ हेड कांस्टेबलों तथा २७१ कांस्टेबलों का एक दल इस वर्ष भी लगाया गया। इन कर्मचारियों द्वारा लगातार जांच किए जाने तथा चौकसी रखे जाने से बिना टिकट यात्रा करने के मामले १९५५ ई०

के १४,५७१ से कम होकर १९५६ ई० में १२,०५४ हो गए। उत्तर पूर्वी रेलवे को धोखा देकर उससे रूपा लेने के एक संगठित षड़यन्त्र का पता इस दल ने लगया।

२७--प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी--इस वर्ष के प्रारम्भ में प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी की कुल ६० कम्पनियाँ थीं, जिन्हें १० बटैलियनों में विभाजित करके विभिन्न केन्द्रों में रखा गया था। परन्तु केवल ५० कम्पनियाँ स्थायी थीं। इनमें से राज्य के भीतर कार्य के लिए केवल ५४ कम्पनियाँ उपलब्ध थीं। १२ और अस्थायी कम्पनियाँ बनाई गईं। इन कम्पनियों के सेविवर्ग (Personnel) ने अपनी प्रशिक्षा पूरी कर ली है और वह अब ड्यूटी देने के लिए उपलब्ध हैं।

इस राज्य में प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी के दल को बड़े पैमाने पर विभिन्न कार्यों पर लगाया गया और सभी अमरों पर उसका कार्य अच्छा रहा।

ज्वाइंट आपरेशनल कमान्ड (संयुक्त संकाय समावेश) के अधीन मध्यभारत, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सीमा पर प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी की जो कम्पनियाँ ड्यूटी पर लगाई गई थीं, उन्हें उक्त कमान्ड के समाप्त होने पर वापस बुला लिया गया। परन्तु कुछ कम्पनियाँ अभी इस राज्य के भीतर उक्त सीमा पर डकैती रोकने के कार्य पर लगी हुई हैं। इस वर्ष रूपा के गिरोह से इस दल की जो मुठभेड़ हुई उनमें उसे विशेष सफलतायें प्राप्त हुई।

प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी की टुकड़ियों की राज्य के अन्य भागों में भी कुख्यात डाकुओं से सकल मुठभेड़ें हुईं। खुरजा के जहांगिरी कुम्हार, नंपाल के जेल से निकल भागे हुए कंदी तथा गोरखपुर के कुख्यात डाकू खुदौर अहीर, मेरठ के शिवराज गूजर, बुलन्दशहर के जहान सिंह और बुलन्दशहर के भित्तारी के गिरोहों से हुई मुठभेड़ें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बम्बई शहर में बड़े पैमाने पर हुए दंगों के संबंध में स्पेशल ड्यूटी के तिन प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी की ५ कम्पनियों की अत्यन्त अल्पकाल-सूचना पर बम्बई भेजना पड़ा। बम्बई में इस दल के कार्य, उसकी फुर्ती, मनोबल और अनुशासन की अत्यन्त प्रशंसा हुई।

जिला कार्यकारी दल में भर्ती हुए सिपाहियों को वर्ष के पहले छः महीनों में प्रशिक्षा देना प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी की जिम्मेदारी थी। प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी द्वारा इन सिपाहियों को दी गई प्रशिक्षा का प्रतिमान निश्चित रूप से उच्च कोटि का था।

श्रमदान द्वारा यूनिटों में इमारतों का निर्माण तथा मरम्मत करके प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी ने बड़ा उपयोगी तथा लाभदायक कार्य किया।

२८--राज्य रेडियो अनुभाग--राज्य रेडियो अनुभाग प्रशंसनीय कार्य करता रहा वर्ष के दौरान में इस अनुभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हरद्वार के अर्थ कुम्भ मेले में रेडियो स्टेशन, वाकी-टाकी सेट तथा फील्ड टेलीफोन लगाना तथा उन्हें चलाना था। जोशीभट का स्टेशन, डाक तथा तार विभाग के लिए अक्टूबर के महीने में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ, जब अत्यधिक हिमपात के कारण डाक तथा तार विभाग की लाइनें टूट गई थीं।

इस वर्ष उक्त अनुभाग का और भी विस्तार हुआ, यद्यपि लाइसेन्सों की कुल संख्या १६,५५६० को तरह १५३ रही इस वर्ष सभी लाइसेन्सों का उपयोग एक साथ अस्थायी स्टेशन खोलने के लिए करना पड़ा। इस प्रकार अस्थायी स्टेशनों को शामिल करके रेडियो स्टेशनों की कुल संख्या १५३ थी, जब कि पिछले वर्ष यह १३७ था।

इस वर्ष कुल ३,९४,६०७ रेडियोग्राम भेजे गये, जब कि १९५५ ई० में ४,३८,७५२ और १९५४ ई० में ३,३५,३३० रेडियोग्राम भेजे गए थे, इस वर्ष भेजे गए संदेशों की संख्या में कमी का कारण यह था कि मध्यभारत-राजस्थान-उत्तर प्रदेश की सीमा पर रोकने की संयुक्त कार्यवाहियाँ बन्द कर दी गई थीं और संदेशों की जांच पहले की तुलना में अधिक मज्दगी से की जाने लगी थी।

इस वर्ष उक्त अनुभाग की सबसे बड़ी सफलता "डिस्ट्रिक्ट्स" संगठन से नाममात्र की कीमत पर बड़े परिमाण में खरीदी गई वस्तुओं की प्राप्ति करना था। इन्हें खरीदने की लिये धन की व्यवस्था इस अनुभाग ने अपने हाँ बचत से की।

इस अनुभाग से संलग्न ट्रेनिंग स्कूल में कई पाठ्यक्रम चलाए गए और उस पर अत्यधिक कार्यभार रहा। इस वर्ष उत्तर प्रदेश के अप्रेंटिसों (शिक्षियों) के २ स्क्वाडों और हिमाचल प्रदेश के एक स्क्वाड ने प्रशिक्षण प्राप्त की। इस स्कूल में पश्चिमी रेंज के कांस्टेबलों के एक स्क्वाड तथा एक अग्निफाइंग स्क्वाड का भी प्रशिक्षण दो गई। ५० अप्रेंटिसों की प्रशिक्षण भी, जो पिछले वर्ष के अन्त में प्रारम्भिक प्रशिक्षण पा रहे थे, इस वर्ष पूरी हो गई। इस अनुभाग के एक रेडियो स्टेशन अफसर तथा एक हेड आपरेटर, डाइरेक्टोरेट आफ कोऑर्डिनेशन, यानी पुलिस वायरलेस, नई, दिल्ली, के रिफ्रेशर कोर्स (अभिनवन पाठ्यक्रम) में सम्मिलित हुए और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। दो हेड आपरेटरों ने डाक तथा तार विभाग में स्विच बोर्ड तथा इन्स्ट्रुमेंट मैकेनिक के काम की प्रशिक्षण प्राप्त की।

२९--मोटर परिवहन अनुभाग--पुलिस मोटर परिवहन की ६६१ गाड़ियाँ थीं, जिनमें से कम से कम १०० गाड़ियाँ चल नहीं रही थीं क्योंकि उनकी सफाई तथा उनमें काफी अधिक मरम्मत होनी थी।

सीतापुर के पुलिस मोटर परिवहन निर्माणशाला ने १०६ गाड़ियों की मरम्मत की। इस वर्ष इस निर्माणशाला में ८१ कंस्टेबलों तथा हेड कंस्टेबल को मोटर ड्राइवरों के रूप में प्रशिक्षित किया गया। ३६ कांस्टेबल तथा हेड कंस्टेबल मोटर ड्राइवरों ने इस निर्माणशाला में मैकेनिक कोर्स पूरा किया, जिनमें से केवल २४ उत्तीर्ण हुए। इस कोर्स का स्तर काफी ऊँचा है, जो उसमें उत्तीर्ण न हो सकने वाली व्यक्तियों की संख्या से स्पष्ट हो जायगा। इस वर्ष १४ कांस्टेबलों, ड्राइवरों ने हेड कांस्टेबल एम० टी०, के पद पर पदोन्नति का पाठ्यक्रम भी पूरा किया।

३०--ग्राम पुलिस (ग्राम चौकीदार)--१९५६ ई० के अन्त में ग्राम चौकीदारों की कुल संख्या ८७,९७१ थी, जब कि १९५५ ई० के अन्त में यह संख्या ४६,२७८ थी। ४५,५६९ स्थायी थे और २,४०२ अस्थायी जब कि १९५५ ई० में ४५,७१३ स्थायी थे और ३,५६५ अस्थायी। अस्थायी ग्राम चौकीदारों की संख्या धीरे-धीरे कम की जा रही है। इस वर्ष ३७,७०७ चौकीदारों को पारितोषिक दिए गए और पारितोषिक के रूप में ६८,८६० रु० दिया गया; जब कि १९५५ ई० में उनको ९८,१२८ रु० दिया गया था।

इस वर्ष ग्राम चौकीदारों के स्थान पर और अधिक गश्ती कांस्टेबल नहीं रक्खे गए और ३३ गश्ती कांस्टेबल, जो अक्टूबर १९५५ ई० में पुलिस सिकिल बाघराय, जिला प्रतापगढ़, और पुलिस सिकिल सिकन्दरबाद, जिला बुलन्दशहर, में १५१ ग्राम चौकीदारों के स्थान पर रक्खे गए थे, अस्थायी रूप से बने रहे।

३१--बलक--जिला पुलिस कार्यालयों पर कार्य का अत्यधिक भार रहा, क्योंकि काम काफी बढ़ गया है। जिला कार्यकारी दल के साक्षर कांस्टेबलों को समस्त कार्यालयों में, बलकों को उनके काम में सहायता करने के लिए, भेजना पड़ा।

३२--भर्ती--इस वर्ष सब मिलाकर १४ गजटेट अफसर (डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेंडेंट भर्ती किए गए) इस वर्ष भर्ती किये गये सब-इंस्पेक्टरों तथा असिस्टेंट पब्लिक प्रासीक्यूटर्स की संख्या क्रमशः ११२ और ८ थी। इस वर्ष ४,१२२ कांस्टेबल भी भर्ती किए गए।

पहले की तरह कांस्टेबलों की भर्ती में काफी कठिनाई का अनुभव हुआ। अपेक्षित शैक्षिक योग्यताओं के उम्मीदवार तो उपलब्ध थे, परन्तु अपेक्षित शारीरिक प्रतिमान के आदमी मिलना कठिन था।

३३—प्रशिक्षा—

(१) पुलिस ट्रेनिंग कालेज— वर्ष के प्रारम्भ में १९ गजटेड अफसर पुलिस ट्रेनिंग कालेज में प्रशिक्षा प्राप्त कर रहे थे, जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

(१) आई० पी० एस० अफसर	८
(२) उत्तर प्रदेश के डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेण्डेंट	३
(३) मध्य भारत के एस० ए० एफ० अफसर	८

उपयुक्त सभी अफसर (अधिकारी) इस वर्ष अपनी प्रशिक्षा समाप्त करने के बाद जिलों में तैनात किए गए।

इस राज्य के १४ डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेण्डेंट और काश्मीर का १ गजटेड अफसर इस वर्ष कालेज में प्रशिक्षा के लिए दाखिल हुए। २ डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेण्डेंट, जो बाद में आई० पी० एस० के लिए चुने गये, सेन्ट्रल पुलिस ट्रेनिंग कालेज, माउन्ट आबू, को स्थानान्तरित कर दिए गये। इस वर्ष पदोन्नति पाए हुए डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेण्डेंटों के लिए भी एक अभिनवन पाठ्यक्रम (रेफ्रेशर कोर्स) इस कालेज में चलाया गया और उसमें उत्तर प्रदेश के ८ डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेण्डेंट, एस० ए० एफ०, मध्य भारत के २ अफसर और प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी के ४ अफसर सम्मिलित हुए, यह अभिनवन पाठ्यक्रम इन अफसरों के लिए कार्गः उपयोगी सिद्ध हुआ।

सिविल पुलिस सब-इंस्पेक्टर कोर्स के १९५६ ई० के बंच में कुल ११३ कैंडेट थे, जिनमें ७३ पब्लिक कैंडेट, ३० रैंकर कैंडेट और अन्य राज्यों के १० कैंडेट थे। इन कैंडेटों में से ६ को “जेड” कैंडेट घोषित किया गया और १०९ कैंडेट अन्तिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए।

१९५६ ई० के असिस्टेंट पब्लिक प्रासीक्यूटर कैंडेट्स कोर्स के लिए चुने गए २५ उम्मीदवारों ने कालेज में प्रशिक्षा प्राप्त की और उनमें से सभी उत्तीर्ण हुए।

इस वर्ष असिस्टेंट पब्लिक प्रासीक्यूटर का ३ महीने की अवधि का एक अभिनवन पाठ्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसमें एक असिस्टेंट पब्लिक प्रासीक्यूटर सम्मिलित हुआ।

१९५५ ई० में जो २३ वां हेड कांस्टेबुल सिविल पुलिस कोर्स आरम्भ हुआ था, उस में इस वर्ष २०० कैंडेटों ने अपनी प्रशिक्षा पूरी की। ४ कैंडेटों को “वाई” कैंडेट घोषित किया गया और १९६ उत्तीर्ण हुए। २४ वां हेड कांस्टेबुल सिविल पुलिस कोर्स, जिसमें २११ कैंडेट प्रशिक्षा पा रहे थे, वर्ष के अन्त में चल रहा था।

घुड़सवार पुलिस के ६ सिपाहियों को इस कालेज में ४ महीने तक प्रशिक्षा दी गई। वे सब उक्त पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हुए।

सेवा-निवृत्त तथा सेवारत दोनों प्रकार के कई सीनियर पुलिस अफसरों, अन्य विभागों के अफसरों और बाहर के प्रमुख व्यक्तियों को प्रशिक्षार्थियों के समक्ष व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया और ये व्याख्यान प्रशिक्षार्थियों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए।

प्रशिक्षा पाने वाले सभी कैंडेटों ने पाठचर्चा के अतिरिक्त अन्य कार्य गृहियों और श्रमदान तथा समाज सेवा में भी भाग लिया।

(२) आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर (सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षा केन्द्र)—इस वर्ष रिजर्व इंस्पेक्टर, प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी के प्लेटून कमान्डर्स, हेड कांस्टेबुल्स, डिप्टी इंस्पेक्टर, पी० टी० इंस्पेक्टर, ग्रेडो आर्डरलीज, ग्रेडो सब-इंस्पेक्टर, विगल्स, पाइपर्स और ड्रमर्स के लिए १९ प्रमोशन, स्पेशिएलाइज्ड और रेफ्रेशर कोर्स चालू किए गए। कुल ४९१ प्रशिक्षार्थियों ने इनमें से एक न एक कोर्स पूरा किया।

(३) रेंज ट्रेनिंग सेन्टर (रेंज प्रशिक्षण केन्द्र) — जिला अधिकारी दल के सिपाहियों के लिए, जो पुराने रेंज ट्रेनिंग सेन्टर थे, उन्हें जुलाई, १९५६ ई० से पुनर्जीवित किया गया और उन्होंने सिपाहियों को प्रशिक्षित करने का कार्य आरम्भ कर दिया, क्योंकि प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबलरी की बटेलियनों अपने ही सिपाहियों को प्रशिक्षित करने में अत्यधिक व्यस्त थीं। कुल ७२५ सिपाही प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबलरी की बटेलियनों में तथा १,२५२ सिपाही जिला कार्यकारी दल के नये रेंज ट्रेनिंग सेन्टरों में प्रशिक्षित किए गए।

(४) शिक्षा — इस फोर्स (दल) के निरक्षर सदस्यों को शिक्षित करने के लिए पूरे-पूरे प्रयत्न किए जाते रहे और वर्ष के अन्त में १,५७५ निरक्षर व्यक्ति थे, जब कि १९५५ ई० के अन्त में यह संख्या २,४८० थी। अब इस फोर्स में कोई निरक्षर व्यक्ति भर्ती नहीं किया जाता।

(५) जन-सेवक — जन-सेवक के अच्छे कार्य तथा उसकी लोकप्रियता का अनुभान इस वर्ष उसके ग्राहकों की बड़ी संख्या में हुई वृद्धि से लगाया जा सकता है। विभिन्न जिलों की विभिन्न ग्राम रक्षा समितियों ने भी बड़ी संख्या में उसकी प्रतियां खरीदीं। साधारण रूप से निकलने वाले ४ अंकों के बजाय इस वर्ष दो ही अंक प्रकाशित हुए, क्योंकि जिस प्रेस में यह पत्रिका छपती है, वह इस कार्य को पूरा न कर सका।

(क) जनता से सहयोग — पुलिस और जनता के बीच संबंध सुधारने के लिए इस वर्ष भी प्रयत्न जारी रखे गए। कई टैंटूज का आयोजन किया गया, ताकि जनता को यह मालूम हो सके कि पुलिस की विभिन्न शाखाओं को किस प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, और उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये रैलियां बहुत सफल हुईं और उनकी जनसाधारण ने बड़ी प्रशंसा की। पुलिस सुपरिन्टेंडेंटों ने पुलिस प्रशासन से संबंध मामलों पर विचार विमर्श करने के निमित्त विधान मंडल के सदस्यों, प्रेस प्रतिनिधियों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित करके समय समय पर बैठकें कीं। ये बैठकें बड़ी उपयोगी सिद्ध हुईं। ग्रामीण जनता से निकट संपर्क बनाए रखने के उद्देश्य से ग्राम रक्षा समितियों और राइफल क्लबों के कार्य की गति तेज कर दी गई। जिलों के भीतरी भागों में सभाओं में पुलिस सुपरिन्टेंडेंटों, पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (उप-प्रधान पुलिस निरीक्षक) और पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल (प्रधान पुलिस निरीक्षक) ने भाषण देते हुए जनता से निवेदन किया कि वह गुंडों तथा अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करने में सहयोग दे। विभिन्न ट्रेनिंग सेन्टरों में, जिसमें पुलिस ट्रेनिंग कालेज सम्मिलित है, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों को भी जनता से अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने के लाभ समझाए गए और उनकी प्रशिक्षण के दौरान में उनमें जनसेवा की भावना उत्पन्न करने पर बड़ा जोर दिया गया क्योंकि केवल इसी से जनता तथा पुलिस के बीच की खाई पाटी जा सकती है।

३४—अनुशासन—गत तीन वर्षों में की गई आनुशासक कार्यवाही के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गये हैं:—

बंड का स्वरूप	१९५४		१९५५		१९५६	
	अधीनस्थ अधिकारी	पुलिस के सिपाही	अधीनस्थ अधिकारी	पुलिस के सिपाही	अधीनस्थ अधिकारी	पुलिस के सिपाही
३ (१) बर्खास्तगी ...	२३	४०६	२०	३८५	२०	३१८
घो. (२) बर्खास्तगी को छोड़कर	१५७	८९१	१८०	६३९	१३८	६५०
रोगों १ अन्य वैभागिक बंड						

बंड का स्वरूप	१९५४		१९५५		१९५६	
	अधीनस्थ अधिकारी	पुलिस के सिपाही	अधीनस्थ अधिकारी	पुलिस के सिपाही	अधीनस्थ अधिकारी	पुलिस के सिपाही

न्यायालयों द्वारा बंडित—

(१) पुलिस और पी० ए० सी० ऐक्ट के अधीन	१	३१	१	२५	३	२२
(२) इंडियन पेनल कोड की धारा ३३०/३३१/३४८ के अधीन	१	१	५	५	..	१
(३) इंडियन पेनल कोड के अध्याय ९ के अधीन	१	२	..	१	१	२५
(४) अन्य अपराधों के अंतर्गत	२	२६	११	२९	..	२५

भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए विशेष प्रयत्न वर्ष भर जारी रखे गए। बेईमानी बलात्-ग्रहण और अयोग्यता की सभी शिकायतों की जांच तत्परता से की गई और अपराधियों को शिक्षात्मक बंड दिए गए। भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण नीचे दिया गया है :-

क्र० सं०	जो कार्यवाही की गई उसका वर्गीकरण	गजटेटेड अफसर	नॉन-गजटेटेड अफसर	क्लर्क
----------	----------------------------------	--------------	------------------	--------

१—न्यायालयों में चलाए गए मुकदमे—

(१) ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्हें बंड दिया गया	..	..	५	..
(२) ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें दोषमुक्त किया गया	..	..	२०	१
(३) न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे	...	...	२९	...

२—वैभागिक कार्यवाही—

(१) ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें बर्खास्त किया गया या नौकरी से हटाया गया	...	११०	...
(२) ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिन्होंने त्यागपत्र दिया	...	...	...
(३) ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें अन्य प्रकार से बंड दिया गया	...	१९९	१
(४) ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें वैभागिक कार्यवाही में दोषमुक्त कर दिया गया	...	३१	...
(५) ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिनके विरुद्ध वर्ष के अन्त में वैभागिक कार्यवाही होनी शेष थी	१	१००	

२--त्यागत्र देा तथा नौकरी छोड़कर भाग जाना--इस वर्ष विभिन्न श्रेणियों के ३०८ व्यक्तियों ने नौकरी से त्यागत्र दिया और १९ आदमी नौकरी छोड़कर भाग गए, जब कि १९५५ ई० में ये संख्यायें क्रमातः ३०६ और २२ थीं ।

३--पारितोषिक--सशस्त्र पुलिस के २,९१४ नान गजटेड अधिकारियों तथा सिपाहियों, सिविल पुलिस के १५,२६४ नान गजटेड अधिकारियों तथा सिपाहियों और पुलिसार पुलिस के १४ कर्मचारियों को क्रमशः १९,३५२ रु०, १,४०,१८० रु० और १९३ रु० के पारितोषिक दिये गए ।

४--मेडल इत्यादि--इस वर्ष निम्नांकित अधिकारियों तथा सिपाहियों को मेडल तथा विभूषण (decoration) प्रदान किये गए :-

१--विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि सेवा मेडल--
(President of Police and Fire Services Medal)--

(१) श्री एम० एस० माथुर, आई० पी०, पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल, (प्रधान पुलिस निरीक्षक) ।

(२) श्री जी० के० हन्डू, आई० पी० ।

(३) श्री डी० पी० कोहली, आई० पी० ।

२--विशिष्ट सेवाओं के लिए पुलिस मेडल--

(१) श्री डब्लू० ए० सी० पीयर्स, आई० पी०, पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (उप प्रधान पुलिस निरीक्षक), मुख्यालय ।

(२) ए० के० दास, आई० पी०, पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट (पुलिस अधीक्षक) ।

(३) निहाल सिंह, डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट ।

(४) श्री दाल चन्द्र, सब-इंस्पेक्टर, सशस्त्र पुलिस ।

(५) श्री जहान सिंह, सीनियर पब्लिक प्रासीक्यूटर ।

(६) श्री ए० एस० गुप्ता, आई० पी० ।

(७) श्री अंजनी बीर प्रसाद, आई० पी० एस० ।

३--वीरता के लिए पुलिस मेडल--(१) श्री डी० पी० वर्मा, आई० पी० एस०, पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट ।

(२) श्री प्रीतम सिंह, सर्किल इंस्पेक्टर ।

५--हताहत--अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल और एक चौकीदार मारे गए । एक डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट, एक इंस्पेक्टर, ७ सब-इंस्पेक्टर, ३ हेड कांस्टेबल, २५ कांस्टेबल और १ ग्राम चौकीदार भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए घायल हुए ।

३५--रूपायणकारी कार्य--(१) स्वास्थ्य--२६,१७४ अधीनस्थ अधिकारियों तथा सिपाहियों को अन्तरींग-चिकित्सा के लिए अस्पतालों में दाखिल किया गया, जब कि १९५५ ई० में यह संख्या १४,१६४ थी । इस प्रकार बीमार-पड़ने तथा अस्पतालों में दाखिल होने वाले अधीनस्थ अधिकारियों तथा सिपाहियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई ।

इस वर्ष ५२,५४९ अधीनस्थ अधिकारियों तथा सिपाहियों की डाक्टरों की परीक्षा हुई । इनमें से ४८,१७१ स्वस्थ निकले तथा ९६ और आगे नौकरी करने के लिए अयोग्य घोषित किए गए । डाक्टरों की परीक्षा के फलस्वरूप ४,२८२ अधीनस्थ अधिकारियों तथा सिपाहियों के बारे में यह सिफारिश की गई कि वे अपनी चिकित्सा कराएं । दांत के रोगों के लिए २६ अधीनस्थ अधिकारियों तथा सिपाहियों की आंखों की बीमारियों

के लिए १,३४९, हाइड्रोसील तथा वेरीकोसील के रोगों के लिए १,३२५, क्षयरोग के लिए १५८ और अन्य विभिन्न रोगों के लिए १,४२४ अधीनस्थ अधिकारियों तथा सिपाहियों की चिकित्सा की गई ।

(२) मेसों का प्रबन्ध (Messing)—पुलिस मेसों में अच्छे तथा पोष्टिक भोजन की सस्ते दामों पर व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न किए जाते रहे । पुलिस लाइनों तथा यूनिटों के तरकारियों के बागों से लाइन तथा यूनिट मेसों को तरकारियां बाजार भावों से सस्ते भावों पर दी जाती रहीं । इन बागों के लिए मजदूरों की व्यवस्था स्वयं अधीनस्थ अधिकारियों तथा सिपाहियों द्वारा स्वेच्छिक आधार पर की जाती है । इसलिए मेसों का व्यय लगभग १५ रु० प्रति महीना था । गजटेड अधिकारी तरकारियों के बागों और लाइनों तथा यूनिटों के मेसों में विशेष रुचि लेते रहे ।

(३) छुट्टी—सिपाहियों तथा अधिकारियों को पर्याप्त छुट्टी दी गई ।

(४) निवास-स्थान—१९५६-५७ ई० में पुलिस की इमारतों के लिए निम्नलिखित धनराशियां स्वीकृत हुईं—

(क) बड़े निर्माण कार्य—सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट में अनुदान संख्या ३० (व्यय जिसकी पूर्ति राजस्व से की गई) में शीर्षक “५० नागरिक निर्माण-कार्य” के अन्तर्गत—

“कुछ नहीं”

(२) सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट में अनुदान संख्या ४६ (राजस्व लेख के बाहर) में शीर्षक “६१ नागरिक निर्माण-कार्य” के अन्तर्गत—

(१) बड़े निर्माण-कार्यों की नई मदें

मूल {	२,६८,००० रु०	निर्माण-कार्य के लिये
बजट {	८,३४,६१९ रु०	भूमि खरीदने के लिये
पूरक {	१०,९९,५०० रु०	निर्माण-कार्य के लिये
बजट {	३,१५,००० रु०	भूमि खरीदने के लिये

* इसमें १५,००,००० रु० की धनराशि सम्पिलित नहीं है, जो छोटे-मोटे निर्माण-कार्यों के अन्तर्गत आवासिक क्वार्टर/बैरेक बनाने के निमित्त स्वीकृत की गयी थी ।

(२) अधूरे बड़े निर्माण-कार्य

मूल बजट के द्वारा	२४,३४,६०० रु०
पूरक बजट के द्वारा	कुछ नहीं ।

पहली बार बड़े निर्माण-कार्यों की २९ मदों के लिए व्यवस्था की गई थी । इन २९ नई योजनाओं का कुल अनुमानित व्यय २०,१५,८१३ रु० है । इसमें से २,६८,००० रु० की व्यवस्था १९५६-५७ ई० बजट में इन निर्माण-कार्यों का प्रारम्भ करने के लिए की गई थी । इसके अतिरिक्त प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबलरी की तीसरी बटलियन और स्टेट रेडियो हेडक्वार्टर्स के लिए नई इमारतें बनाने के निमित्त महानगर, लखनऊ में ८,३४,६१९ रु० के मूल्य की भूमि खरीदने की व्यवस्था पूरक बजट के द्वारा की गई । ४ बड़े निर्माण-कार्यों के लिए और स्वीकृति दी गई ।

जिन ४ थानों का निर्माण हो रहा था वे इस वर्ष बन कर तैयार हो गये ।

(ख) छोटे निर्माण-कार्य—१९५६-५७ ई० में सरकार ने छोटे निर्माण-कार्यों के लिए निम्नांकित धनराशियां स्वीकृत की थीं :

- (१) शीर्षक "५० नागरिक निर्माण-कार्य, मूल निर्माण-कार्य, भवन-पुलिस" के अन्तर्गत ... १,१४,००० रु०
- (२) शीर्षक "८१ नागरिक निर्माण-कार्य, मूल निर्माण-कार्य, भवन-पुलिस" के अन्तर्गत ... १५,००,००० रु०

शीर्षक "५० नागरिक निर्माण-कार्य" के अन्तर्गत स्वीकृत १,१४,००० रु० की कुछ धनराशि वित्तीय वर्ष में कार्य निष्पादन के लिए दी गई थी। अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों तथा सिपाहियों के निवास-स्थान की दशा सुधारने के उद्देश्य से शीर्षक "८१-नागरिक निर्माण-कार्य" के अन्तर्गत अनुदान की स्वीकृति सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान के रूप में की गई थी। इसलिए इस अनुदान के अन्तर्गत निर्माण-कार्यों के लिए स्वीकृति देते समय आवासिक क्वार्टरों की प्राथमिकता दी गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग इस अनुदान में से केवल २,००,००० रु० के निर्माण-कार्यों को संपादित कर सका।

(ग) मूल-निर्माण-कार्य—इस शीर्षक के अन्तर्गत ८,५०,००० रु० की व्यवस्था, (१) भवनों, (२) बिजली के निर्माण-कार्यों के लिये की गई। इस शीर्षक के अन्तर्गत ९,५०,००० रु० के पूरक अनुदान की भी व्यवस्था की गई। इस पूरे अनुदान का उपयोग में लाया गया और ४०३ छोटे-मोटे निर्माण-कार्यों तथा १७७ बिजली के छोटे-मोटे निर्माण-कार्यों का वित्त-पोषण मूल अनुदान से किया गया। पूरक अनुदान का भी पूरा-पूरा उपयोग किया गया और ५१३ निर्माण कार्यों का वित्त-पोषण पूरक अनुदान से किया गया।

(घ) रख रखाव और मरम्मत—इस शीर्षक के अन्तर्गत निम्नांकित धनराशियों की व्यवस्था की गई:

- | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----|--------------|
| (१) जिला कार्यकारी दल | ... | ... | ६,६०,००० रु० |
| (२) पुलिस ट्रेनिंग कालेज | ... | ... | ६,००० रु० |
| (३) प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबलरी | ... | ... | २,५०,००० रु० |

"जिला कार्यकारी दल" के अन्तर्गत अनुदान से मरम्मत के ५४६ निर्माण-कार्य, वित्त-पोषित किए गए और मरम्मत के १०६ निर्माण-कार्य शीर्षक "प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबलरी" के अन्तर्गत वित्त-पोषित किए गए। इन आंकड़ों में बड़े पैमाने पर की गई उन मरम्मतों को सम्मिलित नहीं किया गया है, जो स्वावलम्बन के आधार पर की गई।

(५) परिवार हितकारी केन्द्र (Family Welfare Centres)—इन्हें लखनऊ में एक राज्य हितकारी समिति (State Welfare Committee) तथा प्रत्येक रेंज हेड क्वार्टर में रेंज हितकारी समितियों के साथ पुनर्संरचित किया गया है। इन केन्द्रों का समुचित कार्य-संचालन करने के लिए नये नियम बनाए गए। ऐसे केन्द्र अब समस्त पुलिस लाइनों तथा प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबलरी यूनिटों में काम करने लगे हैं। पुलिस के सिपाहियों के बच्चों को डब्बों का दूध तथा घी मुफ्त में सप्लाई किया गया। ये केन्द्र अब अत्यन्त सतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं। अधिकारियों की पत्नियां पुलिस वालों के परिवारों के लिए किए जाने वाले कल्याणकारी कार्यों में बड़ी दिलचस्पी लेती रही। पुलिस लाइन्स में प्रसूतिकेन्द्र संगठित करने के लिए प्रयत्न जारी रखे गये।

५—पुलिस लाइनों को सुधारने के लिए प्रयत्न—पुलिस तथा प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबलरी के कर्मचारियों ने अपने खाली समय में भ्रमवान तथा वन-महोत्सव में सक्रिय भाग लिया और उन्होंने अपने लाइनों को सुन्दर बनाने में बड़ी सहायता दी है। पुलिस लाइनों तथा थानों में पुलिस को इमारतों को और सुन्दर बनाने के प्रयत्न भी किए गए और पुलिस के सिपाहियों ने स्वयं ही छोटी-मोटी मरम्मतें, जैसे, पुताई तथा छोटे निर्माण कार्य,

स्वावलंबन के आधार पर किए। थानों तथा पुलिस लाइनों में बाग भी लगाए गए, जिससे कि उनके अहाते सुन्दर दिखे। पुलिस इमारतों के अहातों में जहां कहीं पर्याप्त स्थान उपलब्ध था, फलों के बाग भी लगाए गए हैं।

७--खेलकूद--खेलकूद के क्षेत्र में सभी अधिकारी तथा सिपाही बड़ी दिलचस्पी लते रहे। अपने खिलाड़ियों को हाकी, कुश्ती और व्यायाम आदि की प्रशिक्षण देने के लिये विशेष प्रबंध किए गए, जो वास्तव में उपयोगी सिद्ध हुए। परन्तु यह आवश्यक है कि सीनियर (ज्येष्ठ) अधिकारी खेलकूद का कार्यवाहियों की ओर लगातार तथा विशेष रूप से ध्यान दें, जिससे कि उसका स्तर ऊंचा हो और अन्तर-राज्य प्रतियोगिताओं में अश्लाकृत अच्छे परिणाम निकलें तथा अधिक सफलता प्राप्त हो।

३६--पड़ोसी राज्यों से सम्बन्ध--नेपाल के पड़ोसी राज्य से हमारे सम्बन्ध अत्यन्त मंत्रीपूर्ण हैं। हमारी सीमाओं से मिले हुए भारत संघ के अन्य राज्यों से भी हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं और मध्य प्रदेश-राजस्थान तथा बिन्ध्य प्रदेश की सीमाओं पर डाकुओं के गिरोहों के विरुद्ध कार्यवाहियों में उक्त राज्यों से हमें बहुत सहयोग मिला। इस सहयोग के फलस्वरूप ही चम्बल घाटी के भयंकर डाकुओं के विभिन्न गिरोहों के विरुद्ध कार्यवाहियों में काफी सफलता प्राप्त हो सकी।

भाग ४

३३--पुधार तथा आवश्यकतायें--कतिपय नितान्त आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण पुलिस के कार्य का स्तर विगत वर्षों में कुछ गिरता रहा है। पुलिस फोर्स की अत्यावश्यकतायें निम्नांकित हैं :--

- (१) अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक सज्जा खरीदने के निमित्त व्यवस्था।
- (२) पुलिस फोर्स की गतिशीलता बढ़ाने तथा उन गाड़ियों को बदलने के लिए, जो काम के लायक नहीं रहीं और अधिक संख्या में हल्की तथा भारी गाड़ियों की व्यवस्था।
- (३) सभी थानों और सुपरवाइजरी गजटेड तथा नान गजटेड अधिकारियों के निवास स्थानों में टेलीफोनों की व्यवस्था।
- (४) राज्य के सभी बड़े शहरों और महत्वपूर्ण कस्बों में सूचना कक्षों (इंफार्मेशन रुम्स) तथा द्रुतगामी दलों (फ्लाईंग स्क्वाड्स) की स्थापना के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था।
- (५) पुलिस के लिए रुचिकर विभिन्न विषयों पर छोटी-छोटी फिल्में तैयार करने के लिये धनराशि निर्धारित करना।
- (६) उन स्थानों में, जहां आवश्यक हो, पुलिस के थानों तथा चौकियों की इमारतों का निर्माण और उसमें बड़ी-बड़ी भरम्मेत कराना।
- (७) उन स्थानों में, जहां बिजली उपलब्ध हो, पुलिस की सभी इमारतों में बिजली लगाना।
- (८) कांस्टेबलों तथा हेड कांस्टेबलों की स्वीकृत संख्या के कम से कम ५० प्रतिशत के लिये विवाहितों के क्वार्टरों की व्यवस्था।

३८--उपसंहार--संक्षेप में, पुलिस फोर्स ने अपने विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप पुलिस की जनता के और निकट लाने के अपने उद्देश्य में काफी सफलता प्राप्त की, और अब पुलिस तथा जनता दोनों एक दूसरे की आवश्यकता अनुभव करने लगे हैं। इस वर्ष अपराध तथा अपराधियों का सामना करने और निर्माण कार्य में काफी सफलता प्राप्त हुई। राज्य के लगभग सभी सुसंगठित गिरोहों का सफाया कर दिया गया। परन्तु यह अनुभव किया जाता है कि पुलिस फोर्स की दक्षता तथा प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यह आशा की जाती है कि जनता का अपेक्षाकृत अधिक सहयोग प्राप्त होने तथा अधिक धन की उदारतापूर्वक व्यवस्था होने पर हम आगे आने वाले वर्षों में और अधिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

पुलिस फोर्स के सदस्यों के रहन-सहन की दशा सुधारने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि पुरानी तथा टूटी-फूटी इमारतों के स्थान पर नई इमारतें हों। अब तक इस दशा में सरकार ने जो प्रयत्न किये हैं, वे बड़े उत्साहवर्द्धक रहे हैं और अधीनस्थ कर्मचारियों ने उनका बड़ा स्वागत किया है।

पुलिस फोर्स का मनोबल उच्च कोटि का था और उसका अनुशासन तथा राज्यभक्ति आदर्श स्वरूप था। अब बातों की देवने हुये सभी श्रेणियों के कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन दक्षता तथा प्रसन्नता पूर्वक करते रहे।

परिशिष्ट

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप-योग्य

भाग १--

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
	भारतीय दंड विधान की धाराएँ—	
१	{ ११५, ११७, ११८, ११९ ...	पुलिस के हस्तक्षेप योग्य अपराध करने के लिये प्रोत्साहन देना
१-क	{ १२०-ख (१) ..	पुलिस के हस्तक्षेप योग्य आपराधिक षड्यंत्र
		योग ..
		वर्ग १--राज्य, सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा तथा न्याय के विरुद्ध अपराध—
२	१३१ से १३६, १३८ ..	सेना तथा नौसेना से संबंधित अपराध ..
३	२३१ से २५४ ..	मुद्रा संबंधी अपराध ..
४	२५५ से २६३-क ..	स्टाम्प संबंधी अपराध ..
५	४६७ तथा ४७१ ..	गवर्नमेंट प्रामिसरी नोट संबंधी अपराध ..
६	४८९-क से ४८९-ख ..	करेंसी नोट और बैंक नोट संबंधी अपराध ..
७	२१२ और २१६, २१६-क ..	अपराधी को आश्रय देना ..
८	२१३, २१५, २२४, २२५, २२५-ख और २२६ ...	सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अन्य अपराध ..
९	१४३ से १५३, १५७, १५८, १५९ ..	बंगा या गैरकानूनी सभा करना ..
१०	१४०, १७०, १७१ ..	सरकारी कर्मचारी या सैनिक का भेष धारण करना
१०-क	२९५, २९६ और २९७ ..	धर्म-विरोधी अपराध ..
		योग ..

पत्र 'क'

अपराधों की सूची, सन १९५६ ई०
मामलों की सूची

उन अपराधों की संख्या, जो गत वर्ष से विचारा-धीन थे		वर्ष में रिपोर्ट किये गये अपराधों की संख्या	उन अपराधों की संख्या, जिनमें जांच अस्वीकार की गई	उन अपराधों की संख्या, जिनमें जांच होना शेष है (स्तम्भ ४ + ५-६)	उन मामलों की संख्या, जो असत्य सिद्ध हुये या जिन्हें असत्य घोषित किया गया	विधि या तथ्य में गलती अथवा पुलिस के न हस्तक्षेप करने योग्य घोषित मुकदमों की संख्या	वर्ष के अन्त में विचारार्थ मुकदमों की संख्या जो पुलिस के तफतीश में हैं	वर्ष के अन्त में उन मुकदमों की संख्या जो जेर तजवीज अदालत में हैं
४ (अ)	४ (ब)	५	५	६	७	८	९ (अ)	९ (ब)
...	४	२	...	२	...	...	२	२
...	१	३	...	३	...	...	...	२
...	५	५	...	५	...	...	२	३
...	१	...	...	...	...	...	...	...
७	२२	२७	...	४६	...	...	६	२५
१	१२	७	...	८	...	...	१	५
१७	१८	३०	१	४६	३	...	१	११
४	१२	२३	...	२७	१	१	६	१३
...	४४	७२	...	७२	...	...	२	५३
१	५५	१०९	...	११४	१	...	१०	६५
१२३	१,४५१	३,०८७	५६९	२,३४१	२९	७	१७	१,४२३
२	२२	५७	...	५९	...	...	...	१६
६	१३	३१	...	३७	...	...	५	१०
१६५	१,६६०	३,४५५	८७०	२,७५०	३४	८	२१०	१,६४०

विवरण-
पुलिस के हस्तक्षेप-योग्य
भाग १--

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
	भारतीय दंड विधान की धाराएं—	
१	{ ११५, ११७, ११८, ११९, १२०-ख (१) ...	पुलिस के हस्तक्षेप योग्य अपराध करने के लिये प्रोत्साहन देना पुलिस के हस्तक्षेप योग्य आपराधिक षड्यंत्र
		योग ...
२	१३१ से १३६, १३८ ..	वर्ग १--राज्य, सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा तथा न्याय के विरुद्ध अपराध—
३	२३१ से २५४ ..	सेना तथा नौसेना से संबंधित अपराध ..
४	२५५ से २६३-क ...	मुद्रा सम्बन्धी अपराध ..
५	४६७ तथा ४७१ ..	स्टैम्प सम्बन्धी अपराध ..
६	४८९-क से ४८९-घ ..	गवर्नमेंट प्रामिसरी नोट सम्बन्धी अपराध ..
७	२१२, २१६ तथा २१६-क ..	करेंसी नोट और बैंक नोट संबंधी अपराध ..
८	२१३, २१५, २२४, २२५, २२५-ख तथा २२६ ..	अपराधों को आश्रय देना ..
९	१४३ से १५३, १५७, १५८, १५९ ..	सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अन्य अपराध ..
१०	१४०, १७०, १७१ ..	बंगा या गैरकानूनी सभा करना ..
१०-क	२९५, २९६ तथा २९७ ..	सरकारी कर्मचारी या सैनिक का भेष धारण करना धर्म-विरोधी अपराध ..
		योग ..

पत्र 'क'—(असमाप्त)

अपराधों की सूची, सन् १९५६ ई०
मामलों की सूची

सच्चे मुकदमे					मैजिस्ट्रेटों द्वारा निर्णीत वास्तविक मामलों का योग	मैजिस्ट्रेटों द्वारा निर्णीत ऐसे मामलों का योग, जिनमें अपराधी दंडित हुये	वास्तविक मामलों का कुल योग (स्तम्भ १४ + १५)	विशेष विवरण
जिनमें अपराधी दंडित हुये	दोष मुक्त मुकदमे, छोड़े या रिहा किये गये	मुकदमों जिनमें सुलह हो गई	जिनमें अपराधियों का पता न लगा या गिरफ्तार न हुये	वास्तविक मामलों का योग (स्तम्भ ६ + ११ + १२ अ + १२ ब + १३)	१५	१६	१७	
११	१२ (अ)	१२ (ब)	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१	२	३	४	५	६	७	८	
१	२	३	४	५	६	७	८	
....	१	३	३	१	३	३	१	
२२	१	१	३	३५	२	३	३६	
६	५	३	३	२४	१	३	२५	
१२	५	३	१४	३०	६	३	३५	
७	३	३	८	२५	४	३	२९	
१९	४१	३	१	६१	४	३	६५	
६१	१५	३	१४	१३	३	१	१६	
८७२	७३७	६५	४६३	३,०३८	२,२९४	२४८	५,२३३	
४४	७	१	८	६०	२५	३	५	
७	११	३	१७	३५	५	१	४३	
१,०५०	८३७	१००	५३१	३,३८८	२,३४७	२६०	५,७३५	

विवरण-

पुलिस के दस्तक्षेप-

भाग १-

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
	भारतीय दण्ड विधान की धाराएं	वर्ग २—शरीर के विरुद्ध गम्भीर अपराध—
११	३०२, ३०३	.. हत्या ..
१२	३०७	.. हत्या करने के प्रयत्न ..
१३	३०४, ३०८	.. आपराधिक हत्या ..
१४	३७६	.. पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से बलात्कार ..
१५	३७७	.. अप्राकृतिक अपराध ..
१६	३१७, ३१८	.. शिशुओं को बाहर फेंकना या शिशु-जन्म-छिपाना ..
१७	३०५, ३०६, ३०६	.. आत्महत्या करने के प्रयत्न और उसे .. प्रोत्साहन देना ..
१८	३२५, ३२६, ३२९, ३३१, ३३३, ३३५	.. संघातिक चोट ..
१९	३२८	.. चोट पहुंचाने के उद्देश्य से सम्मोहक जड़ी-बूटियां देना ..
२०	३२४, ३२७, ३३०	.. चोट ..
२१	३६३ से ३६९ और ३७१ से ३७३ तक	.. वेश्या-वृत्ति के लिये भगा ले जाना या अपहरण करना, या दासों को बेचना ..
२२	३४६ से ३४८ तक	.. छिपाने अथवा बलात् ग्रहण के लिए अवैध बन्दो करना और गुप्त रूप से रोक रखना ..
२२-क	३३२, ३५३	.. किसी सरकारी कर्मचारी को अपने कर्तव्य-पालन से विमुख करने के लिये चोट पहुंचाना तथा उस पर आक्रमण करना ..

पत्र 'क'—(असमाप्त)

योग्य अपराधों की सूची, सन् १९५६ ई०

मामलों की सूची

उन अपराधों की संख्या, जो गत वर्ष से विचारा-धीन थे		वर्ष में रिपोर्ट किये गये अपराधों की संख्या	उन अपराधों की संख्या, जिनमें जांच अस्वीकार की गई	उन अपराधों की संख्या, जिनमें जांच होता शेष है (स्तम्भ ४ + ५-६)	उन मामलों की संख्या, जो असत्य सिद्ध हुये या जिन्हें असत्य घोषित किया गया	विधि या तथ्य में गलती अथवा पुलिस के न हस्तक्षेप करने योग्य घोषित मुकदमों की संख्या	वर्ष के अन्त में विचाराधीन मुकदमों की संख्या जो पुलिस के तफ्तीश में हैं	वर्ष के अन्त में उन मुकदमों की संख्या जो जेरे तजवीज अदालत हैं
४ (अ)	४ (ब)	५	६	७	८	९	१० (अ)	१० (ब)
१७०	७३७	१,५६९	..	१,७६९	२२	२	१९९	८३१
३५	४३०	६४८	२	६८१	५	१	५४	४५३
५९	७१९	९३०	..	९८९	१७	२	६७	७२१
१४	१९४	२८६	...	२८०	५	..	२७	२०५
३	३०	६६	१	७१	..	..	६	३३
११	२०	२२८	...	२३९	१	..	४	१८
६	३०	२११	..	२२०	३	..	७	४४
४४	७१०	२,३५३	१,०३१	१,३६६	१४	६	७२	७६८
९	२५	६८	..	७७	४	..	८	२८
२४	२४६	२,१५०	१,३४१	५३३	८	१	३२	३७४
८६	५१५	७६३	५	८७४	३३	..	५१	४९४
१	३	६	१	६	..	..	५	४
३४	३८२	६७९	१	७१२	१२	१	६१	३५५

विवरण-
पुलिस के हस्तक्षेप-योग्य
भाग १—

क्र.सं.	विधि	अपराध
१	२	३
	भारतीय दण्ड विधान की धाराएं	वर्ग २—शरीर के विरुद्ध गंभीर अपराध—
११	३०२, ३०३	हत्या ...
१२	३०७	हत्या करने के प्रयत्न ..
१३	३०४, ३०८	आपराधिक हत्या ..
१४	३७६	पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से बलात्कार
१५	३७७	अप्राकृतिक अपराध ...
१६	३१७, ३१८	शिशुओं को बाहर फेंकना या शिशु-जन्म ... छिपाना
१७	३०५, ३०६, ३०९	आत्महत्या करने के प्रयत्न और उसे ... प्रोत्साहन देना
१८	३२५, ३२६, ३२६, ३३१, ३३३, ३३५	संघातिक चोट ..
१९	३२८	चोट पहुंचाने के उद्देश्य से सम्मोहक .. जड़ी-बूटियां देना
२०	३२४, ३२७, ३३०	चोट ..
२१	३६३ से ३६९ और ३७१ से ३७३ तक	वेश्या-वृत्ति के लिये भगा ले जाना या अपहरण करना, या दासों को बेचना
२२	३४६ से ३४८ तक	गुप्त रूप से या बलात्कार ग्रहण (extortion) के प्रयोजनार्थ अनुचित रूप से बन्द करके रखना (wrongful confinement) और प्रतिरोध (Restraint)
२२-क	३३२, ३५३	किसी सरकारी कर्मचारी को अपने कर्तव्य- पालन से विमुख करने के लिये चोट पहुंचाना तथा उस पर आक्रमण करना

पत्र 'क'--(असमाप्त)

अपराधों की सूची, सन् १९५६ ई०

मामलों की सूची

सच्चे मुकदमे					मंजिस्ट्रों द्वारा निर्णीत वास्तविक मामलों का योग	मंजिस्ट्रों द्वारा निर्णीत ऐसे मामलों का योग, जिनमें अपराधी दंडित हुये	वास्तविक मामलों का कुल योग (सम्भ १४ + १५)	विशेष विवरण
जिनमें अपराधी दंडित हुये	जिनमें अपराधी निरपराध सिद्ध हुये या छोड़ दिये गये	मृतक जिनमें सुल्ह हो गई	जिनमें अपराधियों का पता न लगा या गिरफ्तार न हुये	वास्तविक मामलों का योग (सम्भ ६ + ११ + १२अ + १२ब + १३)				
११	१२ (अ)	१२ (ब)	१३	१४	१५	१६	१७	१८
४४३	६१५	..	४२४	१,४८२	३०	५	१,५१२	१ मृत्यु को प्राप्त हुआ
२१७	१८५	५	१९०	६००	११	१८	६११	
४१५	३२३	१६	१४७	६०१	१२	४	११३	
१०३	७०	६	५८	२३७	२३	७	२६०	
२६	१५	१	२०	६३	२	..	६५	
४०	१२	..	१६४	२३६	१	..	२३७	
१४०	१३	१	४२	१९६	२०	३	२१६	
५९३	३०८	१५०	१६५	२,२४७	८४१	२०३	३,०८८	
१५	१०	..	३७	६२	३१	११	१३	
२०३	१६८	१२३	१६२	१,१९७	१६०	२३	२,१५७	
२०२	२६१	१०	३००	७८१	२१९	२२	१,०००	
..	..	..	३	४	२१	३	३३	
३१६	२०१	१३	१३५	६६६	२८	४	६९४	

विवरण -
पुलिस के हस्तक्षेप-योग्य
भाग १--

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
२३	३५४, ३५६, ३५७ ..	सरकारी कर्मचारी या महिलाओं के प्रति आप- राधिक बल का प्रयोग या चोरी करने का अनुचित रूप से बंद कर रखने का प्रयत्न करना।
२४	३०४-क, ३३८ ..	जल्दबाजी या असावधानी का ऐसा कार्य, जिससे मृत्यु हो जाय या सख्त चोट पहुंचे योग ..
२५	३९५, ३९६, ३९७, ३९८, .. ३९९, ४०२	वर्ग ३--शरार और संपत्ति के विरुद्ध या केवल संपत्ति के विरुद्ध गंभीर अपराध--
२५-अ	३९६, ..	डकैती और डकैती के लिये तैयारी करना और एकत्र होना हत्या के साथ डकैती ...
२६	३९२, ३९३, ३९४, ३९७, ३९८	राहजनी ...
२७	२७०, २८१, २८२, ४३० .. से ४३३, ४३५ से ४४०	गंभीर दुष्टता तथा तत्संबंधी अपराध ...
२८	४२८, ४२९ ...	किसी पशु का वध करके, विष देकर या उसको अंग-भंग करके, दुष्टता करना
२९	४४९ से ४५२, ४५४, ४५५, .. ४५७ से ४६०	अपराध करने के उद्देश्य से छिप कर अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करना या सेंध लगाना या अपराध करने के विचार से चोट पहुंचाने और अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करने की तैयारी करना या चोट पहुंचाने के लिये तैयारी करना

पत्र 'क'—(अममाप्त)

अपराधों की सूची, सन् १९५६ ई०

मामलों की सूची

उन अपराधों की संख्या, जो गत वर्ष से विचारा-धीन थे	वर्ष में रिपोर्ट किये गये अपराधों की संख्या	उन अपराधों की संख्या, जिनमें जांच अस्वीकार की गई	उन मामलों की संख्या, जिनमें जांच होना शेष है (स्तम्भ ४ + ५-६)	उन मामलों की संख्या, जो असत्य सिद्ध हुए या जिन्हें असत्य घोषित किया गया	विधि या तथ्य में गलती अथवा पुलिस के न हस्तक्षेप के योग्य घोषित मुकदमों की संख्या	वर्ष के अन्त में विचाराधीन मुकदमों की संख्या जो पुलिस के तफ्तीश में हैं	वर्ष के अन्त में उन मुकदमों की संख्या जो जेर तजवीज अदालत हैं	
४ (अ)	४ (ब)	५	६	७	८	९	१० (अ)	१० (ब)
७	९०	४८४	२९५	१९६	३	..	१४	१०४
३४	२७६	७४९	..	७८३	१८	५	५४	३२४
५४३	४,४३७	११,२३३	२,६८०	९,०९६	१४५	२६	६८६	४,७५६
१४४	६८०	८१२	..	९५६	१५	..	१४७	६९१
२०	६१	१२०	..	१४०	...	..	३३	८५
६०	२०६	५६२	..	६२२	१४	१	५७	२६४
२७	१५८	५५८	८	५७७	१५	..	१६	१७७
१२	१३४	३६७	६	४०३	७	..	३५	१४२
७५५	२,४२३	१९,०६०	३७	१९,७७८	९५	७	९७८	२,८०९

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप-योग्य

भाग १-

क्र.सं.	विधि	अपराध
१	२	३
२३	३५४, ३५६, ३५७ ..	सरकारी कर्मचारी या महिलाओं के प्रति आपराधिक बल का प्रयोग या चोरी करने या अनुचित रूप से बंद कर रखने का प्रयत्न करना
२४	३०४-क, ३३८ ..	जत्वबाजी या भसावधानी का ऐसा कार्य, जिससे मृत्यु हो जाय या सख्त चोट पहुंचे योग ..
२५	३६५, ३६६, ३९७, ३९८, ३९९, ४०२	वर्ग ३—शरीर और सम्पत्ति के विरुद्ध या केवल 'पत्ति के विरुद्ध गम्भीर अपराध—
२५-अ	३९६ ..	डकंती या डकंती के लिये तैयारी करना और एकत्र होना
२६	३९२, ३९३, ३९४, ३९७, ३९८	हत्या के साथ डकंती
२७	२७०, २८१, २८२, ४३० से ४३३, ४३५ से ४४०	राहजनी ...
२८	४२८, ४२९ ..	गंभीर दुष्टता तथा तत्सम्बन्धी अपराध ...
२९	४४९, से ४५२, ४५४, ४५५, ४५७ से ४६०	किसी पशु का वध करके, विष देकर या उसको अंग-भंग करके दुष्टता करना अपराध करने के उद्देश्य से छिप कर अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करना या सेंच लगाना या अपराध करने के विचार से चोट पहुंचाने और अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करने की तैयारी करना या चोट पहुंचाने के लिये तैयारी करना

पत्र 'क' —(असमान)

अपराधों की सूची, १९५६ ई०

मामलों की सूची

सन्चे मुकदमे					मैजिस्ट्रेटों द्वारा निर्णीत वास्तविक मामलों का योग	मैजिस्ट्रेटों द्वारा निर्णीत ऐसे मामलों का योग, जिनमें अपराधी दण्डित हुए	वास्तविक मामलों का कुल योग (स्तम्भ १४ + १५)	विशेष विवरण
जिनमें अपराधी दण्डित हुए	जिनमें अपराधी निरपराध सिद्ध हुये या छोड़ दिए गये	मुकदमे जिनमें सुलह हो गई	जिनमें अपराधियों का पता न लगा या गिरफ्तार न हुए	वास्तविक मामलों का योग (स्तम्भ ६+११+१२अ+१२ब+१३)	१५	१६	१७	१८
११	१२ अ	१२ ब	१३	१४	१५	१६	१७	१८
८०	४३	४	३८	४६०	७८	१४	५३८	
२८२	१६०	२७	१३६	६५८	११	९	६६९	
३,०७५	२,३८४	३५६	२,०९४	१०,५१०	१,५७६	३२४	१२,१६६	१ मृत्यु व प्राप्त हुए
३७८	२७७	७	१२१	७८३	१५१	७	९३४	
६३	४४	..	६	११३	९	३	१२२	
१६६	११६	५	२०२	४९२	१४७	६	६३९	
६०	१२७	६	३०४	५३५	४५	..	५८०	
९२	८०	२९	१५२	३५६	३०	४	३८६	
२,८६२	१,२४७	३६	१४,१६७	१८,३४९	१८८	५२	१८,५३७	

विवरण-

पुलिस के दस्तक्षेप-योग्य

भाग १—

क्रम-संख्या	द्विधि	अपराध
१	२	३
३०	३११, ४००, ४०१ .	ठगों, डकैतों, लुटेरों और चोरों के गिराह का सदस्य होना योग ...
३१	३४१—३४४ ..	वर्ग ४—शरीर के विरुद्ध छोटे अपराध— अनुचित रूप से प्रतिरोध (Restraint) और बन्द कर रखना
३२	३३६, ३३७ ..	जल्दबाजी का ऐसा कार्य, जिससे चोट या जीवन को संकट पहुंचे योग ..
३३	३७९, ३८२ तक ..	वर्ग ५—संपत्ति के विरुद्ध छोटे अपराध— चोरी .. { मवेशियों की साधारण .
३४	४०६ से ४०९ तक ..	आपराधिक विश्वासघात .
३५	४११ से ४१४ ..	चुराई गई संपत्ति प्राप्त करना .
३६	४१९ से ४२० ..	धोखा देना .
३७	४४७, ४४८, ४५३ और ४५६ ..	आपराधिक या अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करना और छिपकर अनधिकार रूपसे घर में प्रवेश करना या संध लगाना बन्द बर्तनों को तोड़ना ..
३८	४६१, ४६२ ..	योग ..
		संपूर्ण योग ..

पत्र 'क'—(असमाप्त)

अपराधों की सूची, १९५६ ई०
मामलों की सूची

उन अपराधों की संख्या, जो गत वर्ष से विचाराधीन थे	वर्ष में रिकॉर्ड किये गये अपराधों की संख्या	उन अपराधों की संख्या, जिनमें जांच अस्वीकार की गई	उन मामलों की संख्या, जिनमें जांच होना शेष है (स्तम्भ ४+५-६)	उन मामलों की संख्या, जो असत्य सिद्ध हुए या जिन्हें असत्य घोषित किया गया	विधि या तथ्य में गलती अथवा पुलिस के न हस्तक्षेप करने योग्य घोषित मुकदमों की संख्या	वर्ष के अन्त में विचाराधीन मुकदमों की संख्या जो पुलिस के तफ्तीश में हैं	वर्ष के अन्त में उन मुकदमों की संख्या जो जेरे तजवीज अर्थात् है
४ (अ)	४ (ब)	५	६	७	८	९ (अ)	९ (ब)
..	१	..	..	...	..	..	१
१,०१८	३,६९३	२१,५०९	५१	२२,४७६	१४६	८	४,१६९
५	५२	१४६	४३	१०८	१	७	४४
३६	२१५	७०८	..	७४७	११	१	२७४
४४	२६७	८५४	४३	८५५	१२	१	३१८
१५३	९३२	३,५०६	८८	३,५७१	२८	..	१,०९१
६८०	३,३३६	२३,०५७	२,६१५	२१,१२२	१५७	१४	३,९७८
२१८	८०९	२,५७४	१,३५६	१,४३६	२०	२	७६७
४	५८	१०४	२	१०६	२	..	५६
१४२	४१५	१,०२०	१५५	१,००७	१२	२	४३०
१३	१६७	३६०	७८	२९५	६	..	१६८
२	३	१६	..	१८	...	..	२
१,२१२	५,७२०	३०,६३७	४,२९४	२७,५५४	२२५	१८	६,५२२
२,९८२	१५,७८२	६७,६९३	७,९३८	६२,७३७	५६२	६१	१७,४०८

पत्र 'क' — (समाप्त)

अपराधों की सूची, १९५६ ई०

मामलों की सूची

सन्ध्ये मुकदम					मैजिस्ट्रेटों द्वारा निर्णीत वास्तविक मामलों का योग	मैजिस्ट्रेटों द्वारा निर्णीत ऐसे मामलों का योग, जिनमें अपराधो दंडित हुए	वास्तविक मामलों का कुल योग (स्तम्भ १४ + १५)	विशेष विवरण
जिनमें अपराधो दंडित हुये	जिनमें अपराधो निरपराध सिद्ध हुये या छोड़ दिये गये	मुकदमे जिनमें सुलह हो गई	जिनमें अपराधियों का पता न लगा या निरस्तार न हुये	वास्तविक मामलों का योग (स्तम्भ ६+११+१२अ+१२ब+१३)				
११	१२ अ	१२ ब	१३	१४	१५	१६	१७	१८
...	..	..	...	...	..	..	...	
३,६५१	१,८९४	८३	१४,९५२	२०,६३१	५७०	७५	२१,२०१	
२९	३७	६	३६	१५१	१३२	१२	२८३	
२७२	१००	२३	२३४	६२९	१	...	६३०	
३०१	१३७	२१	२७०	७८०	१३३	१२	९१३	
११९	३५७	४४	१,८३५	३,२४३	८००	१७३	४,००३	
४,४६७	१,४९४	१८८	१३,२८६	२२,०५०	१,९९८	२५०	२४,०४८	
४६६	२३३	४९	३७५	२,४८०	८५४	८१	३,३३४	
५९	२४	..	१३	९८	५३	८	१५१	
३२५	१६४	३७	२७४	९५५	९६५	६३	१,९२०	
११०	७३	१३	७७	३५१	१,१९२	२२१	१,५४३	
१	१	..	१४	१६	२०	५	३६	
६,३४७	२,३४६	३३१	१५,८७४	२९,१९३	५,८८२	८०१	३५,०७५	१ मृत्यु को प्राप्त हुआ
१४,४२५	७,६००	८९९	३३,७२३	६४,५८७	१०,५०८	१,४७२	७५,०६५	२ मृत्यु को प्राप्त हुये

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप-योग्य

भाग २--मामलों से

क्रम संख्या	विधि	अपराध	वर्ष के आरम्भ में ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो उन मामलों के संबंध में, जिनकी पुलिस में रिपोर्ट की गयी	ऐसे मामलों के संबंध में, जो पुलिस द्वारा हाथ में लिये गये मामलों पर जांच होने तक हिंसात्मक थे या जो ज ब्ला फौजदारी (बंड विधि संहिता) की धारा १७० के अधीन जमानत पर छोड़े गए थे
१	२	३	४-अ	४-ब
१	भारतीय बंड विधान की धाराएं-- { ११५, ११७, ११८, ११९ ... { १२०-ख (१) ...	पुलिस के हस्तक्षेप योग्य अपराध करने के लिये प्रोत्साहन देना पुलिस के हस्तक्षेप योग्य आपराधिक षडयंत्र	...	२४ १७
		योग	...	४१
२	१३१ से १३६, १३८	वर्ग १--राज्य, सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा तथा न्याय के विरुद्ध अपराध सेना तथा नौसेना से संबन्धित अपराध	...	४
३	२३१ से २५४ ...	मुद्रा सम्बन्धी अपराध	८	७१
४	२५५ से २६८-क	स्टाम्पों से सम्बन्धी अपराध	३	११
५	४६७ से ४७१	गवर्नमेंट प्रामित्तरी नोट सम्बन्धी अपराध	१५	४७
६	४८१-क से ४८६-घ	हरेंसी नोट और बैंक नोट सम्बन्धी अपराध	४	१८
७	२१२ और २१६, २१६-क	अपराधियों को शरण देना	...	६२
८	२१३, २१५, २२४, २२५, २२५-क, और २२६	सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अन्य अपराध	२८	१२१

पञ्च 'क'—(असमाप्त)

अपराधों की सूची, सन् १९५६ ई०

सम्बन्धित व्यक्तियों की सूची

वर्ष में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जाब्त फौजदारी (बड़ विधि संहिता) की धारा १६६ के अधीन छोड़े गए व्यक्तियों की संख्या	सुनवाई होने के पूर्व मैजिस्ट्रेटों की आज्ञा द्वारा छोड़े गये व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या, जिन पर विचार हो रहा था	उन व्यक्तियों की संख्या जो बं डित हुए	उन व्यक्तियों की संख्या, जो मिरपराध सिद्ध हुए या छोड़े दिये गये		उन व्यक्तियों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में अपने को गिरफ्तार होने से बचा रहे थे
					रिहा हुए	सुलझाये गये	
५	६	७	८	९	१० (अ)	१० (ब)	११
...	...	...	२३	१	२२	...	...
१५	१	...	...	...	...	...	...
१५	१	...	२३	१	२२	अ-...	...
...	...	...	४	...	४	...	...
६८	७	१	७३	५०	२३	...	१
४	२	...	१२	६	६	...	...
४१	८	३	३१	२०	११	...	२
२६	७	...	१४	१	४	...	...
११	...	...	८१	२३	५८	...	...
२१७	८	...	१८१	११२	७७	...	१०

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप-योग्य

भाग २--मामलों से

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	उन व्यक्तियों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में सुनवाई होने या जांच होने तक हिरासत में थे या जमानत पर थे	
			मनुष्यों की संख्या जो पुलिस की हिरासत में जांच होने तक थे	मनुष्यों की संख्या जो साल के अन्त में अदालत के विचाराधीन थे
१	२	३	१२ (अ)	१२ (ब)
१	भारतीय दंड विधान की धाराएं--			
	{ ११५, ११७, ११८, ११९ ...	पुलिस के हस्तक्षेप योग्य अपराध करने के लिये प्रोत्साहन देना	...	१
	{ १२०-ख(१) ...	पुलिस के हस्तक्षेप योग्य आपराधिक षड्यंत्र	...	३१
		योग ...	...	३२
२	१३१ से १३६, १३८	वर्ग १--राज्य, सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा तथा न्याय के विरुद्ध अपराध-- सेना तथा नौसेना से संबन्धित अपराध	...	...
३	२३१ से २५४ ...	मृदा संबंधी अपराध	१५	५१
४	२५५ से २६८-क	स्टाम्पों से संबन्धित अपराध	...	४
५	४६७ से ४७१ ..	गवर्नमेन्ट प्रामिसरी नोट सम्बन्धी अपराध	१३	४८
६	४८९-क से ४८९-घ	करेंसी नोट और बैंक नोट से संबन्धित अपराध	८	१९
७	२१२, २१६ और २१६-क	अपराधियों को शरण देना	४	७६
८	२१३, २१५, २२४, २२५, २२५-क, २२६	सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अन्य अपराध	१५	१५३

पत्र 'क'--(असमाप्त)

अपराधों की सूची, सन् १९५६ ई०

सम्बन्धित व्यक्तियों की सूची

उन व्यक्तियों की संख्या जो मैजिस्ट्रेटों के मामलों से
सम्बन्धित थे

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	दंडित व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जो छोड़ दिये गये या निर-पराध सिद्ध हुए	कैफियत
१३	१४	१५	१६
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
२	१	१	...
१	...	१	...
१७	४	१२	..
५	...	५	.
८	३	५	..
३	१	१	१ मरे

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप-योग्य

भाग २--मामलों से

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	वर्ष के आरम्भ में ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो उन मामलों के संबंध में, जिनकी पुलिस में रिपोर्ट की गयी या ऐसे मामलों के संबंध में, जो पुलिस द्वारा हाथ में लिये गये मामलों पर जांच होने तक हिरासत में थे या जो जाबता फौजदारी (दण्ड विधि संहिता) की धारा १७० के अधीन जमानत पर छोड़े गये थे	
१	२	३	४(अ)	४(ब)
९	१४३ से १५३, १५७, १५८ और १५९ ..	बंगा या औरकानूनी सभा करना	८३०	१५,७७४
१०	१४०, १७०, १७१	सरकारी कर्मचारी या सैनिक का वेष धारण करना	२	३०
१०-क	२९५, २९६ और २९७	धर्म विरोधी अपराध	...	९५
		योग ..	८९०	१६,२३३
		वर्ग २--शरीर के विरुद्ध गंभीर अपराध--		
११	३०२, ३०३ ..	हत्या ..	३४९	३,४१६
१२	३०७ ..	हत्या करने के प्रयत्न ..	४९	१,१८६
१३	३०४, ३०८ ..	आपराधिक हत्या ..	५०	२,५८८
१४	३७६ ..	पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष द्वारा बलात्कार ..	१५	३२२
१५	३७७ ..	अप्राकृतिक अपराध ..	१	४०
१६	३१७, ३१८ ..	शिशुओं को बाहर फेंकना या शिशु जन्म को छिपाना	३	२५
१७	३०५, ३०६, ३०९	आत्महत्या करने के प्रयत्न और उसे प्रोत्साहन देना	४	३२
१८	३२५, ३२६, ३२९, ३३१, ३३३, ३३५	सख्त चोट ..	६५	२,१४९
१९	३२८ ..	चोट पहुंचाने के उद्देश्य से सम्मोहक जड़ी-बूटियां देना	२	३५

पत्र 'क'—(असमाप्त)

अपराधों की सूची, सन् १९५६ ई०

संबन्धित व्यक्तियों की सूची

वर्ष में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	जातिता फौजदारी (वण्ड विधि संहिता) की बारा १६६ के अधीन छोड़े गये व्यक्तियों की संख्या	मुनवाई होने के पूर्व में जस्टिसों की आज्ञा द्वारा छोड़े गये व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या, जिन पर विचार हो रहा था	उन व्यक्तियों की संख्या, जो दण्डित हुये	उन व्यक्तियों की संख्या, जो निरपराध सिद्ध हुये या छोड़ दिये गये		उन व्यक्तियों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में अपने को गिरफ्तार होते से बचा रहे थे
					रिहा हुए	सुलह हो गये	
५	६	७	८	९	१० अ	१० (ब)	(११)
२०,६३३	१,८८०	६२	१८,२५१	७,६१६	९,२६७	१,३६८	११४
७४	१४	...	७०	५७	१३	...	...
७१	११	...	८८	१२	७६	...	...
२५,२३३	२,०३७	९६	१८,८१३	७,९०५	९,५४०	१,३६८	१२७
५,२७६	२९२	८८	४,५०१	१,३३०	३,१५९	१०	९२
१,३५१	९२	६	१,११७	५२८	५८३	६	३४
२,७०३	९०	२२	२,६१४	१,१३५	१,४७०	१०	२४
३६३	३७	...	२७६	१३६	१४०	...	८
७३	१३	...	५४	३०	२४	...	..
७८	१३	...	६१	४६	१५	...	...
२०७	३२	..	१५६	१४३	१५	१	२
३,३३६	११२	१३	३,०८२	१,५१७	१,०९४	४७०	२८
६०	९	...	३५	२०	१५	...	१

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप-योग्य

भाग २-मामलों में

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	उन व्यक्तियों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में सुनवाई होने या जांच होने तक हिरासत में थे या जमानत पर थे	
			मनुष्यों की संख्या जो पुलिस की हिरासत में जांच होने तक थे	मनुष्यों की संख्या जो साल के अन्त में अदालत के विचाराधीन थे
१	२	३	१२ (अ)	१२ (ब)
६	१४३ से १५३, १५७, १५८ और १५९	बंगा या गैर-कानूनी सभा करना	१,१५८	१५,७५१
१०	१४०, १७०, १७१	सरकारो कर्मचारी या सैनिक का बेष धारण करना	४	१८
१०-क	२६५, २६६ और २६७	धर्म विरोधी अपराध ...	१३	५४
		योग	१,२३०	१६,१७४
		वर्ग २--शरीर के विरुद्ध गम्भीर अपराध—		
११	३०२, ३०३ ..	हत्या ..	२६९	३,८५५
१२	३०७ ..	हत्या करने के प्रयत्न ...	६७	१,२६८
१३	३४, ३०८ ..	आपराधिक हत्या ...	६०	२,५२१
१४	३७६ ..	पति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बलात्कार	३५	३४६
१५	३७७ ..	अप्राकृतिक अपराध ...	६	४१
१६	३१७, ३१८ ...	शिशुओं को बाहर फेंकना या शिशु जन्म को छिपाना	१	३१
१७	३०१, ३०६, ३०९	आत्महत्या करने का प्रयत्न और उसे प्रोत्साहन देना	५	४४
१८	३२५, ३२६, ३२९, ३३१, ३३३, ३३५	सह चोट ...	६२	२,२५०
१९	३२८ ..	चोट पहुंचाने के उद्देश्य से सम्मोहक जड़ी-बूटियां देना	११	४२

पत्र 'क'--(असमाप्त)

अपराधों की सूची, सन् १९५६ ई०

सम्बन्धित व्यक्तियों की सूची

उन व्यक्तियों की संख्या जो मैजिस्ट्रेटों
के मामलों से सम्बन्धित थे

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	दण्डित व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या, जो छोड़ दिये गये या निरपराध सिद्ध हुये	कंफियत
१३	१४	१५	१६
१४,९८६	१,४४१	१२,७१४	५ मरे
६१	१०	५०	..
५३	१	५२	...
१५,१३६	१,४६१	१२,८४१	६ मरे
१३०	१६	८७	१ मरे
४०१	४९	२४६	६ "
१३९	७८	५४	३ "
९८	७	९१	...
२	..	२	...
३	...	..	..
४९	३	४६	३ मरे
३,४६१	७२०	२,५७४	१ मरे
..	...		..

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप योग्य

भाग २--मामलों से

कम-संख्या	विधि	अपराध	वर्ष के आरम्भ में ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो उन मामलों के संबंध में रिपोर्ट की गयी या ऐसे मामलों के संबंध में, जो पुलिस द्वारा हाथ में लिये गये मामलों पर जांच होने तक हिरासत में थे या जो जास्ता फौजदारी (दंड विधि संहिता) की धारा १७० के अधीन जमानत पर छोड़े गए थे	
१	२	३	४ (अ)	४ (ब)
२०	३२४, ३२७, ३३०	चोट	३४	५६४
२१	३६३ से ३६९ और ३७१ से ३७३	वैश्या-वृत्ति के लिये भगा ले जाना या अपहरण, दासों का बेचना आदि	१६८	१,९७५
२२	३४६ से ३४८ ...	गुप्त रूप से या बलात् ग्रहण (Extortion) के प्रयोजनार्थ अनुचित रूप से बन्ध करके रखना (wrongful confinement) और प्रतिरोध (Restraint,)	१	१९
२२-क	३३२, ३५३ ...	किसी सरकारी कर्मचारी को अपने कर्तव्य पालन से विमुख करने के लिए चोट पहुंचाना तथा उस पर आक्रमण करना	५७	१,२४७
२३	३५४, ३५६, ३५७	सरकारी कर्मचारी या महिलाओं के प्रति आपराधिक बल का प्रयोग या अनुचित रूप से बन्ध कर रखने का प्रयत्न करना	८	१४१
२४	३०४-क, ३३८ ..	जलदबाजी या असावधानी का ऐसा कार्य, जिससे मृत्यु हो जाये या सख्त चोट पहुंचे	२९	३१४
		योग ..	८३४	१४,०५३

पत्र 'क'--(असमाप्त)

अपराधों की सूची, सन् १९४५ ई०

संबन्धित व्यक्तियों की सूची

वर्ष में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	जाबता फौजदारी (इंड विधि संहिता) की धारा १६९ के अधीन छोड़े गये व्यक्तियों की संख्या	मुतवाई होने के पूर्व मैजिस्ट्रेटों को आज्ञा द्वारा छोड़े गये व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या, जिन पर विचार हो रहा था	उन व्यक्तियों की संख्या, जो दंडित हुये	उन व्यक्तियों की संख्या, जो निरपराध सिद्ध हुये या छोड़े दिये गये		उन व्यक्तियों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में अपने को गिरफ्तार होने से बचा रहे थे
					रिहा हुए	सुलह हो गये	
५	६	७	८	९	१० (अ)	१० (ब)	११
१,७१६ २,०८७	१४२ ३८१	२ १५	१,१३४ १,६१५	४३५ ४३०	४१६ १,१७१	२५० १४	६ ६५
७	२	..	..	...	...	...	...
१,५९७	१२६	६	१,५८१	७९६	७७०	१२	१५
२२८	१६	...	१९८	१११	८१	६	४
६७२	७७	६	५३१	३११	२०१	१६	१०
१९,७५७	१,४३४	२३८	१६,९४२	६,६७६	९,१५८	८२८	२८९

विबरण-
पुलिस के हस्तक्षेप योग्य
भाग २--मामलों से

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	वर्ष के आरम्भ में व्यक्तियों की संख्या, जो उन मामलों के संबंध में पुलिस में रिपोर्ट की गयी	पुलिस द्वारा हाथ में लिये गये मामलों पर जांच होने तक हिरासत में थे या जो जाबता फौजदारी (बंद विधि संहिता) की धारा १७० के प्रबन्ध जमानत पर छोड़े गए थे
१	२	३	१२ (अ)	१२ (ब)
२०	३२४, ३२७, ३३०	चोट	४०	१९६
२१	३६३ से ३६९ और ३७१ से ३७३ ...	वेश्या-वृत्ति के लिए भगा ले जाना या अपहरण, दासों का बेचना आदि	१७७	१,६६१
२२	३४६ से ३४८ ...	गुप्त रूप से या बलात् ग्रहण (Extortion) के प्रयोजनार्थ अनुचित रूप से बन्द करके रखना (wrongful confinement) और प्रतिरोध (Restraint)	५	२०
२२-क	३३२, ३५३ ...	किसी सरकारी कर्मचारी को अपने कर्तव्य पालन से विमुख करने के लिये चोट पहुंचाना तथा उस पर आक्रमण करना	१०३	१,०८४
२३	३५४, ३५६, ३५७	सरकारी कर्मचारी या महिलाओं के प्रति आपराधिक बल का प्रयोग या अनुचित रूप से बन्द कर रखने का प्रयत्न करना	१४	१४९
२४	३०४-क, ३३८	जल्दबाजी या असावधानी का ऐसा कार्य, जिससे मृत्यु हो जाये या सख्त चोट पहुंचे	३४	३६७
		योग ...	१७६	१५,००८

पत्र 'क'--(पसमाप्त)

अपराधों की सूची, सन् १९५६ ई०

सम्बन्धित व्यक्तियों की सूची

उन व्यक्तियों की संख्या जो मैजिस्ट्रेटों के मामलों
से संबंधित थे

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	वंडित व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या, जो छोड़े दिये गये या निरपराध सिद्ध हुये	कैफियत
१३	१४	१५	१६
५२५ ८४२	८७ ९७	३७१ ६४६	... १ मरे
९३	२	९१	...
८६	४	८१	१ मरे
२६६	३४	२२४	...
१२	९	३	...
६,१०७	१,१०६	४,५१६	२४ मरे

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप योग्य

भाग २- मामलों से

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	वर्ष के आरम्भ में ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो उन मामलों के संबंध में, जिनकी पुलिस में रिपोर्ट की गयी थी ऐसे मामलों के संबंध में, जो पुलिस द्वारा हाथ में लिए गये मामलों पर जांच होने तक हिरासत में थे या जो जमाना फौजदारी (दण्ड विधि संहिता) की धारा १७० के अधीन जमानत पर छोड़े गये थे	
१	२	३	४ (अ)	४ (ब)
		वर्ग ३--शरीर और सम्पत्ति के विरुद्ध या केवल सम्पत्ति के विरुद्ध गम्भीर अपराध--		
२५	३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४०२	डकैती और डकैती के लिये तैयारी करना और एकत्र होना	५०४	५,७१७
२५-अ	३९६ आई० पी० सी०	हत्या के साथ डकैती ...	१५३	६५८
२६	३९२, ३९३, ३९४, ३९७, ३९८	राहजनी ...	६०	४७३
२७	२७०, २८१, २८२, ४३० से ४३३, ४३५ से ४४०	गंभीर दुष्टता तथा तत्संबंधी अपराध	३६	७०७
२८	४२८, ४२९	किसी पशु का बध करके, विष देकर या उसको अंग-भंग करके दुष्टता करना	१६	२७१
२९	४४१ से ४५२, ४५४, ४५५, ४५७ से ४६०	अपराध करने के उद्देश्य से छिप कर अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करना या संध लगाना या अपराध करने के विचार से चोट पहुँचाना और अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करने की तैयारी करना या चोट पहुँचाने के लिये तैयारी करना	४५८	५,५६७
३०	३११, ४००, ४०१	उगों, डकैतों, लुटेरों और चोरों के गिरोह का सदस्य होना	...	...
		योग ...	१,२२७	१३,३९३

पत्र 'क'—(असमाप्त)

अपराधों की सूची, सन् १९५६ ई०

सम्बन्धित व्यक्तियों की सूची

वर्ष में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	जाबाना फौजदारी (बंड विधि सहित) की धारा १६९ के अधीन छोड़े गये व्यक्तियों की संख्या	मुनवाई होने के पूर्व मैजिस्ट्रेटों की आज्ञा द्वारा छोड़े गये व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या, जिन पर विचार हो रहा था	उन व्यक्तियों की संख्या, जो बंड़ित हुये	उन व्यक्तियों की संख्या, जो निरपराध सिद्ध हुये या छाड़ दिये गये		उन व्यक्तियों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में अपने को गिरफ्तार होने से बचा रहे थे
					रिहा हुए	मुलह हो गये	
५	६	७	८	९	१० (अ)	१० (ब)	११
६,६३७	१,५४०	२८७	४,४२०	१,९६८	३,४२८	२४	२२९
१,०५२	१९२	२०	८९८	३५६	४६२	..	२४
९६७	११८	११	६९२	३०८	३७४	१०	१९
१,०२०	१३०	१	८८१	३२०	५१३	४८	३
५००	८१	५	४१५	१६७	१९२	५६	१
९,७२७	६०८	४४	८,४८५	४,९७१	३,४७८	३६	६४
३	...	...	३	...	३	...	...
१९,६०६	२,६६६	३६८	१६,७१४	८,०९०	८,४५०	१७४	३७०

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप योग्य

भाग--२ मामलों से

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	उन व्यक्तियों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में मुनवाई होने या जांच होने तक हिरासत में थे या जमानत पर थे	
			रिहा हुए	मुलह हो गये
१	२	३	१२ (अ)	१२ (ब)
२५	३६५, ३६६, ३९७, ३६८, ३६९, ४०२	वर्ग ३--शरीर और सम्पत्ति के विरुद्ध या केवल सम्पत्ति के विरुद्ध गंभीर अपराध-- डकंती और डकंती के लिए तैयार करना और एकत्र होना	५७६	५,०२९
२५-अ	३९६-आई० पी० सी०	हत्या के साथ डकंती ..	१८५	६४५
२६	३९२, ३९३, ३९४, ३९७, ३९८	राहजनी ...	३८	६४१
२७	२७०, २८१, २८२, ४३० से ४३३, ४३५ से ४४०	गम्भीर दुष्टता तथा तत्संबंधी अपराध	६	७४४
२८	४२८, ४२९	किसी पशु का बध करके, विष देकर या उसको अंग-भंग करके दुष्टता करना	३२	२५४
२९	४४६ से ४५२, ४५४, ४५५, ४५७ से ४६०	अपराध करने के उद्देश्य से छिप कर अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करना या संध लगाना या अपराध करने के विचार से चोट पहुंचाना और अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करने की तैयारी करना या चोट पहुंचाने के लिए तैयारी करना	५७८	६,०३४
३०	३११, ४००, ४०१	ठगों, डकंती, लुटेरों और चोरों के गिरोह का सदस्य होना	...	...
		योग ...	१,४१५	१३,३४७

पत्र 'क'--(असमाप्त)

अपराधों की सूची, सन् १९५६ ई०

सम्बन्धित व्यक्तियों की सूची

उन व्यक्तियों की संख्या जो मैजिस्ट्रेटों के
मामलों से संबंधित थे

गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों की संख्या	दंडित व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या, जो छोड़ दिये गये या निरपराध सिद्ध हुए	कैफियत
१३	१४	१५	१६
१,२९०	६७	९३३	६ मरे
६२	३०	३२	३ मरे
६३४	३४	४९२	..
१८२	७	१४७	१ मरे
२८१	१२२	१५९	...
५२१	४०	४६४	३ मरे
..	...	...	..
२,९७०	३००	२,२२७	१३ मरे

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप योग्य

भाग २-मामलों से

क्र.संख्या	विधि	अपराध	वर्ष के आरम्भ में ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो उन मामलों के संबंध में जिनकी पुलिस में रिपोर्ट की गयी ऐसे मामलों के संबंध में, जो पुलिस द्वारा हाथ में लिये गये मामलों पर जांच होने तक हिरासत में थे या जो जाबता फौजदारी (दण्ड विधि संहिता) की धारा १७० के अधीन जमानत पर छोड़े गए थे	
१	२	३	४ (अ)	४ (ब)
३१	३४१ से ३४४	वर्ग ४-शरीर के विरुद्ध छोटे अपराध- अनुचित रूप से प्रतिरोध (Restraint) और बन्द कर रखना ..	२५	२०१
३२	३३६, ३३७	जल्दबाजी का ऐसा कार्य, जिससे चोट या जीवन को संकट पहुंचे ...	१९	२६४
		योग ...	४४	४६५
३३	३७९ से ३८१	वर्ग ५-सम्पत्ति के विरुद्ध छोटे अपराध- चोरी { सवेशियों को ..	९९	१,८३३
		साधारण ...	३१५	७,३०४
३४	४०६ से ४०६	आपराधिक विद्वासधता ...	८७	९३२
३५	४११ से ४१४	चुराई गई सम्पत्ति प्राप्त करना	५	९८
३६	४१९, ४२०	धोखा देना ...	८१	८२८
३७	४४७, ४४८, ४५३ और ४५६	आपराधिक या अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करना और छिपकर अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करना या संध लगाना	१३	५८०
३८	४६१, ४६२	बंद बर्तनों को तोड़ना	४	३
		योग	६०४	११,५७८
		संपूर्ण योग ...	३,६००	५५,७६३

पत्र 'क' -- (प्रसमाप्त)

अपराधों की सूची, सन् १९५६ ई०
संबन्धित व्यक्तियों की सूची

वर्ष में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	जाबता कोजदारी (बंड विधि संहिता) की धारा १६९ के अधीन छोड़े गये व्यक्तियों की संख्या	मुनवाई होने के पूर्व मैजिस्ट्रेट की आज्ञा द्वारा छोड़े गये व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या, जिन पर विचार हो रहा था	उन व्यक्तियों की संख्या, जो बंदिन हुए			उन व्यक्तियों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में अपने को गिरफ्तार होने से बचा रहे
				उन्हें छोड़ा गया	उन्हें छोड़ा गया	उन्हें छोड़ा गया	
५	६	७	८	९	१० (अ)	१० (ब)	११
२७१	५८	...	२६७	९६	१४२	२९	...
५७०	४०	५	४८८	२९४	१६७	२७	...
८४१	९८	५	७५५	३९०	३०९	५६	...
२,७६७	१७९	८	२,३१०	१,३७८	८७०	६२	४२
१२,८८७	८३६	६६	११,१०२	६,७७९	३,६०२	४२१	१०६
१,१०६	११८	४	९५०	५५६	३४६	४८	४७
१३३	८	...	१२१	८१	४०	...	...
१,०२५	१०७	६	८५६	४७८	३२७	५४	२२
५२९	५०	१०	५२४	२८३	२१४	२७	८
७	४	...	२	१	१	...	...
१८,४८७	१,३०२	९७	१५,८६८	९,५५६	५,७००	६१२	२३१
८०,२३९	७,५४१	८०४	६९,१३५	३२,९१८	३३,१७९	३,०३८	१,०१७

विवरण -
पुलिस के हस्तक्षेप योग्य
भाग २—मामलों से

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	उन व्यक्तियों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में सुनवाई होने या जांच होने तक हिरासत में थे या जमानत पर थे।	
			रिहा हुए	सुलह हो गये
१	२	३	१२ (अ)	१२ (ब)
३१	३४१ से ३४४	वर्ग ४—शरीर के विरुद्ध छोटे अपराध— अनुचित रूप से प्रतिरोध (Restraint) और बन्द कर रखना	५	१६७
३२	३३६, ३३७	जल्दबाजी का ऐसा कार्य, जिससे चोट या जीवन को संकट पहुंचे	१९	३०१
		योग ...	२४	४६८
३३	३७९ से ३८१	वर्ग ५—सम्पत्ति के विरुद्ध छोटे अपराध— चोरी { मवेशियों की साधारण	१६४	२,०६७
३४	४०६ से ६०६	आपराधिक विश्वासघात	५३४	७,९५८
३५	४११ से ४१४	चुराई गई संपत्ति प्राप्त करना	१५	९१
३६	४१९, ४२०	घोखा देना	१५३	८०८
३७	४४७, ४४८, ४५३ और ४५६	आपराधिक या अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करना और छिपकर अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करना या संध लगाना	२२	५१५
३८	४६१, ४६२	बंद बर्तनों को तोड़ना	५	३
		योग ...	१,०५६	१२,३३३
		संपूर्ण योग ...	४,७०४	५७,३६३

पत्र 'क'--(समाप्त)

अपराधों की सूची, सन् १९५६ ई०

सम्बन्धित व्यक्तियों की सूची

उन व्यक्तियों की संख्या जो मैजिस्ट्रेटों के मामलों
से संबंधित थे

निरपत्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	दंडित व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या, जो छोड़ दिये गये या निरपराध सिद्ध हुए	कैफियत
१३	१४	१५	१६
४४७	७०	३६३	...
१२	...	१२	..
४५९	७०	३८५	...
२,१८७	१९५	१,९७६	१ मरे
८,४५३	७९१	७,३३८	७ "
१,३७१	१११	१,२०५	१ "
६८	२५	७३	१ "
१,८३९	६३	१,६८९	१ "
४,०८०	५६३	३,३१४	१ "
५७	१०	४५	..
१८,०८५	१,७८८	१५,०४३	१२ मरे
४२,७५७	४,७२५	३५,६०२	५५ "

विवरण—

पुलिस के हस्तक्षेप योग्य

भाग १--

क्रम-संख्या	कानून	अपराध	पिछले वर्ष के मुक- दमों की संख्या, जिनकी सुनवाई न हुई हो	
			ज़ेर तफ्तीश	ज़ेर तजवीज़ अदालत
१	२	३	४ (अ)	४ (ब)
	भारतीय दंड संहिता की धाराएं			
	वर्ग ६—ऐसे अपराध, जो विवरण-पत्र 'क' भाग १ में निर्दिष्ट नहीं हैं :			
१	२६६, २७७, २७६, २८०, २८३, २८५, २८६, २८६, २८१ से २८४, सन् १८६१ ई० की ऐक्ट सं० ५ की धारा ३४ और स्थानीय कानूनों के अधीन दंडनीय कष्ट- दायक कार्य	सार्वजनिक कष्टदायक कार्य तथा १८६१ ई० की ऐक्ट सं० ५ की धारा ३४ और धारा १६१ (घूसखोरी) भारतीय दंड संहिता तथा १९४७ का ऐक्ट नं० २ ...	६०	२,२६१
२	"	विशेष तथा स्थानीय कानूनों के अधीन ऐसे अपराध, जो पुलिस के हस्तक्षेप योग्य घोषित किये गये हों ...	...	...
२-क	"	आर्म्स ऐक्ट ...	६५	१,३०८
२-ख	"	ओपियम ऐक्ट ...	१७	३६९

पत्र 'क क'

अपराधों की सूची, १९५६ ई०
मामलों की सूची

वर्ष में रिपोर्ट किये गये अपराधों की संख्या	उन अपराधों की संख्या, जिनमें जांच अस्वीकार की गई	उन मामलों की संख्या, जिनमें जांच होना बाक है (स्तम्भ ४+५-६)	उन मामलों की संख्या, जो असत्य सिद्ध हुये या जिन्हें असत्य घोषित किया गया	उन मामलों की संख्या, जो विधि संबंधी या तथ्य संबंधी गलतियों के कारण हुई या पुलिस के हस्तक्षेप के अयोग्य घोषित किये जाने के कारण हुए	वर्ष के अन्त में मुकदमों की संख्या		वास्तविक मामले जिनमें अपराधी संबन्धित हुये
					जोर तफतीश	जोर तजवीज अदालत	
५	६	७	८	९	१० (अ)	१० (ब)	११
४१,४९९	...	४१,५५९	१६	...	५७	३,०६५	३९,६५१
...	...	...	...	...	...	...	...
२,३७१	...	२,४३६	३	...	६९	१,४६२	१,५८६
७८२	...	७९९	२	१	३२	२७८	७५३

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप योग्य

भाग १—

क्रम-संख्या	कानून	अपराध	वास्तविक	
			छोड़े या रिहा किए गए	
			विशेष मन्तव्य	सुलझा हो गए
१	२	३	१२ (अ)	१२ (ब)
	भारतीय दंड संहिता की धाराएं			
	वर्ग ६—ऐसे अपराध, जो विवरण-पत्र 'क' भाग १ में निर्दिष्ट नहीं हैं:			
१	२६६, २७७, २७६, २८०, २८३, २८५, २८६, २८८, २९१ से २९४, सन् १८६१ ई० की ऐक्ट संख्या ५ की धारा ३४ और स्थानीय कानूनों के अधीन बंडनीय कष्ट-दायक कार्य	सार्वजनिक कष्टदायक कार्य तथा १८६१ ई० की ऐक्ट सं० ५ की धारा ३४ और धारा १६१ (घूसखोरी) भारतीय दंड संहिता तथा १९४७ का ऐक्ट नं० २	७८५	९५
२	”	विशेष तथा स्थानीय कानूनों के अधीन ऐसे अपराध, जो पुलिस के हस्तक्षेप योग्य घोषित किये गये हों ..	...	...
२-क	”	आर्म्स ऐक्ट ..	५५३	...
२-ख		ओपियम ऐक्ट ..	९३	..

मामले						विशेष विवरण					
१.स	२.अ	३.अ	४.अ	५.अ	६.अ	७.अ	८.अ	९.अ	१०.अ	११.अ	१२.अ
पकड़े या पता न चला हो	कुल सचित्रे मुकदमे (स्तंभ ६ + ११ + १२अ + १२ब + १३)	मंजिस्ट्रेटों द्वारा निर्णित वास्तविक मामलों का योग (स्तम्भ १७-१४)	मंजिस्ट्रेटों द्वारा निर्णित ऐसे मामलों का योग, जिनमें अपराधी बंदिता हुए	वास्तविक मामलों का सम्पूर्ण योग (स्तम्भ १४ + १५)	जिनमें राजीनामा हो गया	जो मामले उठा लिये गये	जो मामले काट दिये गये	जिनमें अभियुक्त फरार हो गये	जिनमें अभियुक्त मर गये	जो हस्तान्तरित हुये	
१५१	४०,६८२	१,१४०	१,४१५	५०,६२२	..	..	..	..	..	..	..
४०	२,१८०	८५	५१	२,२३५	१	मरे	..	..	..	..	..
१	८५५	२०७	१६६	१,०६२	...	..	..	..	..	..	..

विवरण—
पुलिस के हस्तक्षेप योग्य
भाग १—

क्रम-संख्या	कानून	अपराध	पिछले वर्ष के मुकदमों की संख्या, जिनकी सुनवाई न हुई हो	
			जोर तफतीश	जोर तजवीज अदालत
१	२	३	४ (अ)	४ (ब)
	भारतीय दंड संहिता की धाराएं वर्ग ६—ऐसे अपराध, जो विवरण-पत्र 'क' भाग १ में निर्दिष्ट नहीं हैं :			
२-ग	२६९, २७७, २७९, २८०, २८३, २८५, २८६, २८९, २९१ से २९४, सन् १८६१ ई० की ऐक्ट सं० ५ की धारा ३४ और स्थानीय कानूनों के अधीन दंडनीय कष्ट-दायक कार्य	गैम्बलिंग ऐक्ट ...	३२	१,७५२
२-घ	"	इकसाइज ऐक्ट ...	१४१	२,५२३
२-ङ	"	एक्सप्लोजिक्स ऐक्ट तथा एक्स-प्लोजिक्स सप्लायमेंट्स ऐक्ट ...	१	८
२-च	"	विशेष तथा स्थानीय कानूनों के अधीन ऐसे अपराध, जो पुलिस के हस्तक्षेप करने योग्य घोषित किये गये हों, लेकिन उपर्युक्त में शामिल नहीं हैं ...	१४२	३,१८४
		योग ...	४५८	११,४०५

पत्र 'क क'—(कमरा)

अपराधों की सूची, सन् १९५६ ई०
मामलों की सूची

वर्ष में रिपोर्ट किये गये अपराधों की संख्या	उन अपराधों की संख्या, जिनमें जांच अस्वीकार की गई	उन मामलों की संख्या जिनमें जांच होना शेष है (स्तम्भ ४ × ५-६)	उन मामलों की संख्या, जो असत्य सिद्ध हुये या जिन्हें असत्य घोषित किया गया	उन मामलों की संख्या, जो विधि संबंधी या तथ्य संबंधी गलतियों के कारण हुई या पुलिस के हस्तक्षेप के अयोग्य घोषित किये जाने के कारण हुए	वर्ष के अन्त में मुक-दमों की संख्या		वास्तविक मामलों
					जेर तकतीश	जेर तजवीज अदालत	
५	६	७	८	९	१० (अ)	१० (ब)	११
४,३०७	.	४,३३९	४	१	४८	१,८८६	३,६७०
६,५५३	१	६,६८३	४०	४	१७६	२,५३३	५,६६८
१२	...	१३	.	..	१	६	८
१२,१७४	१३	१२,३०३	१०४	१६	११८	३,२४७	१०,३२३
६७,६६८	१४	६८,१४२	१६९	२२	५०१	१२,५१३	६१,६५९

विवरण-
पुलिस के हस्तक्षेप योग्य
भाग १--

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	वास्तविक	
			छोड़े या रिहा किए गए	
			विशेष मुक्त	मुक्त हो गए
१	२	३	१२ (अ)	१२ (ब)
	भारतीय दंड संहिता की धाराएं वर्ग ६--ऐसे अपराध, जो विवरण-पत्र 'क' भाग १ में निर्दिष्ट नहीं हैं :			
२-ग	२६६, २७७, २७९, २८०, २८३, २८५, २८६, २८९, २९१ से २९४ तक सन् १८६१ ई० की ऐक्ट सं० ५ की धारा ३४ और स्थानीय कानूनों के अधीन दंडनीय कष्ट-दायक कार्य	गेम्बलिंग ऐक्ट ..	४६२	१
२-घ	"	इन्डस्ट्राइज ऐक्ट ...	७२५	१
२-ङ	"	एक्सप्लोजिक्स ऐक्ट तथा एक्स-प्लोजिक्स सबस्टेन्सेज ऐक्ट ...	२	...
२-च	"	विशेष तथा स्थानीय कानूनों के अधीन ऐसे अपराध, जो पुलिस के हस्तक्षेप करने योग्य घोषित किये गये, लेकिन उपर्युक्त में शामिल नहीं हैं ...	१,२१३	२८५
		योग ..	३,८३३	३८२

पत्र 'क क' (समाप्त)

अपराधों की सूची सन् १९५६ ई०

मामलों की सूची

मामले		विशेष विवरण								
पकड़े या पता न चला हो	कुल सचिवे मुकद्दमें (स्तम्भ ६+११+१२अ +१२ब+१३)	मैजिस्ट्रेटों द्वारा निर्णीत वास्तविक मामलों का योग (स्तम्भ १७-१४)	मैजिस्ट्रेटों द्वारा निर्णीत ऐसे मामलों का योग, जिनमें अपराधी बंझित हुए	वास्तविक मामलों का सम्पूर्ण योग (स्तम्भ १४+१५)	जिनमें राजीनामा हो गया	जो मामले उठा लिये गये	जो मामले काट दिये गये	जिनमें अभियुक्त फरार हो गये	जिनमें अभियुक्त मर गये	जो हस्तान्तरित हुये
१३	१४	१५	१६	१७	१८ (क)	१८ (ख)	१८ (ग)	१८ (घ)	१८ (ङ)	१८ (च)
१६	४,१४९	५६५	७४३	५,०१७	...	...	...	...	...	...
६९	६४६४	३,६२०	२,५१६	१०,०५४	...	...	...	...	...	...
१	११	३७५	२२	३५८	...	...	...	...	...	...
१८१	१२,०१५	५,३५०	४,९१३	१७,३६५	...	...	...	...	...	...
४६७	६६,३५६	२०,४४५	१७,९०६	८६,८०१	१	...	...	...	...	...

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप योग्य

भाग २--मामलों से

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
भारतीय दंड संहिता की धाराएं वर्ग ६--ऐसे अपराध, जो विवरण-पत्र 'क' भाग २ में निर्दिष्ट नहीं हैं :-		
१	२६६, २७७, २७८, २८०, २८३, २८५, २८६, २८८, २८९ से २९४ तक, सन् १८६१ ई० की ऐक्ट संख्या ५ की धारा ३४ और स्थानीय कानूनों के अधीन बंढनीय कष्टदायक कार्य	सार्वजनिक कष्टदायक कार्य तथा सन् १८६१ ई० की ऐक्ट संख्या ५ की धारा ३४ और धारा १६१ (घूसखोरी) भारतीय दंड संहिता तथा १८४७ का ऐक्ट नं० २
२	"	विशेषतया स्थानीय कानूनों के अधीन ऐसे अपराध, जो पुलिस के हस्तक्षेप करने योग्य घोषित किये गये हों
२-क	"	आम्स ऐक्ट
२-ख	"	ओपियम ऐक्ट
२-ग	"	गैम्बलिंग ऐक्ट
२-घ	"	इक्ससाइज ऐक्ट
२-ङ	"	एक्सप्लोजिब्स ऐक्ट तथा एक्सप्लोजिब्स ...
२-च	"	सब्सटेन्सेज ऐक्ट
		विशेषतया स्थानीय कानूनों के अधीन ऐसे अपराध, जो पुलिस के हस्तक्षेप करने योग्य घोषित किये गये, लेकिन उपर्युक्त में शामिल नहीं हैं
		योग ...

पत्र 'क क'--(असमाप्त)

अपराधों की सूची, १९५६ ई०

सम्बन्धित व्यक्तियों की सूची

बंड विधान संग्रह की धारा १७० के अधीन हिरासत में लिये जाने वाले व्यक्ति, जिनका मुकदमा या जांच या जमानत वर्ष के आरम्भ में संबंधित रिपोर्ट किये गये मुकदमों या पुलिस द्वारा चलाये गये मुकदमों के संबंध में हुई हों		अभियुक्तों की संख्या जो जेर हिरासत या जमानत जिनके मुकदमे जेर तज्जवोज अदालत हों		वर्ष में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	जो जाहता फौजदारी बंड विधि संहिता की धारा १६० के प्रवीन छोड़ दिये गये	सुनवाई होने के पूर्व में जिल्लेटों की यात्रा द्वारा छोड़े गये व्यक्तियों की संख्या
४ (अ)	४ (ब)	५	६	७		
३०	३,५९४	४८,२६२	७०	१३		
...	...	...	..	...		
२७	१,४०३	२,४७०	३७	५		
१८	४३८	६०४	१२	५		
३०७	१०,८८१	२२,०७९	१२७	१२		
१०३	३,१२५	७,४०६	८८	३६		
१	१३	१३	...	...		
२७४	६,४२७	२०,०५६	२४४	७८		
७६०	२५,८८१	१,०१,१९०	५७८	१४९		

विवरण-
पुलिस के हस्तक्षेप योग्य
भाग २--मामलों से

क्र.संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
भारतीय दंड संहिता की धारायें		
वर्ग ६--ऐसे अपराध, जो विवरण-पत्र 'क' भाग २ में निर्दिष्ट नहीं हैं :--		
१	२६६, २७७, २७६, २८०, २८३, २८५, २८६, २८६, २९१ से २९४ तक सन् १८६१ ई० की ऐक्ट संख्या ५ की धारा ३४ और स्थानीय कानूनों के अधीन दंडनीय कष्ट-दायक कार्य	सार्वजनिक कष्टदायक कार्य तथा सन् १८६१ ई० के ऐक्ट संख्या ५ का धारा ३४ और धारा १६१ (घूसखोरी) भारतीय दंड संहिता तथा १९४७ का ऐक्ट नं० २
२	"	विशेष तथा स्थानीय कानूनों के अधीन ऐसे अपराध, जो पुलिस के हस्तक्षेप करने योग्य घोषित किये गए हों
२-क	"	आर्म्स ऐक्ट
२-ख	"	ओपियम ऐक्ट
२-ग	"	गैम्बलिंग ऐक्ट
२-घ	"	इक्साइज ऐक्ट
२-ङ	"	एक्ससलोजिजिस् ऐक्ट तथा एक्ससलोजिजिस् सन्सटेन्सेज ऐक्ट
२-च	"	विशेषतया स्थानीय कानूनों के अधीन ऐसे अपराध, जो पुलिस के हस्तक्षेप करने योग्य घोषित किये गये, लेकिन उपर्युक्त में शामिल नहीं हैं
		योग

पत्र 'कक'--(असमाप्त)

अपराधों की सूची, १९५६ ई०

पञ्चान्वित व्यक्तियों की सूची

उन व्यक्तियों की संख्या, जिन पर मुकदमा चला	उन व्यक्तियों की संख्या, जो दंडित हुए	छोड़े या रिहा किये गये व्यक्तियों की संख्या		उन व्यक्तियों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में अपने को निरपराध होने से बचा रहे	वर्ष के अन्त में हिरासत में रहने वालों की संख्या, जिनकी सुनवाई या जांच या जमानत न हुई हो	
		दोष मक्त	मुलह हो गये		उन व्यक्तियों की संख्या जो दोरान तफ-तीश हिरासत पुलिस या जमानत पर हों	उन व्यक्तियों की संख्या जोकि दोरान मुकदमा जेर अदालत जमानत या हिरासत पर हों
८	९	१० (अ)	१० (ब)	११	१२ (अ)	१२ (ब)
४०,८९७	४०,६५०	०,८५३	३४९	...	३१	५,८७५
...	...	.	...	...	...	...
२,०९२	१,६३७	६९९	६	६	४५	१,४१५
९६१	८३८	१२३	...	...	३२	३५०
२०,६६१	१८,३४६	२,६१५	..	१२	३८३	११,७७६
७,३३२	६,१६६	१,१३४	२	६	२०१	२,९७४
११	८	३	..	...	३	१३
१९,९८०	१४,७८०	२,८१५	२,३८५	२०	१७५	६,२७८
९७,०३४	८४,४५५	१०,१९२	२,७८७	४४	८७०	२८,७८४

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप योग्य अपराधों

भाग २--मामलों से

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३

भारतीय दंड संहिता की धारायें**वर्ग ६--ऐसे अपराध, जो विवरण-पत्र 'क' भाग २ में निर्दिष्ट नहीं हैं :-**

१	२६६, २७७, २७६, २८०, २८३, २८५, २८६, २८९, २९१ से २९४ तक, सन् १८६१ ई० की ऐक्ट संख्या ५ की धारा ३४ और स्थानीय कानूनों के अधीन दंडनीय कष्टदायक कार्य	सार्वजनिक कष्टदायक कार्य तथा सन् १८६१ ई० की ऐक्ट संख्या ५ की धारा ३४ और धारा १६१ (घूसखोरी) भारतीय दंड संहिता तथा १९४७ का ऐक्ट नं० २
२	"	विशेषतया स्थानीय कानूनों के अधीन ऐसे अपराध, जो पुलिस के हस्तक्षेप करने योग्य घोषित किये गये हों
२-क	"	आर्म्स ऐक्ट
२-ख	"	ओपियम ऐक्ट
२-ग	"	गैम्बलिंग ऐक्ट
२-घ	"	इक्साइज ऐक्ट
२-ङ	"	एक्सप्लोजिव्स ऐक्ट तथा एक्सप्लोजिव्स .. सबस्टेन्सेज ऐक्ट
२-च	"	विशेषतया स्थानीय कानूनों के अधीन ऐसे अपराध जो पुलिस के हस्तक्षेप करने योग्य घोषित किये गये, लेकिन उपर्युक्त में शामिल नहीं हैं योग

पञ्च 'कक'—(समाप्त)

की सूची, १९५६ ई०

सम्बन्धित व्यक्तियों की सूची

उन व्यक्तियों की संख्या, जो मैजिस्ट्रेट के मामलों से सम्बन्धित थे			विशेष विवरण						
गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	वर्द्धित व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जो छोड़ दिये गये या निरपराध सिद्ध हुये	जिनमें अभियुक्त करार हो गये	जो मामले उठा लिये गये	जिनमें अभियुक्त मर गये	जो मामले काट दिये गये	जिनमें अभियुक्त छोड़ दिये गये	जो हस्तांतरित हुये	जिनमें राजीनामा हो गया
१३	१४	१५	१६ (क)	१६ (ख)	१६ (ग)	१६ (घ)	१६ (ङ)	१६ (च)	१६ (छ)
१२,६०७	१०,७९८	१,७५८	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
९६	५४	३५	६ मरे	...	...	...	...	...	...
२६७	१६७	५७	...	...	...	...	...	...	...
२,६६७	२,१८९	४३०	५ मरे	...	...	...	...	...	...
४,०४८	२,७६०	१,११५	३ मरे	...	...	...	...	...	...
३९१	२६	३६५	..	...	...	...	...	...	...
६,४४५	५,९८३	४०७	२ मरे	...	...	...	...	...	...
२६,८२१	२२,०३७	४,१६७	१६ मरे	...	...	...	...	...	...

विवरण-

वेसे अपराधों की सूची, जिनमें पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती तथा वे मामले, जो जाब्बा
भाग १—मामलों

क्रम-संख्या	विविध	अपराध	के वर्ष जो उन मामलों की संख्या, प्रारंभ में विचारधीन थे	में उन मामलों की संख्या, जिनकी रिपोर्ट की गई
			४	५
१	११५ ..	पुलिस के हस्तक्षेप न करने योग्य अपराध, जो किये नहीं गये, उसमें प्रोत्साहन दिया जाना आदि ...	...	...
१	११७ ..	पुलिस के हस्तक्षेप न करने योग्य अपराध के करने में जनता इत्यादि का प्रोत्साहन ...	...	...
	११८, ११९ ..	पुलिस के हस्तक्षेप न करने योग्य अपराध के छिपाने का इरादा ...	...	...
	१२०-ब्रो (१) और १२०-बी (२)	पुलिस के हस्तक्षेप न करने योग्य आपराधिक षड्यंत्र ...	...	...
		योग ...	...	...
२	१२१ से १३०, ५०५.	वर्ग १—राज्य, सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध इत्यादि	...	३
३	१३७ ..	राज्य के विरुद्ध अपराध जहाज के स्वामी द्वारा सेना से भागे हुए सैनिकों को शरण देने का अपराध...	...	...
४	१७२ से १९०, २०१ से २०४, २१४, २२५-ए, २२७ से २२९	सार्वजनिक ग्याय के विरुद्ध अपराध...	३०९	२,२४०
५	१६१ से १६९, २१७ से २२३ ..	सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गये अपराध ...	६७	२९५

पञ्च 'ख'

फौजदारी दण्ड विधि संहिता के प्रिवेन्टिव मेकशन के अन्तर्गत आते हैं, वर्ष १९५६ ई० की सूची

३६०	...	३	...	...	...	...	...	उन मामलों का योग, जिनका निबटारा होना था (स्तम्भ ४ और ५)
७०	...	...	...	...	...	...	...	उन मामलों की संख्या, जो बिना सुनवाई के खारिज कर दिये गये
१५	२७३	...	...	...	...	...	...	ऐसे मामले, जिनकी सुनवाई के दरमियान में अभियुक्त मर गया, भाग गया या पागल हो गया या जिनमें आरोपों को उठा लिया गया, राजीनामा हो गया या उन्हें बापस ले लिया गया (धाराएँ २४७, २४९, २५१, ३३३, ३४५ और ४९४ जाबता फौज-दारी, दंड विधि संहिता)
१७६	९९१	१	...	...	...	...	...	उन मामलों की संख्या, जो वर्ष के अंत में विचारार्थन थे
३८	३७२	१	...	...	...	...	...	ऐसे मामलों की संख्या, जिनके संबंध में न्यायालय ने यह घोषित किया कि वे कभी हुए नहीं या जो विधि या तथ्य संबंधी गलती के कारण हुए थे
६१	३८६	१	...	...	...	...	...	उन मामलों की संख्या, जिनमें न्यायालय ने यह निर्णय किया कि पुलिस के हस्तक्षेप करने योग्य अपराध किया गया है
...	...	...	...	...	...	...	...	ऐसे मामले, जिनका निर्णय अपील करने या पुनरावृत्ति (revision) पर ब गइल दिया था

विवरण-

ऐसे अपराधों की सूची, जिनमें पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती तथा वे मामले, जो जास्ता
भाग १--मामलों

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	के उत्त मामलों की संख्या, जो वर्ष प्रारम्भ में विचाराधीन थे	उत्त मामलों की संख्या, जिनकी वर्ष में रिपोर्ट की गई थी
१	२	३	४	५
६	१९३ से २००, २०५ से २११, ४२१ से ४२४	झूठी गवाही, झूठी शिकायतें तथा दावे और छलपूर्ण लेख-पत्र तथा संपत्ति का क्रय-विक्रय ..	४३	३०७
७	४६५ से ४७७-ए	जालसाजी या ऐसे जाली लेख-पत्रों का छलपूर्ण प्रयोग, जोकि सरकारी प्रामिसरी नोट न हों तथा लेखों में जालसाजी ..	२७	४९
८	२६४ से २६७	नाप तथा बाट संबंधी अपराध ...	...	५
९	४८२ से ४८९	झूठे व्यापारिक चिह्न (ट्रेड मार्क) का बनाना या प्रयोग करना ...	४	२२
१०	१४९, १५३-ए से १५६, १६०	बंगा, गेरकानूनी रूप से एकत्र होना, छोटे-मोटे झगड़े ...	६१	१,५७०
		योग ..	५११	४,४८९
		वर्ग २--शरीर के विरुद्ध गंभीर अपराध		
११	३१२ से ३१६	गर्भपात कराना ..	६	२२
		योग ..	६	२२
		वर्ग ३--संपत्ति के विरुद्ध गंभीर अपराध		
१२	३८४ से ३८९	घन अपहरण ..	११	१२८
		योग ..	११	१२८

पत्र 'ख'—(कमराः)

फौजदारी दण्ड विधि संहिता के प्रिवेन्टिव मेक्शन के अन्तर्गत आते हैं, वर्ष १९५६ की सूची

६	७	८-अ	८-ब	९	१०	११	१२	१३	१४
उत्त मामलों का योग, जिनका निपटारा होना था (संलग्न ४ और ५)	उत्त मामलों की संख्या, जो बिना सुनवाई के खारिज कर दिये गये	ऐसे मामलों की संख्या, जो बिना सुनवाई के खारिज कर दिये गये	ऐसे मामलों की संख्या, जो बिना सुनवाई के खारिज कर दिये गये	निरपराध ठहराए गए	दोषी सिद्ध हुए	ऐसे मामलों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में विचाराधीन थे	ऐसे मामलों की संख्या, जिनके संबंध में न्यायालय ने यह घोषित किया कि वे कभी हुए नहीं या जो विधि या तथ्य संबंधी गलती के कारण हुए थे	उत्त मामलों की संख्या, जिनमें न्यायालय ने यह निर्णय किया कि पुलिस के हस्त-क्षेप करने योग्य अपराध किया गया है	ऐसे मामलों की संख्या, जिनका निर्णय अपील करने या पुनरावृत्ति (revision) पर बदल दिया गया
३५०	६६	१८	१३७	६६	६३	...	...	...	...
७६	१३	३	४४	५	११	...	...	...	...
५	१	...	१	२	१	...	...	...	...
२६	३	२	८	५	७	...	...	...	...
१,६३१	८०	१४७	२२९	१,०१४	१६१	...	...	...	...
५,०००	६५०	४५८	१,५८८	१,५०३	७०१	...	...	...	...
२८	४	...	१८	६	...	...	...	...	...
२८	४	...	१८	६	...	...	...	...	...
१३६	२६	१०	७४	१२	१७	...	...	...	...
१३९	२६	१०	७४	१२	१७	...	...	...	...

विवरण-

दैन अफराधों का सूची, जिनमें पुलिस हस्तक्षेप नहीं करना तथा वे मामले, जो जाब्ता भाग १--मामलों

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	क उत्त मामलों की संख्या, जो प्रारम्भ में विचाराधीन थे	वर्ष उत्त मामलों की संख्या, जिनकी वर्ष में रिपोर्ट की गई
१	२	३	४	५
		वर्ग ४—शरीर के विरुद्ध छोटे अपराध		
१३	३४५ ..	दोषयुक्त बन्दीकरण ..	१०	१०३
१४	३५२, ३५५, ३५८ ..	आपराधिक बल प्रयोग ..	१२४	७३२
१५	३३४ ..	चोट पहुंचाना और गंभीर या अचानक उत्तेजना विलाना ..	५०	३१८
१६	३२३ ..	जानबूझ कर चोट पहुंचाना ..	१,३२३	८,१११
१७	३७४ ..	अनिवार्य श्रम ..	५९३	२,८८३
		योग ..	२,१००	१२,१४७
		वर्ग ५—संपत्ति के विरुद्ध छोटे अपराध		
१८	४१७ से ४१८ ..	धोखा देना ..	२३	१६६
१९	४०३ से ४०५ ..	संपत्ति का आपराधिक अपहरण ..	३६	३०२
२०	४२६, ४२७, ४३४ ..	बुष्टता (साधारण) ..	३०३	२,०४६
		योग ..	३६५	२,५१७
		वर्ग ६—ग्रन्थ अपराध, जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं किये गये हैं		
२१	२९५-अ से, २९८ ..	धर्म-विरुद्ध अपराध ..	१४६	७९१
२२	४९० से ४९२ ..	नौकरी के संविदा का आपराधिक उल्लंघन ..	७४	३०३
२३	४९३ से ४९८ ..	विवाह संबंधी अपराध ..	३५१	३,८१३
२४	५०० से ५०२ ..	मानहानि ..	१६६	१,४४७

पत्र 'ख'—(क्रमशः)

फौजदारी दण्ड विधि संहिता के प्रिवेन्टिव सेक्शन के अन्तर्गत आते हैं, वर्ष १९५६ के की सूची

६	७	८-अ ८-ब		९		११	१२	१३	१४
				निरपराध ठहराये गये	दोषी सिद्ध हुये				
उत्त मामलों का योग, जिनका निबटारा होता था (सम्भ ४ और ५)	उत्त मामलों की संख्या, जो बिना सुनवाई के खारिज कर दिये गये	ऐसे मामले जिनकी सुनवाई के दरमियान में अभियुक्त मर गया, भाग गया या पागल हो गया या जिनमें आरोपों की उठा लिया गया; राजीनामा हो गया या उन्हें वापस ले लिया गया (धाराएं २४७, २४८, २५१, २३३, २४५ और ४९४ जाबता फौजदारी, दण्ड विधि संहिता)		मुने गये ऐसे मामलों की अभियुक्त—		ऐसे मामलों की संख्या जो अन्त में विचाराधीन थे	ऐसे मामले का संख्या जिनके सम्बन्ध में न्यायालय ने यह घोषित किया कि वे कभी हुये नहीं या जो विधि या तथ्य सबधी गलती के कारण हुये थे	उत्त मामलों की संख्या जिनमें न्यायालय ने यह निर्णय किया कि पुलिस के हस्त-क्षेप करने योग्य अपराध किया गया है	ऐसे मामले जिनका निर्णय अपील करने या पुनरावृत्ति (revision) पर बदल दिया गया
११३ ५५६ ३६५ ६४३४ ३,४७६	४२ २०२ ८७ २,१३५ ८७५	११ ६६ ७८ १,७३० ३२७	३५ ३७५ १२६ ३,४३६ १,५२६	६ ७५ २७ ६९७ २७९	१६ १०५ ४० १,४३३ ४६६		१ .. १		
१४,२४७	३,३४४	२,२४५	५,५०१	१,०८४	२,०७३	..	२	..	..
१६२ ३४१ २,३४९	४२ ६५ ४६४	२५ ५६ २५७	६४ १३३ १,०७३	१४ ४० १५३	१७ ४१ ३४२				
२,५८२	६०४	३७१	१,३००	२०७	४००	..	..	..	..
९४० ३७७ ४,१६४ १,६४३	२११ १३० १,६४६ ५२८	१०३ २९ ५४२ २३१	४२३ १२५ १,१५१ ५६०	७० ३५ १०२ ८३	१३३ ५५ ४२० २५१				

विवरण-

ऐसे अपराधों की सूची, जिनमें पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती तथा वे मामले, जो जाबता
भाग १—मामलों

क्र.संख्या	विधि	अपराध	के उन मामलों की संख्या, जो वर्ष प्रारम्भ में विचाराधीन थे	उन मामलों की संख्या, जिनकी वर्ष में रिपोर्ट की गई
१	२	३	४	५
२५	५०४, ५०६ से ५१०	धमकी, अपराध और छेड़खानी ..	११६	१,३०६
२६	२७१ से २७६, २७८, २८४, २८७, २८८-२९०	सार्वजनिक या स्थानीय कष्टदायक कार्य	४७	८२४
२७	२९४-९०	लाटरी कार्यालय चलाना	२५२	४३१
२८	अध्याय ८-ए सेक्शन १०६, सी० आर० पी० सी० के अधीन मामले	दंडित होने के पश्चात् शान्तिमय रहने का मुचलका	२०२	१,०५७
२९	सी० आर० पी० सी० के अध्याय १० के अधीन मुकदमे	सार्वजनिक कष्टदायक कार्य ..	३४१	२,२३६
३०	सी० आर० पी० सी० के अध्याय १२ के अधीन मुकदमे	अचल संपत्ति संबंधी झगड़े ..	१,३६६	५,५१२
३१	सी० आर० पी० सी० के सेक्शन २५० के अधीन मुकदमे	अनर्थक, झोठे, साम्प्रदायिक आरोप लगाना	२०६	१,४४१
३२	सी० आर० पी० सी०, के सेक्शन ५१४ के अधीन मुकदमे	बाण्डों का जमा करना	४५३	७,६५२
		योग ..	३,७८२	२६,८१३
३३	अन्य विशेष या स्थानीय कानूनों के अधीन ऐसे अपराध, जो पुलिस के हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं	...	६,६०८	१,२२,३९६
३४-अ	१०७सी०आर०पी०सी०	शान्तिमय तथा अच्छे चाल-चलन का मुचलका	५,६३७	२०,३२१
३४-ब	१०६ " " "	...	३,०१५	१२,००४
३४-त	११० " " "	...	८७८	२,२६३
		योग ..	१६,५३०	१,५६,९८४
		वृहत् योग ..	२२,९१६	२,०३,१००

पत्र 'ख'—(समाप्त)

फौजदारी दण्ड विधि संहिता के प्रिवेन्टिव सेक्शन के अन्तर्गत आते हैं, वर्ष १९५६ ई० की सूची

उत्त मामलों का योग, जिनका निबटारा होना था (स्तम्भ ४ और ५)									
उत्त मामलों की संख्या, जो बिना सुनवाई के खारिज कर दिये गये									
ऐसे मामले, जिनकी सुनवाई के दरमियान में अभियुक्त मर गया, भाग गया या पागल हो गया या जिनमें आरोपों को उठा लिया गया, राजीनामा हो गया या उन्हें वापस ले लिया गया (धाराएँ २४७, २४९, २५९, ३३३, ३४५ और ४९४ जहाँ फौजदारी, दंड विधि संहिता)									
मुझे मार गये मामलों संख्या, जिनमें अभियुक्त --									
निरपराध ठहराये गये									
दोषी सिद्ध हुए									
ऐसे मामलों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में विचाराधीन थे									
ऐसे मामलों की संख्या, जिनके संबंध में न्यायालय ने यह घोषित किया कि वे कभी हुए नहीं या जो विधि या तथ्य संबंधी गलती के कारण हुए थे									
उत्त मामलों की संख्या, जिनमें न्यायालय ने यह निर्णय किया कि पुलिस के हस्तक्षेप करने योग्य अपराध किया गया है									
ऐसे मामले, जिनका निबंध अपील करने का पुनरावृत्ति (revision) पर बंदबंद दिया गया									
६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	
१,४२२	७२५	१०६	४०२	८४	१०२	...	...	...	
८७१	१२०	२८	१७५	४७५	७३	...	...	...	
६८३	५७	..	३७१	१९५	६०	...	...	...	
१,२५६	४३१	६०	४७०	१६७	१३१	...	...	...	
२,५७७	५४४	१०८	१,३३५	३५०	२४०	...	...	...	
६,९०८	८२८	४९७	२,७८६	१,४५५	१,३४२	...	...	...	
१,६५०	३२०	१०	६२६	५२९	१६२	...	...	...	
८,१०५	२९२	१०१	१,४३६	५,५८९	६८७	...	...	...	
३०,५६६	६,१३८	१,८१५	९,८६३	९,१२७	३,६५६	...	...	...	
१,२६,०००	९,१०३	११,०३२	२०,६७५	८९,१०५	७,०८९	...	...	...	
२५,९५७	३,३७१	३,६२३	८,४०२	५,५७३	४,६८८	...	...	...	
१५,०१६	८५	६३	१,९५२	९,५६०	३,३५९	...	१२६	...	
३,१४१	२	५	३८४	१,६१५	८३५	...	२६	...	
१,०३,१२१	१२,१६१	१४,७२३	३१,८८१	६८,१५३	१६,२७१	...	१५८	...	
२,२६,०१६	२३,३२७	१९,७२२	४६,७५७	११०,०६२	२३,१९८	...	१६०	...	

विवरण-

ऐसे अपराधों की सूची, जिनमें पुलिस
भाग २--मामलों से सम्बन्धित

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	मुकद्दमों से संबंधित ऐसे व्यक्तिओं की संख्या, जिनके मुकद्दमों की सुनवाई हो रही है या जिनके विरुद्ध हुक्मनामा जारी किये गये हैं
१	२	३	४
१	११५ .. ११७ .. ११८, ११९ .. १२० ख (१) और १२० ख (२)	पुलिस के हस्तक्षेप न करने योग्य अपराध, जो किये गए, उसमें प्रोत्साहन दिया जाना आदि पुलिस के हस्तक्षेप न करने योग्य अपराध के करने में जनता इत्यादि द्वारा प्रोत्साहन पुलिस के हस्तक्षेप न करने योग्य अपराध को छिपाने का इरादा पुलिस के हस्तक्षेप न करने योग्य आपराधिक षड्यंत्र	
		योग ..	..
२	१२१ से १३०, ५०५	वर्ग १--राज्य, सार्वजनिक शान्ति के विरुद्ध अपराध राज्य के विरुद्ध अपराध ..	...
३	१३७ ..	जहाज के स्वामी द्वारा सेना से भागे हुए सैनिकों को शरण देने का अपराध ..	..
४	१२७ से १९०, २०१ से २०४, २१४, २२५-क, २२७, २९९ ..	जनता के विरुद्ध अपराध ..	२,०९१
५	१६१ से १६९, २१७ से २२३	सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गये अपराध	९४

पत्र 'ख'—(असमाप्त)

हस्तक्षेप नहीं करती, वर्ष मन् १९५६ ई०

व्यक्तियों की सूची

इस्ताफा पत्र	व्यक्ति, जिनके विरुद्ध हुक्मनामे जारी किये गये		व्यक्ति, जो गिरफ्तार न किये जा सके, क्यों कि वे वर्ष के दौरान में फरार थे या गिरफ्तारी में बचने की कोशिश कर रहे थे अथवा वे सज़ा के आदेशों का पालन न कर सके तथा ऐसे व्यक्ति, जिनके विरुद्ध वर्ष के समाप्त होने पर हुक्मनामे तामील होने के लिये पड़े हुए हैं	व्यक्ति, जो न्या लय में उपस्थित हुए (क)	व्यक्ति, जो उपस्थित होने पर बिना मुकद्दमा चलाये छोड़ दिये गये	व्यक्ति, जिन पर मुकद्दमा चलाया गया	
	स्वयं मैजिस्ट्रेट द्वारा या पुलिस से सूचना मिलने पर					जो अपराध मुक्त हुए या जित पर चलाये गये मुकद्दमे खारिज हुए	जो अपराधी घोषित किये गये
५	६	७	८	९	१०	११	११
..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
...	..	..	...	...	...	...	...
२	१	..	३	..	१	१	१
..	..	..	..	..	..	...	...
८,२१०	१,०७८	४२६	१०,६०३	९७५	४,६३१	१,१५६	१,१५६
४२२	१११	२०	१,०११	८५	९५०	७१	७१

(क) ऐसे व्यक्ति, जिनके मुकद्दमे पिछले वर्ष से विचाराधीन हों, इस स्तम्भ में सम्मिलित किये जाने चाहिये ।

विवरण-

ऐसे अपराधों की सूची, जिनमें पुलिस
भाग २--मात्रों से सम्बन्धित

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	वर्द्धित व्यक्तियों की संख्या के प्रतिशत की ऐसे व्यक्तियों की संख्या के प्रतिशत से तुलना, जिनके विरुद्ध हुक्मनामे जारी किये गये (स्तम्भ ५ और ७)
१	२	३	१२
१	११५ ..	पुलिस के हस्तक्षेप न करने योग्य अपराध, जो किये गए, उसमें प्रोत्साहन दिया जाना आदि	..
	११७ ..	पुलिस के हस्तक्षेप न करने योग्य अपराध के करने में जनता इत्यादि द्वारा प्रोत्साहन	..
	११८, ११९ ..	पुलिस के हस्तक्षेप न करने योग्य अपराध को छिपाने का इरादा	...
	१२०-ख (१) और १२०-ख (२)	पुलिस के हस्तक्षेप न करने योग्य आपराधिक षड्यंत्र	..
		योग ..	...
२	१२१ से १३०, ५०५	वर्ग १—राज्य, भावजनिक शान्ति के विरुद्ध अपराध	...
३	१३७ ..	राज्य के विरुद्ध अपराध	...
४	१२७ से १६०, २०१ से २०४, २१४, २२५-क, २२७, २९९ ..	जहाज के स्वामी द्वारा सेना से भागे हुए सैनिकों को शरण देने का अपराध जनता के विरुद्ध अपराध	..
५	१६१ से १६६, २१७ से २२३ ..	सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गये अपराध	...

पत्र 'ख'— (असमाप्त)

हस्तक्षेप नहीं करती, वर्ष सन् १९५६ ई०

व्यक्तियों की सूची

वर्ष के अन्त में विचाराधीन व्यक्तियों की संख्या	विशेष विवरण		
	उन मुकद्दमों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या, जिनमें मुकद्दमे चलाकर छोड़ दिये गये, जिनमें राजीनामा कर दिया गया या मुकद्दमे वापस ले लिये गये और मुकद्दमों से संबंधित ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिनमें सुनवाई के दौरान में अभियुक्त मर गया, भाग गया या पगल हो गया	सन् ११ में उल्लिखित ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनके सम्बन्ध में न्यायालय ने यह निर्णय किया है कि उन्होंने पुलिस के हस्तक्षेप योग्य अपराध किये	व्यक्ति, जो उपस्थित होने के पहिले मर गये, भाग गये या स्थानांतरित कर दिये गये
१३	१४ (क)	१४ (ख)	१४ (ग)
...	...	...	...
...	..	...	...
...	..	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
१	...	...	...
...	...	...	...
२,१४०	१,७११	२२	...
१९८	१०३	...	...

विवरण-

पुनः अपराधों की सूची, जिनमें पुलिस
भाग २--मामलों से सम्बन्धित

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	मकदूमों से सम्बन्धित ऐसी व्यक्तियों की संख्या, जिनके मकदूमों को सुनवाई हो रही है या जिनके विरुद्ध हुक्मनामा जारी किये गये हैं
१	२	३	४
६	१३९, २००, २०५ से २११, ४२१ से ४२४	झूठी गवाही, झूठी शिकायतें तथा दावे और छद्मपूर्ण लेख-पत्र तथा संपत्ति का विक्रय	६५
७	४६५ से ४७७-क ..	जालसाजी या ऐसे जाली लेख-पत्रों का छद्मपूर्ण प्रयोग, जोकि सरकारी प्रामिसरी नोट्स न हों और लेबा (A. C. notes) में जालसाजी	४२
८	२६४ से २६७ ..	नाप तथा बाट संबंधी अपराध ..	..
९	४८२ से ४८९ ..	झूठे व्यापारिक चिह्न (ट्रेड मार्क) का बनाना या प्रयोग करना	६
१०	१४९* १५३-क से १५६, १६०	दंगे, गैर-कानूनी रूप से एकत्र होना, छोटे-मोटे झगड़े	२६७
		योग ..	२,५६८
		वर्ग २--शरीर के विरुद्ध गंभीर अपराध	
११	३१२ से ३१६ ..	गर्भपात कराना ..	३२
		योग ..	३२
		वर्ग ३--संपत्ति के विरुद्ध गंभीर अपराध	
१२	३८४ से ३८९ ..	धन-अपहरण ..	५४
		योग ..	५४
		वर्ग ४--शरीर के विरुद्ध छोटे अपराध	
१३	३४५ ..	वांछ्यवस्तु बन्दीकरण ..	११

*धारा १४६ के अन्तर्गत आने वाले अपराध कभी-कभी पुलिस के हस्तक्षेप योग्य अपराध माने हैं--देखिये दंड विधि संहिता (एक्ट संख्या ५, १८६८ ई०) की अनुसूची २ में इस संबंध में की हुई प्रविष्टि (Entry) ।

पत्र 'ख'—(असमाप्त)

हस्तक्षेप नहीं करती, वर्ष सन् १९५६ ई०

व्यक्तियों की सूची

व्यक्ति, जिनके विरुद्ध हुक्मनामे जारी किये गये	इतनासा पत्र स्वयं मैजिस्ट्रेट द्वारा या पुलिस से सूचना मिलने पर	व्यक्ति जो गिरफ्तार न किये जा सके, क्योंकि वे वर्ष के दौरान में फरार थे या गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे थे अथवा वे समन के आवेशों का पालन न कर सके तथा ऐसे व्यक्ति, जिनके विरुद्ध वर्ष के समाप्त होने पर हुक्मनामे तामील होने के लिये पड़े हुए हैं	व्यक्ति, जो न्यायालय में उपस्थित हुए (क)	व्यक्ति, जो उपस्थित होने पर बिना मुकद्दमा चलाये छोड़ दिये गये	व्यक्ति, जिन पर मुकद्दमा चलाया गया	
					जो अपराधमुक्त हुए या जिन पर चलाये गये मुकद्दमे खारिज हुए	जो अपराधो घोषित किये गये
५	६	७	८	९	१०	११
५१४	१०१	१	७५९	६०	२८१	१९४
७४	७	..	१२३	७	९३	५
१	३	..	४	..	..	३
३१	..	..	४०	५	१७	६
४,९१२	९८६	४८	६,११७	२८५	१,५९८	२,४२०
१४,२४६	२,६८७	५०१	१९,०००	१,४१७	७,४७१	३,८९०
१८	१२	..	६२	..	४२	१९
१८	१२	..	६२	..	४२	१९
४०३	८	५	४६०	५०	२८२	४१
४०३	८	५	४६०	५०	२८२	४१
२३१	२६	३	२६५	३८	१५८	१८

विवरण-
ऐसे अपराधों की सूची, जिनमें पुलिस
भाग २—मामलों से सम्बन्धित

क्र.सं.	विधि	अपराध	वर्द्धित व्यक्तियों की संख्या के प्रतिशत की ऐसे व्यक्तियों की संख्या के प्रतिशत से तुलना जिनके विरुद्ध हुक्मनामे जारी किये गये (स्तम्भ ५ और ७)
१	२	३	१२
६	१३९, २००, २०५ से २११, ४०१ से ४२४	झूठी गवाही, झूठी शिकायतें तथा दावे और छलपूर्ण लेख-पत्र तथा संपत्ति का विक्रय	..
७	४६५ से ४७७-क ..	जालसाजी या ऐसे जाली लेख-पत्रों का छलपूर्ण प्रयोग, जोकि सरकारी प्राप्तिपत्री नोट्स न हों और लेखा (Accounts) में जालसाजी	...
८	२६४ से २६७ ..	नाप तथा बाट सम्बन्धी अपराध ..	...
९	४८२ से ४८९ ..	झूठे व्यापारिक चिह्न (ट्रेड मार्क) का बनाना या प्रयोग करना	...
१०	१४९*, १५३-क से १५६, १६०	बंसे, गैर कानूनी रूप से एकत्र होना, छोटे-मोटे भगड़	...
		योग ..	...
		वर्ग २—शरीर के विरुद्ध गंभीर अपराध	
११	३१२ से ३१६ ..	गर्भपात कराना ..	...
		योग ..	...
		वर्ग ३—संपत्ति के विरुद्ध गंभीर अपराध	
१२	३८४ से ३८९ ..	धन-अपहरण ..	...
		योग -...	..
		वर्ग ४—शरीर के विरुद्ध छोटे अपराध	
१३	३४५ ..	बोधयुक्त बन्दीकरण ..	...

*धारा १४९ के अन्तर्गत आने वाले अपराध कभी-कभी पुलिस द्वारा हस्तक्षेप करने योग्य अपराध माने जाते हैं—वेस्लिङ बंड विधि संग्रह (एक्ट सं० ५, १८६८ ई०) की अनुसूची २ में इस संबंध में की हुई प्रविष्टि (Entry)।

पत्र 'ख'—(प्रसमाप्त)

हस्तक्षेप नहीं करती, वर्ष सन् १९५६ ई०

व्यक्तियों की सूची

वर्ष के अंत में विचाराधीन व्यक्तियों की संख्या	विशेष विवरण			
	उन मुकद्दमों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या, जिनमें मुकद्दमे चलाकर छोड़ दिये गये, जिनमें राजीनामा कर दिया गया था मुकद्दमे वापस ले लिये गये और मुकद्दमों से सम्बन्धित ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिनमें सुनवाई के दौरान में अभियुक्त मर गया, भाग गया या पागल हो गया	सन् ११ में उल्लिखित ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिनके सम्बन्ध में न्यायालय ने यह निर्णय किया कि उन्होंने पुलिस के हस्तक्षेप योग्य अपराध किये	व्यक्ति, जो उपस्थित होने के पहिले मर गये, भाग गये या स्थानान्तरित कर दिये गये	
१३	१४ (क)	१४ (ख)	१४ (ग)	
१९९	२५	..	..	
१७	१	..	..	
१	..	..	..	
९	..	..	..	
८२४	९९०	..	..	
३,३८६	२,८३३	२२	..	
१	..	..	..	
१	..	..	..	
४५	४२	..	..	
४५	४२	..	..	
४२	६	१	..	

विवरण-

ऐसे अपराधों की सूची, जिनमें पुलिस
भाग २—मामलों से सम्बन्धित

क्रम-सं०	विधि	अपराध	मुकद्दमों से सम्बन्धित ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिनके मुकद्दमों की सुनवाई हो रही है या जिनके मुकद्दमों से सम्बन्धित जारी किये गये हैं
१	२	३	४
१४	३५२, ३५५, ३५८ ..	आपराधिक बलप्रयोग ..	४१६
१५	३३४ ..	चोट पहुंचाना और गम्भीर या अचानक उत्तेजना दिलाना ..	२७१
१६	३२३ ..	जानबूझ कर चोट पहुंचाना ..	५,३७२
१७	३७४ ..	अनिवार्य श्रम ..	१,५५२
		योग ..	७,६२२
		वर्ग ५—संपत्ति के विरुद्ध छोटे अपराध	
१८	४१७, ४१८ ..	धोखा देना ..	४३
१९	४०३ से ४०५ ..	संपत्ति का आपराधिक अपहरण ..	४०
२०	४२६, ४२७, ४३४ ..	वृष्टता (साधारण) ..	१,४२४
		योग ..	१,५०७
		वर्ग ६—ग्रन्थ अपराध, जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं किये गए हैं	
२१	२९५-ए, २९६ ..	धर्म विरुद्ध अपराध ..	५९०
२२	४९० से ४९२ ..	नौकरी के संविदा का आपराधिक उल्लंघन ..	६१
२३	४९३ से ४९८ ..	विवाह संबंधी अपराध ..	८६७
२४	५०० से ५०३ ..	मानहानि ..	५०१
२५	५०४, ५०६ से ५१० ..	धमकी, अपमान और छेड़खानी ..	३४०
२६	२७१ से २७६, २७८, २८४, २८७, २८८, २९०	सार्वजनिक या स्थानीय कष्टदायक कार्य ..	८३

पञ्च 'ख'—(असमाप्त)

हस्तक्षेप नहीं करती, वर्ष सन् १९५६ ई०

व्यक्तियों की सूची

व्यक्ति, जिनके विरुद्ध हुक्मनामे जारी किये गये		व्यक्ति, जो गिरफ्तार न किये जा सके, क्यों— कि वे वर्ष के दौरान में फरार थे या गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे थे अथवा वे समन के आदेशों का पालन न कर सके तथा ऐसे व्यक्ति, जिनके विरुद्ध वर्ष के समाप्त होने पर हुक्मनामे तालील होने के लिये पड़े हुए थे	व्यक्ति, जो न्यायालय में उपस्थित हुए (क)	व्यक्ति जो उपस्थित होने पर बिना मुकद्दमा चलाये छोड़ दिये गये	व्यक्ति, जिन पर मुकद्दमा चलाया गया	
इस्तगसा पत्र	स्वयं मैजिस्ट्रेट द्वारा या पुलिस से सूचना मिलने पर				जो अपराध मुकद्दमा हुए या जिन पर चलाये गये मुकद्दमे खारिज हुए	जो अपराधी घोषित किये गये
५	६	७	८	९	१०	११
१,९७७	२०४	३६	२,५६१	३२४	१,४४०	२३९
७५५	१०४	...	१,१३०	२६८	५४७	५०
२२,२२१	१,६२७	५५५	२८,६६५	३,३५७	१३,६६६	१,८९७
९,१०१	१५९	२५५	१०,५५७	१,९८५	४,६७८	७६९
३४,२८५	२,१२०	८४६	४३,१७८	५,६७२	२०,७८९	२,९७३
२३६	१०	...	२८९	२९	१८७	१९
६३१	५	२१	६५५	१९८	२६१	११२
६,७०२	६७८	१३०	८,६७४	१,१००	४,५८९	५६०
७,५६९	६९३	१५१	९,६१८	१,३२७	५,०३७	६६१
२,१५२	६०	२८	२,८०४	६०६	१,२८४	१७५
६०८	...	...	६६९	१२४	१००	१०७
५,४७६	१३१	४१०	६,१६७	१,२४२	३,०३७	२८०
२,६५५	१७	१०३	३,०७०	५३६	१,३५६	१५२
१,७३६	१०६	२४	२,१५८	३७३	१,१०५	१६७
१,१५७	५६	१७	१,२८६	१६८	४६९	४९६

विवरण-

ऐसे अपराधों की सूची, जिनमें पुलिस
भाग २—मामलों से सम्बन्धित

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	वर्णित व्यक्तियों की संख्या के प्रतिशत की ऐसे व्यक्तियों की संख्या के प्रतिशत से तुलना, जिसके विरुद्ध दुरुस्ती जारी किया गये (स्तम्भ ५ और ७)
१	२	३	१२
१४	३५२, ३५५, ३५८ ..	आपराधिक बल प्रयोग ..	...
१५	३३४ ..	चोट पहुंचाना और अचानक उत्तेजना विलाना ...	..
१६	३२३ ..	जानबूझ कर चोट पहुंचाना ..	...
१७	३७४ ..	अनिवार्य श्रम ...	...
		योग ..	...
		वर्ग ५—संपत्ति के विरुद्ध छोटे अपराध	
१८	४१७ से ४१८ ..	धोखा देना ..	...
१९	४०३ से ४०५ ..	संपत्ति का आपराधिक अपहरण ..	..
२०	४२६, ४२७, ४३४ ..	दुष्टता (साधारण) ..	..
		योग ..	..
		वर्ग ६—ग्रन्थ अपराध, जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं किये गए हैं	
२१	२९५-ए, २९६ ..	घमं विरुद्ध अपराध ..	..
२२	४९० से ४९२ ..	नौकरी के संविदा का आपराधिक उल्लंघन ..	..
२३	४९३ से ४९८ ..	विवाह संबंधी अपराध ..	..
२४	५०० से ५०३ ..	मानहानि ..	..
२५	५०४, ५०६ से ५१० ..	धमकी, अपमान और छेड़खानी ..	..
२६	२७१ से २७६, २७८, २८८, २९०	सार्वजनिक या स्थानीय कष्टदायक कार्य	...

पत्र 'ख'—(ग्रसमाप्त)

हस्तक्षेप नहीं करती, वर्ष सन् १९५६ ई०

व्यक्तियों की सूची

विशेष विवरण

वर्ष के अंत में विचाराधीन व्यक्तियों की संख्या	उन मुकद्दमों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या, जिनमें मुकद्दमे चलाकर छोड़ दिये गये, जिनमें राजीनामा कर दिया गया था मुकद्दमे वापस ले लिये गये और मुकद्दमों से संबंधित ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिनमें सुनवाई के दौरान में अभियुक्त मर गया, भाग गया या पागल हो गया	स्तम्भ ११ में उल्लिखित ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिनके सम्बन्ध में न्यायालय ने यह निर्णय किया है कि उन्होंने पुलिस के हस्तक्षेप योग्य अपराध किया	व्यक्ति जो उपस्थित होने के पहिले मर गये, भाग गये या स्थानांतरित कर दिये गये
१३	१४ (क)	१४ (ख)	१४ (ग)
३८०	१७८	..	..
२५९	६	३	..
४,९७७	४,७६८	..	..
१,२९४	१,५३१	..	..
६,६५२	६,४९२	४	..
२७	२७	..	..
५७	२७	१	..
१,४७०	१,५५	..	..
१,५५४	१,००६	१	..
५००	२३६	..	..
५०	२८८	..	..
८०५	८०३	..	..
४९६	५२४	..	..
२६८	२४५	..	..
१०५	५१	..	..

विवरण-

ऐसे अपराधों की सूची, जिनमें पुलिस
भाग २—मामलों से सम्बन्धित

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	मुकद्दमों से सम्बन्धित ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिनके मुकद्दमों की सुनवाई हो रही है या जिनके विरुद्ध दुरुपनाम जारी किये गये हैं
१	२	३	४
२७	२९४-ए ...	लाटरी निकालने का आफिस (लाटरी कार्यालय चलाना) ..	४८७
२८	सी० पी० सी० के अध्याय ८-क तथा सेक्शन १०६ सी० आर० पी० सी०	बंझित होने के पश्चात् शान्तिमय रहने का मुचलका	६७२
२९	सी० पी० सी० के अध्याय १० के मुकद्दमे	सार्वजनिक कण्टदायक कार्य ..	६०८
३०	सी० पी० सी० के अध्याय १२ के मुकद्दमे	अचल संपत्ति संबंधी झगड़े ..	३,५६३
३१	सी० पी० सी० के सेक्शन २५० के अधीन मुकद्दमे	अनर्थक, ओछे, संतापदायक आरोप लगाना	३५९
३२	सी० पी० सी० के सेक्शन ५१४ के अधीन मुकद्दमे	बान्धों का जस्त करना ..	३८५
		योग ..	८,६५६
३३	अन्य विशेष या स्थानीय कानूनों के अधीन ऐसे अपराध, जो पुलिस के हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं	...	७,१२३
३४-अ	१०७ सी० आर० पी० सी०	...	३७,४४६
३४-बी	१०६ ,, ,,	...	३,०६६
३४-सी	११० ,, ,,	...	८७६
		योग ..	४८,५४४
		बड़ा योग ..	६९,२८३

पत्र 'ख'—(प्रसमाप्त)

हस्तक्षेप नहीं करती, वर्ष सन् १९५६ ई०

व्यक्तियों की सूची

व्यक्ति, जिनके विरुद्ध हुक्मनाम जारी किये गये		व्यक्ति, जो गिरफ्तार न किये जा सके, क्योंकि वे वर्ष के दौरान में फरार थे या गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे थे अथवा वे समन के आदेशों का पालन न कर सके तथा ऐसे व्यक्ति, जिनके विरुद्ध वर्ष के समाप्त होने पर हुक्मनाम तामील होने के लिये पड़े हुए थे	व्यक्ति, जो व्याधालय में उपस्थित हुए (क)	व्यक्ति, जो उपस्थित होने पर बिना मुकद्दमा चलाये छोड़ दिये गये	व्यक्ति, जिन पर मुकद्दमा चलाया गया	
५	६				जो अपराधपुत्र हुए या जिन पर चलाये गये मुकद्दमे खारिज हुए	जो अपराधी घोषित किये गये
१,२३६	३७	१	१,७६२	५६१	४६३	२४
२,८९४	१,१५६	...	५,०२२	७२२	२,९९७	४६३
२,९१९	३४३	६०६	३,२६१	४११	१,८०५	५९५
१३,३२८	८५९	८६	१७,६६४	२,४४१	७,४२१	३,६५४
२,७२६	७३	३२८	२,८३३	४२०	१,४३५	६८६
५,५२६	२,५४२	६	८,४५०	२९७	१,५६८	६,०३४
४२,४२५	५,४१०	१,६१२	५५,१७६	८,२०४	२२,६६३	१३,१६३
६,१२,४९	३०,३६५	१,६२८	१,२७,१०६	३,५२८	२५,४६८	८६,८५८
९१,७०९	३५,२६२	१४६	१,६४,२७४	१६,३८४	५६,५८६	२८,९१७
७,७१५	४,८९१	१२	१५,६६०	२६०	१,६४६	१०,०२४
१,५०७	८८२	..	२६५	४२	३८५	१,९७५
१,९२,१८०	७१,४००	१,७८६	३,१०,३३८	२०,२१४	८४,३८५	१२७७७४
२,६१,१२६	८२,३३०	४,६०४	४,३७,८३५	३७,१८४	१,४०,९९९	१,४८,५५१

(क) ऐसे व्यक्ति, जिनके मुकद्दमे पिछले वर्ष से विचाराधीन हैं, इस स्तम्भ में सम्मिलित किये जाने चाहिये।

विवरण-

ऐसे अपराधों की सूची, जिनमें पुलिस
भाग २—मामलों से सम्बन्धित

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	वंडित व्यक्तियों की संख्या के प्रतिशत को ऐसे व्यक्तियों की संख्या के प्रतिशत से तुलना, जिनके विरुद्ध दुरुस्माने जारी किये गये (स्तम्भ ५ और ७)
१	२	३	१२
२७	२६४-ए ..	लाटरी निकालने का आफिस (लाटरी कार्यालय चलाना) ..	...
२८	सी० पी० सी० के अध्याय ८-क तथा सेक्शन १०६ सी० आर० पी० सी०	वंडित होने के पश्चात् शान्तिमय रहने का मुचलका	...
२९	सी० पी० सी० के अध्याय १० के मुकद्दमे	सार्वजनिक कष्टदायक कार्य ..	...
३०	सी० पी० सी० के अध्याय १२ के मुकद्दमे	अचल संपत्ति संबंधी झगड़े ..	...
३१	सी० पी० सी० के सेक्शन २५० के अधीन मुकद्दमे	अनर्थक, झोछे, सन्तापदायक आरोप लगाना	..
३२	सी० पी० सी० के सेक्शन ५१४ के अधीन मुकद्दमे	बान्धों का जठत करना	...
		योग ..	..
३३	अन्य विशेष या स्थानीय कानूनों के अधीन ऐसे अपराध, जो पुलिस के हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं	...	..
३४-ए	१०७ सी० आर० पी० सी०	...	..
३४-बी	१०९ " "	..	...
३४-सी	११० " "	...	...
		योग ...	...
		बड़ा योग ..	...

पत्र 'ख'—(समाप्त)

हस्तक्षेप नहीं करती, वर्ष सन् १९५६ ई०
व्यक्तियों की सूची

वर्ष के अन्त में विचाराधीन व्यक्तियों की संख्या	विशेष विवरण		
	उन मरुहों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या, जिनमें मरुह में चलाकर छोड़ दिया गये, जिनमें राजीनामा कर दिया गया वा मरुह में वापस ले लिये गये और मरुहों से सम्बन्धित ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिनमें सुनवाई के दौरान में अभियुक्त मर गया, भाग गया या पागल हो गया	सन् १९ में उल्लिखित ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिनके सम्बन्ध में न्यायालय ने यह निर्णय किया कि उन्होंने पुलिस के हस्तक्षेप योग्य अपराध किये	व्यक्ति, जो उपस्थित होने के पहिले मर गये, भाग गये या स्थानान्तरित कर दिये गये
१३	१४ (क)	१४ (ख)	१४ (ग)
१४३	२७१	..	..
८५६	४	..	..
३३६	११४	..	..
३,०४२	८३६	..	..
२८७	५	..	..
४६०	९१	..	..
७,३४८	३,४७१	..	..
४,५११	६,७४४	..	..
३६,६१३	२५,७७४	..	..
३,३१७	१४३	..	..
८५८	५	२९	..
४५,२९९	३२,६६६	२९	..
६४,५८८	४६,५१३	५६	..

बिवरण -

चुराई गई तथा बरामद की

अपराध	ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें सम्पत्ति चोरी गई	ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें सम्पत्ति बरामद की गई
१	२	३
क--पुलिस के हस्तक्षेप करने योग्य—		
१— (क) छिपकर घर में प्रवेश करने या संध लगाने के साथ-साथ ...	१५,२६०	२,७०४
(ख) चोरी गई सम्पत्ति के प्राप्त करने के साथ-साथ...	...	२१५
(ग) अन्य चोरियां ..	२२,५३३	६,२६८
२—राहजनों { (क) डकैती ..	५४८	२१७
(ख) अन्य राहजनी ..	४३६	१३८
३—आपराधिक विश्वासघात ..	१,६४३	१६०
४—सरकारी कर्मचारी या महाजन व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वास- घात ...	३७७	३७
योग ..	४०,७६७	१,७३६
ख--पुलिस के हस्तक्षेप न करने योग्य—		
१—घन अपहरण (Extortion) ..	११	१
६—आपराधिक अपहरण (criminal misappropriation) ..	३	..
योग ..	१४	१

पन्ना 'ग'

गई सम्पत्ति की सूची, १९५६ ई०

ऐसे मामलों की तुलना में, जिनमें सम्पत्ति की चोरी हुई थी, बरामद की गई सम्पत्ति के मामलों का प्रतिशत	चोरी गई सम्पत्ति की धनराशि	बरामद की गई सम्पत्ति की धनराशि	चोरी की गई सम्पत्ति के मूल्य का बरामद की गई सम्पत्ति के मूल्य से प्रतिशत	विशेष विवरण
४	५	६	७	८
१७.७	७८,५६,११४	४,०७,६९०	५.२	
...	...	२८,८२३)	...	
२८.८	५७,३३,६७३	८ २५,३१९)	१४.९	
३६.६	१२,४५,११२	३२,९७९	२.६	
३१.६	२,१३,६००	२१,९७२	१०.३	
६.१	६,४५,५६५	५०,४२९	७.८	
९.८	३,६४,६०८	१२,११६	३.३	
२३.८	१,६०,५८,७०२	१३,७९,६२८	८.६	
९.१	२१७	३०	१४.३	
..	४३०	...	..	
७.१	६४७	३०	४.६	

विवरण-
चोरियों तथा राहजनी द्वारा सम्पत्तियों

क्रम-संख्या	अपराध	ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें सम्पत्ति चोरी गई	ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें सम्पत्ति बरामद की गई
१	२	३	४
१	ताम्रतारों की चोरी	३७४	९९
२	पशुओं की चोरी	३,५०६	१,७७५
३	साइकिलों की चोरी	३,७४८	६२३
४	मोटर गाड़ियों तथा उसके पुर्जों की चोरी	५१	१५
५	आग्नेयास्त्रों की चोरी	२५५	१०८
६	विस्फोट पदार्थों की चोरी	१	१

पत्र 'ग ग'

के अपहरण का वर्गीकरण सन् १९५६ ई०

उन मामलों की तुलना में जिसमें सम्पत्ति की चोरी हुई थी, बरामद की गई सम्पत्ति के मामलों का प्रतिशत	चोरी गई सम्पत्ति की घनराशि	बरामद की गई सम्पत्ति की घनराशि	चोरी गई सम्पत्ति के मूल्य का बरामद की गई सम्पत्ति के मूल्य से प्रतिशत
६	६	७	८
२६.४	४० ७५,२६१	४० ६,४०९	८.५
४०.६	९,८७,३३६	५,१२,०८४	५१.८
१६.६	४,९३,०४३	१,०४,७७४	२१.०४
२९.४	४१,५६५	३५,२२५	६८.३
४२.३	१,०२,६०४	३३,२४६	३२.४
१००	५	५	१००

विवरण-
पुलिस के कर्मचारियों की

क्रम-संख्या		जिला/यूनिट		इन्स्पेक्टर जनरल तथा डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरलों की संख्या		पुलिस सुपरिन्टेण्डेंटों की संख्या		असिस्टेंट पुलिस सुपरिन्टेण्डेंटों की संख्या		डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेण्डेंटों की संख्या		इन्स्पेक्टरों की संख्या	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
		स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
१	आगरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
२	अलीगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३	बुलन्द शहर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
४	बेहराइन	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
५	एटा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
६	मैनपुरी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
७	मेरठ	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
८	मथुरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
९	मुजफ्फरनगर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
१०	सहारनपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	योग	...	...	१२	...	६	...	२१	१०	४३	१	...	...
११	इलाहाबाद	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
१२	बांदा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
१३	कानपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
१४	इटावा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
१५	फर्रुखाबाद	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
१६	फतेहपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
१७	हमीरपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
१८	जालौन	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
१९	म्रांसी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	योग	...	...	१२	...	५	...	१९	९	४२	...	...	...

पत्र 'घ'

संख्या और उन पर होने वाला व्यय, १९५६ ई०]

सब-इन्स्पेक्टरों की संख्या		साबैन्टों की संख्या		असिस्टेंट सब-इन्स्पेक्टरों की संख्या		हेड कान्स्टेबलों की संख्या					
१		२		३		४		५		६	
स्थायी	अस्थायी	स्थायी		स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
५०१	७५	७	...	...	...	१,१५४	१५	...	...	१०	...
१३	३०	२	...	...	...	२०६	२	...	...	५	...
३५	३०	...	...	...	...	७५	...	...	...	...	...
१११	५५	३	...	...	...	५९९	२	...	...	५	...
४०	५	...	...	...	...	७९	...	...	...	...	...
४५	...	...	...	...	...	८७	...	...	...	...	...
३३	...	...	...	...	...	६२	...	...	...	...	...
३५	...	...	...	...	...	७५	२	...	...	...	...
२४	१	...	...	...	...	७५	२	...	...	...	...
५७	७	१	...	...	...	१६५	१	...	...	...	...
४७५	१११	६	...	...	...	१,१३२	१	...	...	१०	...

विवरण—
पुलिस के कर्मचारियों की

क्रम-संख्या	जिला/यूनिट	कान्स्टेबुलों की संख्या					
		पंडल		जल-सम्बन्धी		घुड़सवार	
		१४		१५		१६	
१	२	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
१	आगरा ...	१,४२२	१७	..	...	२५	..
२	अलीगढ़ ..	६०५	१४	..	..	..	..
३	बुलन्दशहर ...	७०४	११	..	..	..	..
४	बेहराबून ...	६३२	७	..	..	..	..
५	एटा ..	५२४	७	...	..	..	..
६	मैनपुरी ...	४६२	१	...	..	..	..
७	मेरठ ...	१,२८८	३१	...	..	२५	..
८	मथुरा ...	६५२	४	...	..	..	..
९	मुजफ्फरनगर ...	५६६	६	...	..	..	..
१०	सहारनपुर ...	६३४	८	...	..	..	..
	योग ...	८,११९	१०६	..	...	५०	...
११	इलाहाबाद ...	१,५२५	१७	...	...	२५	...
१२	बाँदा ..	५२२	१	...	...	..	...
१३	कानपुर ...	२,१८५	१७	..	...	२५	..
१४	इटावा ...	५६४	१	...	...	..	...
१५	फर्रुखाबाद ...	६२५	१	...	...	..	...
१६	फतेहपुर ...	४०८	४	...	...	..	...
१७	हमीरपुर ...	५१३	१५	...	..	..	...
१८	जालौन ...	४५४	६	...	...	..	...
१९	मौवा	१,०७५	८	...	...	..	...
	योग ...	७,८७०	७०		...	५०	...

पत्र 'घ'—(कमशः)

संख्या और उन पर होने वाला व्यय, १९५६ ई०

योग		कुल व्यय, जिसका भुगतान सेन्द्रल तथा स्टेट राजस्वों से होता है	कुल व्यय, जिसका भुगतान सेन्द्रल तथा स्टेट राजस्वों को छोड़कर अन्य साधनों से होता है	कुल व्यय का योग (कालम १८ तथा १९)	जिले का क्षेत्रफल (वर्गमील में)
१७	१८	१९	२०	२०	२१
स्थायी	अस्थायी				
१,७३३	५६				१,७८९
१,१०१	२२				१,१२३
५५६	१२				५६८
७८३	१०				१,१२३
६५०	११				१,७१५
६०४	२				१,६५०
१,५७४	६२				२,३२३
७९३	६				१,४६७
८८४	१				१,६८३
१३५	१७				२,१२६
८,९२३	२०७	६,१२,०८,३०० रु०		६,१२,०८,३०० रु०	१७,८७६
१,५७३	५०				२,७८५
६४२	३				२,९६५
२,६४५	७५				२,३७२
६८८	७				१,६७०
७६५	१२				१,६०७
५०८	५				१,६२१
६३२	१५				२,७४४
५५५	१०				१,७६२
१,३६०	१७				३,८०५
८,६२०	२००				२१,४४१

विवरण-
पुलिस के कर्मचारियों की

क्रम-संख्या	जिला/यूनिट	जिले की जन-संख्या	जिले की शहरी जन-संख्या	पुलिस थानों की संख्या	पुलिस चौकियों की संख्या
१	२	२२	२३	२४	२५
१	आगरा ..	१५,०१,३९१	४,६७,८६२	२६	४१
२	अलीगढ़ ..	१५,४३,५०६	२,८६,५१८	१८	१८
३	बुलन्दशहर ..	१४,९९,८८४	२,३३,४३६	१६	२७
४	वेहरावून ..	३,६२,००५	१,७३,५९६	६	२८
५	एटा ..	११,२४,३५१	१,३८,३४५	१५	६
६	मैनपुरी ..	६,६३,८६०	७५,२७४	१३	६
७	मेरठ ..	२२,८१,२१७	४,६६,६७६	२३	४३
८	मथुरा ..	६,१२,२६४	१,८४,६७२	१६	१८
९	मुजफ्फरनगर ..	१२,२१,७६८	२,०५,२१६	१३	१७
१०	सहारनपुर ..	१३,५३,६३६	३,३७,५५१	१८	३३
	योग ...	१,२७,६३,६१२	२६,३३,१४९	१६७	२४०
११	इलाहाबाद ...	२०,४८,२५०	३,६६,१२७	३०	३२
१२	बांदा ..	७,६०,२४७	५८,८०२	१८	११
१३	कानपुर ..	१९,३६,८६७	७,१९,३८५	२६	४२
१४	इटावा ..	६,७०,६६५	१,०१,१०१	१८	११
१५	कसबाबाद ..	१०,६२,६४१	१,३६,८६५	१५	१४
१६	फतेहपुर ..	६,०८,६८५	४७,६३७	१३	५
१७	हरमीपुर ..	६,६५,४२६	७४,६६८	१६	८
१८	जालौन ..	५,५५,२३९	८८,४४२	११	२१
१९	सांसी ...	८,७७,६०७	२,१३,२५२	२७	३५
	योग ...	९८,४८,९६०	१,८०,९०९	१८०	१७९

पत्र 'घ'—(क्रमशः)

संख्या और उन पर होने वाला व्यय, १९५६ ई०

पुलिस का अनुपात		हस्तक्षेप योग्य अपराधों की कुल संख्या, जिनमें जांच की गई	पुलिस द्वारा हस्तक्षेप योग्य जांच किए गये अपराधों का पुलिस-दल से अनुपात २८.१६	विशेष विवरण
क्षेत्रफल के विचार से	जन-संख्या के विचार से			
२६	२७	२८	२९	३०
१ पर १.०३	१ पर ८३९	४,१२६	२.३	...
१ पर १.७	१ पर १,३७४	२,७६६	२.४	...
१ पर २.१	१ पर १,७२७	१,५४८	१.६	...
१ पर १.५	१ पर ४५८	१,९५४	२.४	...
१ पर .५०९	१ पर १,७००	२,२८७	३.६	...
१ पर २.७	१ पर १,६३७	१,३६२	२.२	...
१ पर १.५	१ पर १,३६४	४,०९२	२.४	...
१ पर १.८	१ पर १,१४१	१,८०७	२.२	...
१ पर २.५	१ पर १,७३८	१,७९१	२.५	...
१ पर १.८	१ पर १,१७४	२,७३७	२.३	...
१ पर १.७६	१ पर १,२५३	२४,५०३	२.४	...
१ पर १.४	१ पर १,०६५	६,६८१	३.५	...
१ पर ४.६	१ पर १,२२५	१,०८६	१.६	...
१ पर १.१३	१ पर ७१९	१२,७०२	४.६	...
१ पर .८८	१ पर १,३९५	४,०८५	५.८	...
१ पर २.३६	१ पर १,४०६	२,१५६	२.७	...
१ पर ३.१	१ पर १,७६८	१,३८६	२.६	...
१ पर ४.२	१ पर १,०२०	७८०	१.०४	...
१ पर ३.१	१ पर ९७३	७२०	१.२	...
१ पर २.९	१ पर ६२२	१,५९४	१.४	...
१ पर २.१	१ पर १,००३	३१,१६३	३.१७	...

विवरण-
पुलिस के कर्मचारियों की

क्रम-संख्या	जिला/यूनिट	इन्स्पेक्टर जनरल तथा डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरलों की संख्या	पुलिस सुपरिन्टेण्डेंटों की संख्या	असिस्टेंट पुलिस सुपरिन्टेण्डेंटों की संख्या	डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेण्डेंटों की संख्या	इन्स्पेक्टरों की संख्या	
१	२	३	४	५	६	७	
		स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
२०	बरेली	...	...	१	...	...	...
२१	बिजनौर	...	...	१	...	...	...
२२	बदायूं	...	...	१	...	...	...
२३	खीरी	...	...	१	...	...	...
२४	मुरादाबाद	...	...	१	...	...	...
२५	पौलीभीत	...	...	१	...	१	...
२६	शाहजहांपुर	...	...	१	...	१	...
२७	रामपुर	...	...	१	...	१	...
	योग	...	...	८	...	१५	...
२८	नैनीताल	...	...	१	...	१	...
२९	अल्मोड़ा	...	...	...	...	...	...
३०	गढ़वाल (प. डो)	...	...	१	...	...	...
३१	देहरी गढ़वाल	...	...	१	...	...	...
	योग	...	...	३	...	३	...
३२	बहराइच	...	...	१	...	१	...
३३	बाराबंकी	...	...	१	...	१	...
३४	फैजाबाद	...	...	१	...	...	...
३५	गोंडा	...	...	१	...	१	...
३६	हरदोई	...	...	१	...	१	...
३७	लखनऊ	...	...	२	...	५	...

पत्र 'घ'—(कमशः)

संख्या और उन पर होने वाला व्यय, १९५६ ई०

[illegible]

विशरण-
पुलिस के कर्मचारियों की

क्र.सं.	जिला/यूनिट	कास्टेबुलों की संख्या					
		पंवल		जल-संस्थी		घुड़सवार	
		स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
१	२	१४	१५	१६	१७	१८	१९
२०	बरेली ...	९७९	१२	...	...	...	...
२१	बिजनौर ...	६५१	१	...	...	...	...
२२	बवायूं ...	६६७	६	...	...	...	...
२३	खीरी ...	४३६	४४	...	...	...	...
२४	मुरादाबाद ...	१,१३६	७	...	...	...	...
२५	पीलीभीत ...	३७१	९	...	...	...	...
२६	शाहजहांपुर ...	७६३	१	...	...	...	...
२७	रामपुर ...	५१६	५५	...	...	...	...
	योग ...	५,११९	१३५	...	...	...	...
२८	नैनीताल ...	७२४	११२	...	...	...	...
२९	अल्मोड़ा ...	...	...	...	...	...	...
३०	गढ़वाल (पौड़ी) ...	१९०	१९	...	...	...	...
३१	देहरा गढ़वाल ...	१८७	१२	...	...	...	...
	योग ...	१,१०१	१४३	...	...	...	...
३२	बहराइच ...	५०५	२८	...	...	...	...
३३	बाराबंकी ...	४२५	१५	...	...	...	...
३४	फैजाबाद ...	६६०	२०	...	...	...	...
३५	गोंडा ...	५८६	२६	...	...	...	...
३६	हरदोई ...	६०३	४	...	...	...	...
३७	लखनऊ ...	१,७०४	४३	...	...	३०	...

पञ्च 'घ'—(कमशः)

संख्या और उन पर होने वाला व्यय, १९५६ ई०

योग		कुल व्यय, जिसका भुगतान सेन्ट्रल तथा स्टेट राजस्वों से होता है	व्यय, जिसका भुगतान सेन्ट्रल तथा स्टेट राजस्वों को छोड़कर अन्य सार्वजनिक स्रोतों से होता है	कुल व्यय का योग (कालम १८ तथा १९)	जिले का क्षेत्रफल वर्गमील में
१७	१८	१९	२०	२१	
स्थायी	अस्थायी				
१,१८५	३१			१,५९१	
७८३	११			१,८६७	
८१५	१२			१,९९६	
५४८	५५			२,९७२	
१,३५७	१७			२,२८९	
४५८	१५			१,३५३	
९३३	८			१,७०९	
६४०	६७			९००	
६,७१९	२१६			१४,६७७	
८६५	१४०			२,६३२	
...	...			५,४९५	
२३४	३०			५,६२९	
२३७	१७			४,५२२	
१,३६६	१८७			१८,२७८	
६२०	४०			२,६५४	
५३३	२१			१,७२३	
८०७	२९			१,७१०	
७३३	३५			२,८२६	
७४१	११			२,४१६	
२,०८९	८०			१७६	
		६,१२,०८,३०० रु०	६,१२,०८,३०० रु०		

विवरण
पुलिस के कर्मचारियों की

क्रम-संख्या	जिला/यूनिट	जिले की जन-संख्या	जिले की शहरी जन-संख्या	पुलिस थानों की संख्या	पुलिस चौकियों की संख्या
१	२	२२	२३	२४	२५
२०	बरेली ...	१२,६६,२३३	२,८०,२४७	२०	१६
२१	बिजनौर ...	९,८४,१६६	२,३६,६६१	१७	१७
२२	बदायूं ...	१२,५१,१५२	१,४५,३४४	१६	१९
२३	खीरी ...	१०,५८,३४३	७७,२६२	१४	६
२४	मुरादाबाद ...	१६,६०,९५५	३,९६,३६०	१६	३३
२५	पीलीभीत ...	५,०४,४२८	७५,१३६	९	७
२६	शाहजहांपुर ...	१०,०४,३७८	१,५०,४००	१७	२१
२७	रामपुर ...	५,४३,३२४	१,७४,३४२	११	१७
	योग ...	८२,७६,००६	१५,३५,७५५	१२३	१३८
२८	नैनीताल ...	३,३५,४१४	७३,९९९	१६	२६
२९	अल्मोड़ा ...	७,७२,८९६	२३,५३८	..	...
३०	गढ़वाल (पौड़ी)	६,३९,६२५	१७,६४३	७	११
३१	देहरी गढ़वाल...	४,१२,०४७	७,१५०	४	५
	योग ...	२१,५९,९८२	१,२२,६३०	२७	४५
३२	बहराइच ...	१३,४६,३३५	७१,५९९	१५	८
३३	बाराबंकी ...	१२,६४,२०४	८३,०९९	१३	१०
३४	फैजाबाद ...	१४,८१,७६६	१,३६,७८६	१५	२२
३५	गोंडा ...	१८,७७,४८४	९१,६८०	१७	१२
३६	हरदोई ...	१३,६१,५६२	१,२२,६५२	१५	१६
३७	कलनऊ ...	११,२८,१०१	५,२०,५२४	१५	४९

पत्र 'घ'—(क्रमशः)

संख्या और उन पर होने वाला व्यय, १९५६ ई०

पुलिस का अनुपात		हस्तक्षेप योग्य अपराधों की कुल संख्या, जिनमें जांच की गई	पुलिस द्वारा हस्तक्षेप योग्य जांच किये गये अपराधों का पुलिस दल से अनुपात २८-१६	विशेष विवरण
क्षेत्रफल के विचार से	जन-संख्या के विचार से			
२६	२७	२८	२९	३०
१ पर १.३	१ पर १,०४३	५,५४०	१ पर ४.५	...
१ पर २.३	१ पर १,२३६	१,१५७	१ पर १.५	...
१ पर २.४	१ पर १,५१२	२,०४१	१ पर २.४	...
१ पर ४.६	१ पर १,७५८	१,२०५	१ पर २.३	...
१ पर १.६	१ पर १,२१८	२,४१४	१ पर १.८	...
१ पर २.९	१ पर १,०६६	१,६२	१ पर १.६	...
१ पर १.६	१ पर १,०६७	२,५३०	१ पर २.६	...
१ पर १.३	१ पर ७६८	१,७१६	१ पर २.४	...
१ पर २.१	१ पर १,१९३	१७,३६५	१ पर २.४	...
१ पर ७.८	१ पर ३२४	१,६०२	१ पर १.५	...
...	...	...	...	...
१ पर २१.३	१ पर २,४१२	२८६	१ पर १.०७	...
१ पर १७.८	१ पर १,६१६	१३७	१ पर १.५	...
१ पर ११.७	१ पर १,३९१	२,०२५	१ पर १.३	...
१ पर ३.८	१ पर २,०३८	१,७०३	१ पर २.६	...
१ पर ३.१	१ पर २,२८१	१,१६५	१ पर २.०६	...
१ पर ०.०४	१ पर १,७७२	१,७१०	१ पर .२	...
१ पर ३.७	१ पर २,४७६	१,५८४	१ पर २.०९	...
१ पर ३.२	१ पर १,८१०	२,४५५	१ पर ३.२	...
१ पर .४४	१ पर ५२७	१२,२००	१ पर ५.८	...

**विषय-
विषय-**

पुलिस के कर्मचारियों की

क्रम-संख्या	जिला/यूनिट	इन्स्पेक्टर जनरल तथा डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरलों की संख्या	पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टों की संख्या	असिस्टेंट पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टों की संख्या	डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टों की संख्या	इंसपेक्टरों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
३८	प्रतापगढ़	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
३९	रायबरेली	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
४०	सीतापुर	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
४१	मुल्तानपुर	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
४२	उन्नाव	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
	योग ...	१२	१२	१२	१२	१२
४३	आजमगढ़	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
४४	बलिया	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
४५	बस्ती	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
४६	वाराणसी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
४७	गाजीपुर	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
४८	गोरखपुर	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
४९	देवरिया	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
५०	झीनपुर	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
५१	मिर्जापुर	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
	योग ...	१०	१०	१०	१०	१०
५२	सी० आई० डी०	१	१	१	१	१
५३	पुलिस ट्रेनिंग कालेज	१	१	१	१	१
५४	गवर्नमेंट रेलवे पुलिस	१	१	१	१	१
५५	रेलवे सुरक्षा पुलिस	१	१	१	१	१

पञ्च 'च'—(क्रमशः)

संख्या और उन पर होने वाला व्यय, १९५६ ई०

[illegible]

विवरण-
पुलिस के कर्मचारियों को

क्रम-संख्या	जिला/यूनिट	कान्स्टेबलों की संख्या					
		पैदल		जल-सम्बन्धी		घुड़सवार	
१	२	१४		१५		१६	
		स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
३८	प्रतापगढ़ ...	३४४	१३	...	...	...	...
३९	रायबरेली ...	४२८	६	...	...	...	...
४०	सीतापुर ...	६१०	१	...	...	...	...
४१	सुल्तानपुर ...	३४५	६	...	...	...	...
४२	उन्नाव ...	४३४	१	...	...	...	...
	योग ...	६,६४४	१६३	...	...	३०	...
४३	भाजमगढ़ ..	६०७	२९	...	...	...	...
४४	बलिया ..	४२०	१७	...	...	...	...
४५	बस्ती ..	५८७	३१	...	...	...	...
४६	वाराणसी ..	१,३८१	३४	९	...	१५	...
४७	गाजीपुर ..	४२२	३०	...	...	...	...
४८	गोरखपुर ..	७७३	२८	...	...	...	...
४९	देवरिया ..	४७२	१५	...	...	...	...
५०	मौनपुर ..	४८१	७	...	...	...	...
५१	मिर्जापुर ..	५६९	२४	...	...	...	...
	योग ...	५,७१२	२१५	९	...	११	...
५२	सी० आई० डी०	४६१	३४७	...	...	...	...
५३	पुलिस ट्रेनिंग कालेज	४	...	...	...	१	...
५४	गवर्नमेंट रेलवे पुलिस	१,१९०	३८५	...	...	...	...
५५	रेलवे सुरक्षा पुलिस	...	१,११८	...	...	...	...

पत्र 'घ'—(क्रमशः)

संख्या और उन पर होने वाला व्यय, १९५६ ई०

योग		कुल व्यय, जिसका भुगतान सेन्ट्रल तथा स्टेट राजस्वों से होता है	कुल व्यय, जिसका भुगतान सेन्ट्रल तथा स्टेट राजस्वों को छोड़कर अन्य साधनों से होता है	कुल व्यय का योग (कालम १८ तथा १९)	जिले का क्षेत्रफल वर्गमील में
१७	१८	१९	२०	२१	
स्थायी	अस्थायी	६,१२,०८,३०० रु०	६,१२,०८,३०० रु०	१,४५७	
४३७	१४			१,७६५	
५३७	१			२,२०८	
७५६	२			१,६९९	
४३७	१			१,७६२	
५४५	२			२१,१९६	
८,२२५	२५२			२,२१७	
७४८	३६			१,१८३	
५२७	२६			२,८२२	
७१६	४४			१,६६५	
१,६८७	७१			१,३०६	
५२४	३९			२,४३७	
९३८	४७			२,०८७	
५८५	१९			१,५५५	
६०१	८			४,३६९	
६८९	३४			१९,९४१	
७,०१५	३२४			३६,७९,६००	४,३५,८००
९५६	५८३	४,३५,८००	२१,९९,८००	१६,६०,४००	
४३	२९	२१,९९,८००	२१,९९,८००	...	
१,४५२	४५३	१६,६०,४००	१६,६०,४००	...	
...	१,३८९	...	...	...	

विवरण-
पुलिस के कर्मचारियों की

क्रम-संख्या	जिला/यूनिट	जिला की जन-संख्या	जिला की शहरी जन-संख्या	पुलिस थानों की संख्या	पुलिस चौकियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
३८	प्रतापगढ़	११,१०,७३४	२६,४१७	११	४
३९	रायबरेली	११,५६,७०४	५०,४५३	१३	६
४०	सीतापुर	१३,८०,४१२	१,०४,२६२	१६	१२
४१	मुल्तानपुर	१२,८२,१६७	१७,४९६	१३	१
४२	उन्नाव	१०,६७,२५५	५६,५८१	१४	५
	योग	१,४४,५६,६०७	१२,८१,५४९	१५७	१४५
४३	आजमगढ़	२१,०२,४२३	१,०८,१३२	२१	१२
४४	बलिया	११,९४,६५७	१,११,०४८	१३	११
४५	बस्ती	२३,८७,६०३	४५,६७०	२२	८
४६	वाराणसी	१९,७८,६३४	४,१५,५४७	२६	३६
४७	गान्धीपुर	११,४१,२७८	१,२५,००६	१३	१२
४८	गोरखपुर	२२,३८,५८८	१,६६,६२८	२०	१६
४९	देवरिया	२१,०२,६२७	७२,८३०	१७	८
५०	जौनपुर	१५,१७,१७३	८४,१९१	१५	११
५१	मिर्जापुर	१०,१७,२८९	१,१४,२२५	१९	१०
	योग	१,५६,८०,२७२	१२,४३,३०७	१६६	१२४
५२	सी० आई० डी०		...	...	...
५३	पुलिस ट्रेनिंग कालेज	...	...	...	...
५४	गवर्नमेंट रेलवे पुलिस	..	...	४०	४८
५५	रेलवे सुरक्षा पुलिस	...	...	...	..

पञ्च 'व'--(क्रमशः)

संख्या और उन पर होने वाला व्यय, १९५६ ई०

पुलिस का अनुपात		हस्तक्षेप योग्य अपराधों की कुल संख्या, जिनमें जांच की गई	पुलिस द्वारा हस्तक्षेप योग्य जांच किये गये अपराधों का पुलिस दल से अनुपात २८.१६	विवरण
क्षेत्रफल के विचार से	जन-संख्या के विचार से			
२६	२७	२८	२९	५०
१ पर ३.२	१ पर २,६८३	१,००५	पुलिस १ पर २.८	
१ पर ३.२	१ पर २,११८	१,५१०	१ पर २.७	...
१ पर २.८	१ पर १,५५८	१,७८५	१ पर २.३	..
१ पर ३.८	१ पर २,८७३	१,३५५	१ पर ३.०३	...
१ पर ३.२	१ पर १,९५०	२,२०६	१ पर ४.०४	...
१ पर २.५	१ पर १,७०५	२८,६८१	१ पर ३.३	..
१ पर २.८	१ पर २,६८१	१,७५२	१ पर २.२	...
१ पर २.१	१ पर २,१६०	८३४	१ पर १.५	...
१ पर ३.७	१ पर ३,१४९	१,५७५	१ पर २.०७	...
१ पर १.१	१ पर १,१४६	६,०८८	१ पर ३.४	...
१ पर २.३	१ पर २,०२७	७७९	१ पर १.३	...
१ पर २.५	१ पर २,२६८	२,३९०	१ पर २.४	...
१ पर ३.४५	१ पर ३,६४६	१,०५५	१ पर १.७	...
१ पर २.५५	१ पर २,५०१	१,८३५	१ पर ३.०१	..
१ पर ६.०६	१ पर १,४२०	२,७६१	१ पर ३.८	..
१ पर २.७	१ पर २,१३५	१९,०६८	१ पर २.६	..
..	..	..	..	..
..	..	..	..	..
..	..	३,७०७	१ पर १.९	..
..	..	..	..	..

विवरण-

पुलिस के कर्मचारियों की

क्रम-संख्या	जिला/यूनिट	इन्सपेक्टर जनरल तथा डिप्टी इन्स- पेक्टर जनरलों की संख्या	पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टों की संख्या	असिस्टेंट पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टों की संख्या	डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टों की संख्या	इंसपेक्टरों की संख्या	
१	२	३	४	५	६	७	
		स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
५६	प्र.तीय सशस्त्र आर्म्ड कान्सटेबुलरी	१	..	५	१	१	..
५७	रेडियो सेक्शन	..	..	१	..	..	..
५८	यू० पी० पुलिस हडक्वार्ट्स	७	२	२	१	२	..
५९	यू० पी० पुलिस सेन्ट्रल स्टोर्स	..	..	..	..	१	..
६०	यू० पी० पुलिस फायर सर्विस	..	..	..	..	३	..
	योग ..	९	२	१७	५	७५	१३
	वृहत् योग, १९५६	९	२	७४	५	२०	..

निम्नलिखित गजटेड आफिसर

क्रम-संख्या	नाम	आई० जी० और डी० आई० जी०
१	सेन्ट्रल पी० टी० सी० माउन्ट आबू	..
२	स्पेशल पुलिस दल	..
३	एम० टी० सेक्शन	..
४	छुट्टी	१
५	मुअत्तल	..
६	रिक्त स्थान	..
७	डेपुटेशन	२
	योग	३

पत्र 'घ'—(क्रमशः)

संख्या और उन पर होने वाला व्यय, १९५६ ई०

सब-इंस्पेक्टरों की संख्या		साजेंटों की संख्या		असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टरों की संख्या		हेड कान्स्टेबलों की संख्या					
						पंदल	जल-सम्बन्धी	घुड़मवार			
८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
१८८	६४	१	१	१	१	१,२५८	४१२	१	१	१	१
५८	१	१	१	१	१	५७४	६४	१	१	१	१
५८	१	१	१	१	१	५	१	१	१	१	१
५८	१	१	१	१	१	५	१	१	१	१	१
५८	१	१	१	१	१	५८	१	१	१	१	१
५११	१९०	१	१	१	१	२,०८५	६०७	१	१	१	१
२,७५४	५६०	३४	१	१	१	७,१७६	१,०३६	१	१	३२	१

इस विवरण-पत्र में सम्मिलित नहीं हैं

सुपरिन्टेन्डेन्ट	असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेन्ट	डि० सुपरिन्टेन्डेन्ट	योग
...	६	१	६
अस्थायी १	१	१	१
...	१	१	१
...	१	१	१
...	१	१	१
...	१	१	१
१२	२	३१	४७
१४	२२	४६	८२

विवरण-
पुलिस के कर्मचारियों की

कम-संख्या	जिला/यूनिट	कान्स्टेबलों की संख्या					
		पंदल		जल-सम्बन्धी		घुड़सवार	
१	२	१४		१५		१६	
		स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
५६	प्रान्तीय सशस्त्र आर्म्ड कान्स्टेबलरी	५,८४१	१,८४५	..	...	...	...
५७	रेडियो सेक्शन	३७५	४६	...	...	...	...
५८	यू० पी० पुलिस हेडक्वार्टर्स	२३	१०	...	...	...	...
५९	यू० पी० पुलिस सेंट्रल स्टोर्स	३८	...	...	...	...	...
६०	यू० पी० पुलिस फायर सर्विस	१३३	...	..	..	...	...
	योग	८,०६५	३,७५१	...	...	१	...
	वृहत् योग, १९५६	४३,०३०	४,५८३	६	...	१४६	...

पत्र 'घ'--(क्रमशः)

संख्या और उन पर होने वाला व्यय, १९५६ ई०

योग		कुल व्यय, जिसका भुगतान सेन्ट्रल तथा स्टेट राजस्वों से होता है	कुल व्यय, जिसका भुगतान सेन्ट्रल तथा स्टेट राजस्वों को छोड़कर अन्य साधनों से होता है	कुल व्यय का योग (कालम १८ तथा १९)	जिले का क्षेत्रफल वर्गमील में
१७	१८	१९	२०	२१	
स्थायी	अस्थायी				
७,३९४	२,३४७	१,२७,४२,०००	...	१,२७,४२,०००	..
८१३	११	***	...	***	..
३९	१४	८,३७,७००	...	८,३७,७००	..
४६	...	**	...	**	..
२०१	...	***	...	***	..
१०,९४७	४,९२६	२,१५,५५,३००	..	२,१५,५५,३००	
५३,८९५	६,३१२	८,२७,६३,६००	..	८,२७,६३,६००	१,१३,४०९

१९५६-५७ वर्ष का अन्तिम विनियोग (final appropriation) = ८,६२,१५,०००
रुपया

इस विवरण पत्र के स्तम्भ १८ की संख्या = ८,२७,६३,६००

+ गांव की पुलिस = ३४,५१,४००

८,६२,१५,०००

विवरण-
पुलिस के कर्मचारियों की

क्रम-संख्या	जिला/यूनिट	जिले की जन-संख्या	जिले की शहरी जन-संख्या	पुलिस थानों की संख्या	पुलिस चौकियों की संख्या
१	२	२२	२३	२४	२५
५६	प्रांतीय सशस्त्र आर्म्ड कान्सटेबलरी	...	...	..	..
५७	रेडियो सेक्शन	...	...	..	..
५८	यू० पी० पुलिस हेडक्वार्टर्स	...	...	..	..
५९	यू० पी० पुलिस सेन्ट्रल स्टार्स	...	...	..	...
६०	यू० पी० पुलिस फायर सर्विस	...	...	...	...
	योग ..	...	...	...	...
	वृहत् योग, १९५६	६,३२,१५,७४२	८६,२५,६९९	८६०	९१९

(१०३-क)

पत्र 'घ'—(समाप्त)

संख्या और उन पर होने वाला व्यय, १९५६ ई०

पुलिस का अनुपात		हस्तक्षेप योग्य अपराधों की कुल संख्या, जिनमें जांच की गई	हस्तक्षेप योग्य जांच पुलिस द्वारा हस्तक्षेप योग्य जांच किये गये अपराधों का पुलिस दल से अनुपात २८.१६	विशेष विवरण
क्षेत्रफल के विचार से	जन-संख्या के विचार से			
२६	२७	२८	२९	३०
...	..	..	..	...
...	..	...	..	*** जिला पुलिस दल में सम्मिलित
..	..	..	..	
..	..	...	...	
...	..	...	...	***पो० ए० सी० में सम्मिलित
...	..	...	...	..
...	...	३,७०७	१ १.६	..
१ पर १,८८	१ पर १०५१	१,२६,५४२	१ पर २१	

विवरण-

विवरण-पत्र, जिसमें सन् १९५६ ई० में पुलिस दल की सज्जा,

क्र.सं.	तहसील/यूनिट	कुल संख्या		
		स्वीकृत		वास्तविक
		अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी
१	२	३	४	५

नियुक्ति का प्रकार

		स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
१	आगरा ..	८७	३६	१६३७	१६	८६	३६
२	अलीगढ़ ..	५९	६	१०३८	१५	५९	६
३	बुलन्दशहर ..	४६	.	८०७	११	४६	...
४	बेहराइन ..	४१	१	७३८	८	३९	१
५	एटा ..	४४	२	६०३	८	४४	२
६	मैनपुरी ..	३९	...	१६३	१	३९	...
७	मेरठ ..	८६	६६	१४८१	३५	७६	२६
८	मथुरा ..	४२	१	७०६	४	४२	...
९	मुजफ्फरनगर ..	४०	१	६५२	७	४०	१
१०	सहारनपुर ..	६६	३	१०६५	१३	६४	३
	योग ..	५५०	७६	९३३३	१२१	५३५	७५
११	इलाहाबाद ..	१०२	३०	१७६३	१९	१००	३०
१२	बांदा ..	४०	१	६००	१	४०	१
१३	कानपुर ..	१२०	५८	२५१४	१९	१०७	५८
१४	इटावा ..	४४	५	६४३	१	४२	५
१५	फतेहगढ़ ...	५०	१०	७१२	१	५०	१०
१६	फतेहपुर ..	३७	...	६७०	४	३६	...
१७	हमीरपुर ..	३९	...	५६१	१७	३९	...
१८	जालौन ..	२७	१	५२६	८	२७	१
१९	झांसी ..	६३	७	१२४०	६	६३	५
	योग ..	५२२	११२	६,०६२	७६	५०४	११०

(१०५-क)

पत्र 'क'

अनुशासन और सामान्य आन्तरिक प्रबन्ध दिखलाया गया है।

		दल के अस्त्र						
पुलिसमैन		ब्रेन गनों (Bren guns) की संख्या	स्टेन गन या टोमी गन (Sten guns or Tommy guns) की संख्या	राइफलों की संख्या		चिकनो स्मूथ बोरों (Smooth bores) की संख्या	रिवाल्वर्स की संख्या	वेरी लाइट पिस्तौलों की संख्या
				२२ बोर	३०३ बोर			
६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
स्थायी	अस्थायी							
१६२९	१९	...	५	४६७	१५	७२५	५०	३०
१०३८	१५	...	५	१६७	..	४७७	५३	२२
५०७	११	...	५	१४८	..	३७४	४७	२०
७२५	५	...	५	१६६	...	३३०	३५	१३
६०२	५	...	४	१४७	...	३४५	४३	१९
५६३	१	...	५	२४६	..	३४७	३३	१७
१४७६	३५	...	५	२७२	११	६७५	३३	२७
७४३	४	...	५	२३७	..	३५२	३९	२०
६४६	७	...	१०	१४३	..	३१६	४१	१६
१०६५	१३	...	५	२६४	११	४६०	६२	२१
९२९७	१२१	...	७०	२२७	३७	४४३७	५१५	२०५
१७४७	१६	...	५	२२६	...	६१२	१००	३४
५९७	१	...	४	१४९	...	३७४	३६	२२
२५१४	१९	...	५	२६१	...	११००	१६५	३३
६४३	...	...	८	२३४	...	३५२	५०	२२
७१२	१	...	४	२५१	१०	३६१	५२	१६
४७०	३	...	४	१३७	...	२८५	३२	१७
५८५	१७	...	४	२३६	...	४०४	३२	१३
५२५	५	...	७	२४४	...	३४३	२३	१५
१२३४	९	...	६	४५७	८	७३५	६४	३१
९,०२७	७७	..	५७	२,१९५	१८	४,५९६	५५७	२१६

विवरण-

विवरण-पत्र, जिसमें सन् १९५६ ई० में पुलिस दल की सज्जा, अनुशासन और

क्रम-संख्या	जिला/यूनिट	वण्ड							
		बरखास्त किये गये		बरखास्तगी से भिन्न अन्य रूप में विभाग द्वारा वण्ड दिया गया		पुलिस ऐक्ट के अधीन		भारतीय वण्ड विधान की धाराएं ३३०, ३३१, ३४८ के अधीन	
		अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन
१	२	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१

१	आगरा ..	१	४	४	२८	...	...	...	...
२	अलीगढ़ ..	...	१	...	१३	...	१	...	...
३	बुलन्दशहर ..	..	१	१	२०	...	...	...	...
४	बेहराबून ..	२	१	१	३	...	...	...	...
५	एटा ..	..	३	१	५	...	...	...	...
६	मैनपुरी ..	१	२	...	...	...	...	...	...
७	मेरठ ..	१	११	७	३६	...	...	...	...
८	मथुरा ..	...	...	६	२०	...	२	...	...
९	मुजफ्फरनगर ..	...	४	२	११	...	१	...	...
१०	सहारनपुर ..	...	२	२	१४	...	...	...	...
	योग ..	५	४७	२४	१५६	...	४	...	...
११	इलाहाबाद ..	..	८	२६	३३	...	१	...	...
१२	बांदा ..	...	४	१	२१	...	...	...	...
१३	कानपुर ..	..	१३	४	२३	...	...	...	...
१४	इटावा ..	..	१	१	१०	..	१	...	...
१५	फतेहगढ़ ..	...	२	...	१०	...	...	...	...
१६	फतेहपुर ..	...	२	...	१	...	...	...	...
१७	हमीरपुर ..	...	११	८	२०	...	१	...	...
१८	जालौन ..	...	२	१	१२	...	...	...	...
१९	झांसी ..	..	७	६	१८	...	...	...	१
	योग ..	..	५०	५५	१४८	...	३	...	१

पत्र 'ड'—(असमाप्त)

सामान्य आन्तरिक प्रबन्ध दिखलाया गया है।

				पुरस्कार				शिक्षा	
भारतीय दण्ड विधान के अध्याय ९ के अधीन		अन्य अपराध		वर्ष में पुरस्कृत				उन कर्मचारियों की संख्या, जो पढ़-लिख नहीं सकते	
अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन	पदोन्नति देकर	खिलत, उपहार, अच्छे आचरण के फते अथवा घनराशि देकर	बहादुरी के लिये पदक देकर	अच्छी सेवाओं के लिये पदक देकर		
२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	

..	..	..	..	..	८८५	..	..	..
..	..	..	..	..	२१७	..	..	१३०
..	..	..	१	..	३६१	..	..	११
..	..	..	१	..	१७४	..	..	..
..	..	..	..	..	२६०	..	१	१०
..	..	..	१	..	१३१	..	..	२
..	..	..	..	..	६७७	..	..	१
..	..	..	१	..	३१५	..	..	१३
..	..	..	..	..	२५३	..	..	३४
..	..	..	१	..	५४४	..	..	६६
...	...	..	५	..	३,५३१	...	१	२७५
..	..	..	..	..	६६६	..	..	..
..	..	..	..	..	२६१	..	..	३३
..	..	..	..	..	१४२५	..	..	..
..	..	..	..	..	१३९	..	..	..
..	..	..	..	..	३५०	..	..	२५
..	..	..	..	..	२९०	..	..	१५
..	..	..	..	..	१७३	..	..	..
..	..	..	..	..	३१०	..	..	११
..	..	..	..	..	३८४	..	..	५६
..	..	..	..	..	४,०२८	..	..	१४६

विवरण -

विवरण-पत्र, जिसमें सन् १९५६ ई० में पुलिस दल की सज्जा,

क्रम-संख्या	जिला/यूनिट	कान्स्टेबिलों की संख्या					जो वर्ष में दल
		वर्ष में भर्ती किये गये कान्स्टेबिलों की संख्या	ऐसे कान्स्टेबिलों की संख्या, जिनकी नौकरी १ वर्ष की हो और ३ वर्ष से कम हो	ऐसे कान्स्टेबिलों की संख्या, जिनकी नौकरी ३ वर्ष की हो और १० वर्ष से कम हो	ऐसे कान्स्टेबिलों की संख्या, जिनकी नौकरी १० वर्ष की हो और १७ से कम हो	ऐसे कान्स्टेबिलों की संख्या, जिनकी नौकरी १७ वर्ष की हो या अधिक हो	पेंशन या प्रेचुट्री पाने पर
१	२	३३	३४	३५	३६	३७	३८

१	आगरा ...	१२३	२१९	४८५	४३१	११९	२६
२	अलीगढ़ ..	११०	७६	४३३	२३०	७०	१५
३	बुलन्दशहर ...	७४	६१	३२४	१५२	१०४	१४
४	बहराइन ...	६९	९४	२०९	११६	१३८	११
५	एटा ...	२७	५६	२६१	१३५	५१	७
६	मैनपुरी ...	४४	४९	१९६	१४८	५६	१०
७	मेरठ ...	७१	१३७	६२४	३७१	१३५	१९
८	मथुरा ...	४२	४६	३११	१३७	५१	११
९	मुजफ्फरनगर ...	५७	३९	२७०	१५३	४१	७
१०	सहारनपुर ...	६४	८४	४०३	२४४	१४७	९
	योग ...	६८५	६४४	३,५७६	२,११७	९१८	१२६
११	इलाहाबाद ...	९४	६६	७४०	६२०	३०	२५
१२	बांदा ..	३०	५२	२१२	१७६	५०	९
१३	कानपुर ...	५९	१४७	८३२	९०९	२८२	३७
१४	इटावा ..	३६	४०	२८२	१५३	५३	८
१५	फतेहगढ़ ...	२२	१५८	३१७	६६	६३	६
१६	फतेहपुर ..	३३	५४	१९०	११८	१६	२
१७	हमीरपुर ..	२७	१७	४२०	२६	२६	११
१८	जालौन ...	१८	२४	२४८	११७	४९	७
१९	मोती ...	४५	१२२	४६३	३२३	१२४	११
	योग ..	३६४	६८०	३,७०४	२,५०६	६९३	११६

पञ्च 'ङ'—(असमाप्त)

अनुशासन और सामान्य आन्तरिक प्रबन्ध दिखलाया गया है।

खोड़कर चले गये				कुल संख्या से प्रतिशत			
बिना किसी पेन्शन या प्रवृत्ती पाये हुए त्याग-पत्र देकर				बरखास्तगी द्वारा			
पिछले स्तरों में बी हुई बातों के अतिरिक्त तरीके से दल से अलग किये जाने के कारण				नौकरी छोड़ कर भाग जाने के कारण			
मृत्यु हो जाने के कारण				अस्पतालों में भर्ती किये गये व्यक्ति			
बीमारी के कारण काम से गैरहजरि रहने वाले व्यक्तियों की दैनिक औसत संख्या				मृत्यु			
२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	

(११०-क)

विवरण-

विवरण-पत्र, जिसमें सन् १९५६ ई० में पुलिस दल की सज्जा, अनुशासन और

क्रम-संख्या	जिला/यूनिट	कुल संख्या		
		स्वीकृत		वास्तविक
		अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी
१	२	३	४	५

नियुक्ति का प्रकार

		स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
२०	बरेली ..	५८	७	११२१	१३	५८	१०
२१	बिजनौर ..	४०	९	७४१	१	४०	९
२२	बदायूं ..	५२	४	७६०	७	*५४	४
२३	खीरी ..	४५	२	५०१	५२	४५	२
२४	मुरादाबाद ...	६०	९	१२६३	७	६०	९
२५	पीलीभीत ...	२७	४	४२६	१०	२७	४
२६	शाहजहांपुर ...	५५	६	८७५	१	५३	६
२७	रामपुर ..	३६	५	६०१	६१	३६	५
	योग ..	३७३	५६	६,३२१	१५२	३७३	४९
२८	नैनीताल ..	४१	५	८५१	१३२	४१	५
२९	अल्मोड़ा ...	...	...	...	...	...	...
३०	गढ़वाल ..	१०	६	२२३	२४	६	४
३१	देहरा गढ़वाल	१३	२	२२३	५	१२	२
	योग ...	६४	१३	१,२१७	१७१	६२	११
३२	बहराइच ..	४०	५	५७८	३४	४०	५
३३	बाराबंकी ...	४०	३	४९१	१७	३८	३
३४	फैजाबाद ..	४४	६	७६०	२३	४३	६
३५	गोंडा ..	४६	५४	६७५	३०	४५	५
३६	हरदोई ..	५२	५	६८७	५	४१	५
३७	लखनऊ ...	८०	२६	२,००२	५०	८०	२६

पत्र 'ड'--(पसमात)

सामान्य आन्तरिक प्रबन्ध दिखलाया गया है।

पुलिसमैन	दल के अस्त्र						
	ब्रेन गनों (Bren guns) की संख्या	स्टेन गन या टोमीगन (Sten guns or Tommy guns) की संख्या	राइफलों की संख्या		चिकनी सतह वाले बोरों (Smooth bores) की संख्या	रिवाल्वरों की संख्या	बेरी लाइट पिस्तौलों की संख्या
			.२२ बोर	.३०३ बोर			
६	७	८	९	१०	११	१२	१३

स्थायी	अस्थायी							
१,१२१	८	...	८	१८६	...	५६४	६६	२४
७३८	१	...	६	१४०	१	३५०	३१	२१
७६०	७	...	६	१५१	१	३७६	५०	२०
४९२	५२	...	४	१४५	...	३२४	३१	६८
१२६३	७	...	८	२७६	११	५२७	६१	२३
४२६	१०	...	८	१४१	...	२५७	२१	१३
८६३	१	...	६	३४७	११	४३०	५४	२१
६०१	६१	...	४	१६०	१	३०९	३५	१५
६,२६४	१४७	...	४६	१,५४६	३५	२,१३७	३७१	१५५
८४६	१३२	...	६	२८१	...	५५१	४५	२०
...	...	...	...	...	...	...	...	...
२१०	२२	...	...	११७	...	१४३	१३	७
२२३	१५	...	...	११०	...	१३०	११	४
१,२८२	१६६	...	६	५०८	...	८२४	६६	३१
५७	३०	...	४	१२	...	३८८	४०	१८
४८६	१७	...	६	१३६	७	२८३	३८	१७
७१६	२४	...	६	१६०	...	४०५	३९	१९
६७१	२९	...	६	२०८	५	४१४	४५	२१
६८२	५	...	६	१४४	...	३४९	४६	१८
१,९७७	५०	...	८	४२४	१२	१०१८	८४	११

विवरण-

विवरण-पत्र, जिसमें सन् १९५६ ई० में पुलिस दल की सज्जा, अनुशासन और

क्रम-संख्या	जिला	वण्ड							
		बरखास्त किये गये		बरखास्तगी से भिन्न अन्य रूप में विभाग द्वारा वण्ड दिया गया		पुलिस ऐक्ट के अधीन		भारतीय वण्ड विधान की धाराएं ३३०, ३३६, ३४८ के अधीन	
		अधिकारी	पुलिस में	अधिकारी	पुलिस में	अधिकारी	पुलिस में	अधिकारी	पुलिस में
१	२	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१

२०	बरेली ..	१	२४	३	१७	..	..	..	..
२१	बिजनौर ..	...	४	५	२४	..	१	..	..
२२	बदायूं ..	...	५	..	१४	..	..	..	..
२३	खोसी ..	...	३	५	१७	..	१	..	..
२४	मुरादाबाद ..	२	१२	१	६	..	..	..	..
२५	पीलीभीत ..	...	१	..	१२	..	..	..	..
२६	शाहजहांपुर ..	...	१२	५	२१	..	..	..	..
२७	रामपुर ..	१	१०	..	९	..	१	..	..
	योग ..	४	७१	१९	१२०	..	३	..	..
२८	नैनीताल ..	२	३	२	१६	..	..	..	..
२९	अल्मोड़ा ..	...	...	...	...	..	..	..	..
३०	गढ़वाल ..	..	..	१	८	..	..	..	..
३१	देहरा-गढ़वाल ..	..	..	..	३	..	..	..	..
	योग ..	२	३	३	२३	..	..	..	..
३२	बहराइच ..	१	९	१	११	..	..	..	..
३३	बाराबंकी ..	..	२	१	७	..	..	..	..
३४	फैजाबाद ..	..	..	..	८	..	२	..	..
३५	गोंडा ..	..	४	२	६	..	..	..	..
३६	हरदोई ..	..	६	४	१०	..	..	..	..
३७	लखनऊ ..	१	२२	२	२३	..	..	..	..

पत्र 'ड'-(असमाप्त)

सामान्य आन्तरिक प्रबन्ध दिखलाया गया है।

पुरस्कार								शिक्षा
भारतीय दण्ड विधान के अध्याय ६ के अधीन		अन्य अपराध		प्रथम पुरस्कृत				उन कर्मचारियों की संख्या जो पढ़-लिख नहीं सकते
अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन	पदोन्नति देकर	खिलौते, उपहार, अच्छे आचरण के फीते अथवा धनराशि देकर	बहादुरी के लिए पदक देकर	अच्छी सेवाओं के लिए पदक देकर	
२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०

..	...	...	१	...	४६४	...	..	३७
..	...	...	...	...	२३७	...	..	...
..	...	...	...	...	१५७	...	..	१०१
..	...	...	१	...	१३५	...	..	...
..	...	...	...	...	३३७	...	..	१२१
..	...	...	...	...	१४७	...	..	३
..	...	...	...	...	२७०	...	..	१०
..	...	...	१	...	१२२	...	..	५
..	...	...	३	...	१,९९	...	...	२७७
..	...	...	...	...	३२४	...	..	९
...	...	...	...	...	५३	...	..	...
..	...	...	...	...	५४	...	..	३
..	...	...	...	...	४११	...	..	१२
...	...	...	१	...	३२८	...	..	...
...	...	...	...	...	२५६	...	..	१५
...	...	...	...	...	२६१	...	..	४२
...	...	...	...	...	१२५	...	..	१४
...	...	...	२	...	१११	...	..	...
...	...	...	२	...	११६	...	..	८८

विवरण—

विवरण-पत्र, जिसमें सन् १९५६ ई० में पुलिस दल की सजा,

क्रम-संख्या	जिला/यूनिट	कान्स्टेबिलों की संख्या					जो वर्ष में पेन्शन या प्रेवुटी पाने पर
		वर्ष में भर्ती किये गये कान्स्टेबिलों की संख्या	ऐसे कान्स्टेबिलों की संख्या, जिनकी नौकरी १ वर्ष की हो और ३ वर्ष से कम की हो	ऐसे कान्स्टेबिलों की संख्या, जिनकी नौकरी ३ वर्ष की हो और १० वर्ष से कम की हो	ऐसे कान्स्टेबिलों की संख्या, जिनकी नौकरी १० वर्ष की हो और १७ वर्ष से कम की हो	ऐसे कान्स्टेबिलों की संख्या, जिनकी नौकरी १७ वर्ष की हो या अधिक की हो	
१	२	३१	३२	३३	३४	३५	३६

२०	बरेली ...	१००	२२१	४४५	१३०	९०	२१
२१	बिजनौर ...	५२	८७	२८२	१५०	७७	१८
२२	बदायूँ ...	६५	६६	२८३	१४५	१११	२३
२३	खोरी ...	३०	२६	२६२	१०३	५०	७
२४	मुरादाबाद ...	१२०	७९	५५०	२६२	१३२	११
२५	पीलीभीत ...	२३	११	२०८	६२	३४	३
२६	शाहजहांपुर ...	५२	९९	२६६	२०२	९९	१६
२७	रामपुर ...	६८	५६	३०२	१११	३४	६
	योग ..	५१०	६४८	२,६३१	१,१६५	६२७	१०९
२८	नैनीताल ...	४२	१६६	३१७	२११	९८	७
२९	अल्मोड़ा ...	...	...	...	...	...	...
३०	गढ़वाल ...	...	१०	१३०	५०	१०	१
३१	देहरा-गढ़वाल ...	५	८	१३४	३०	२२	३
	योग ...	४७	१८४	५८१	२९१	१३०	११
३२	बहराइच ...	२०	७१	१८४	१७५	७६	६
३३	बाराबंकी ...	२७	५०	११६	१५२	६०	६
३४	फैजाबाद ...	६८	३६	२८४	२०६	८०	६
३५	गोंडा ...	१८	४१	३०७	१८९	५६	५
३६	हरदोई ...	४७	१०४	२१३	१७४	६४	९
३७	लखनऊ ...	२०८	१२२	७०१	५४६	१७५	२६

पत्र 'ड'—(असमान)

अनुशासन और सामान्य आन्तरिक प्रबन्ध दिखलाया गया है।

दल छोड़कर चले गये				कुल संख्या से प्रतिशत			
बिना किसी पेन्शन या श्रेष्ठि पाये हुए त्याग-पत्र देकर	वरखास्ती द्वारा	पिछले स्तंभों में दी हुई अतिरिक्त बातों के अलग तरीके से दल से अलग किये जाने के कारण	नौकरी छोड़कर भाग जाने के कारण	मृत्यु हो जाने के कारण	अस्पतालों में भर्ती किये गये व्यक्ति	बोमारी के कारण काम से गैरहाजिर रहने वाले व्यक्तियों की दैनिक औसत संख्या	मृत्यु
३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४
१५	२६	५	१	१	७१.५	१.३५	०.९
११	४	३	..	..	२७	१.०८	..
१	५	४	..	..	२०.९	२८	.
:	३	१	..	१	२५.९	२१	.
९	१४	२	१	१	३०.५	०.८	०.७
३	१	..	..	..	४०.८	७.३	..
५	१२	१	..	३	३९.२	१.६८	३.४
१०	१३	१	..	१	४९.९	१.५	१.५
५४	७८	१७	२	७	७२.६	५०.१	१
७	५	४	..	४	१५.१	१.१	४
..	..	..	..	..	..	..	..
२	..	१	..	१	१८.२	०.४१	४.२
१	५	५	..	५	१९.०	०.८	..
१	५	५	..	५	१६.६५	१	३
..	११	..	..	१	२५.१	१.८	१.६
२	२	२	..	१	२५.८	१.६	१.९
७	१	३	..	१	२५.५	१.०१	१.३
४	४	२	१	१	१७.१	६.४	१
५	७	..	..	१	१९.३६	५.९	१.४
२०	२३	४	..	२	५६.५	१६.०८	..

विवरण-

विवरण-पत्र, जिसमें सन् १९५६ ई० में पुलिस दल की सजा,

क्रम-संख्या	जिला/यूनिट	कुल संख्या		
		स्वीकृत		वास्तविक
		अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी
		१	२	३

नियुक्ति का प्रकार

क्र.सं.	विवरण	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
३८	प्रतापगढ़ ...	३६	...	३६९	१३	३६	...
३९	रायबरेली ...	४१	१	४६४	७	४१	१
४०	सीतापुर ..	५७	...	६९६	१	५७	...
४१	सुल्तानपुर ...	३७	१	३६८	७	३७	१
४२	उन्नाव ...	४३	...	५००	१	४३	...
	योग ...	५१६	५५	७,६८०	१८८	५०८	५५
४३	आजमगढ़ ...	५१	२	६९५	३३	५०	१
४४	बलिया ..	३९	४	४८६	२१	३८	३
४५	बस्ती ..	५१	६	६६३	३६	५१	६
४६	वाराणसी ...	८१	३०	१,५६८	४०	७९	३०
४७	गाजीपुर ...	३४	१	४८८	३७	३२	१
४८	गोरखपुर ...	५५	१५	८८०	३१	५५	१५
४९	देवरिया ..	४०	१	५४२	१७	४०	...
५०	बौनपुर ...	४५	...	५५४	८	४५	...
५१	मिर्जापुर ...	४२	६	६८५	२७	४२	६
	योग ...	४३८	६५	६,५५१	२५०	४३२	६२
५२	गुप्तगढ़ विभाग	२३९	६६	६८७	४७८	२२६	८२
५३	गवर्नमेंट रेलवे पुलिस	९८	१४	१,३४८	४३९	६५	१४
५४	रेलवे सुरक्षा पुलिस	...	३६	...	१,३४६	...	३९
५५	पुलिस ट्रेनिंग कालेज	१२	११	१६	१८	११	११

पत्र 'क'—(असमाप्त)

अनुशासन और सामान्य आन्तरिक प्रबन्ध दिखलाया गया है ।

पुलिसमैन	दल के अस्त्र						
	ब्रेन गनों (Bren guns) की संख्या	स्टेन गन या टॉमो गन (Sten gun or Tommy guns) की संख्या	रायफलों की संख्या		चिकनी सतह वाली बोरों (Smooth bores) की संख्या	रिवाल्वरों की संख्या	पिस्टलों वाली साइट की संख्या
			.२२ बोर	.३०३ बोर			
६	७	८	९	१०	११	१२	१३

स्थायी	अस्थायी							
३९९	१३	.	४	१३४	...	२४२	३३	१५
४९३	७	..	४	१४३	...	३०५	४४	१७
६९५	...	...	४	१४५	...	३५६	५१	२०
३९८	७	.	४	१३३	...	३६०	३४	१७
४८०	१	..	४	१४४	...	३१७	३७	१८
७,६१६	१८३	...	५८	१,६२३	२४	४,३४७	४५१	२००
६९५	३३	..	४	१४१	...	३७३	४६	२५
४८६	३१	..	४	१३७	...	२५५	३७	१६
६६३	३६	...	४	१५१	...	४५२	५०	२६
१,५९८	४०	..	८	२५६	५	७६२	१०५	३०
४८३	३७	..	४	१३३	...	२७१	३२	१७
८८०	३१	...	५	२५४	१	५१२	६२	२६
५४१	१७	..	४	१५२	...	३७७	३४	२१
५५४	८	...	४	१३८	...	३१३	३१	२६
६४५	२७	...	६	१३७	...	३३५	४३	२३
६,५४५	२५०	...	४८	१,४९६	१४	३,६८३	४४८	२०१
५६३	३७६	...	...	...	...	...	१०५	...
१,३३५	४३९	...	...	...	...	३१२	८६	२
...	१,३२७	...	...	१,३०२	...	...	३०	६०
१६	१८	१	१५	१७२	२०	२००	६६	२

(११८-क)

विवरण-

विवरण-पत्र, जिसमें सन् १९५३ ई० में पुलिस दल की सज्जा,

क्र.सं.	जिला/यूनिट	वण्ड							
		बरखास्त किये गये		बरखास्तगी से भिन्न अन्य रूप में विभाग द्वारा वण्ड बिया गया		पुलिस ऐक्ट के अधीन		भारतीय वण्ड विधान की धाराएं ३३०, ३३१, ३४८ के अधीन	
		अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन
१	२	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१

३८	प्रतापगढ़	...	१	६	१	२	...	...	...
३९	रायबरेली	...	...	१३	...	१३	...	...	...
४०	सीतापुर	...	...	५	१	१५	...	...	...
४१	सुल्तानपुर	...	...	२	...	...	...	...	...
४२	उन्नाव	...	...	६	१	११	...	...	...
	योग	...	३	७५	१३	१०६	...	१	...
४३	अजमेरगढ़	...	...	५	१	७	...	...	...
४४	बलिया	...	...	६	३	७	...	...	...
४५	बस्ती	...	...	४	...	१	...	...	...
४६	वाराणसी	...	...	१०	६	१	...	...	...
४७	गाजीपुर	...	...	६	...	१०	...	...	...
४८	गोरखपुर	...	४	४	२	६	...	...	...
४९	देवरिया	...	१	३	...	१६	...	...	...
५०	जौनपुर	...	१	२	७	५	...	...	...
५१	मिर्जापुर	...	...	११	...	४	...	...	...
	योग	...	६	५१	१९	६५	...	...	...
५२	गुप्तचर विभाग	...	...	...	...	...	...	...	...
५३	गवर्नमेंट रेलवे पुलिस	...	...	४	...	...	...	...	...
५४	रेलवे सुरक्षा पुलिस	...	...	४	...	६	...	२	...
५५	पुलिस ट्रेनिंग कालेज	...	...	...	...	...	...	...	...

पत्र 'कु'--(असमाप्त)

अनुशासन और सामान्य आन्तरिक प्रबन्ध दिखलाया गया है।

भारतीय बन्द विधान अध्याय ९ अ/अ/ अधोन		अन्य अपराध		अ.ब. म. पुरस्कृत		पुरस्कार		मिभा
अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन	पदोन्नति देकर	खिल्लत, उपहार, अच्छे आचरण के फौते अथवा घनराशि देकर	बहादुरी के लिये पदक देकर	अच्छी सेवाओं के लिये पदक	उन कर्मचारियों की संख्या जो पढ़-लिख नहीं सकते
२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०

[illegible]

विवरण-

विवरण-पत्र, जिसमें सन् १९५६ ई० में पुलिस दल की सज्जा

क्रम-संख्या	जिला/यूनिट	कांस्टेबलों की संख्या					जो वर्ष में बल
		वर्ष में भर्ती किये गये कांस्टेबलों की संख्या	ऐसे कांस्टेबलों की संख्या, जिनकी नौकरी १ वर्ष हो और ३ वर्ष से कम हो	ऐसे कांस्टेबलों की संख्या, जिनकी नौकरी ३ वर्ष हो और १० वर्ष से कम हो	ऐसे कांस्टेबलों की संख्या, जिनकी नौकरी १० वर्ष हो और १७ वर्ष से कम हो	ऐसे कांस्टेबलों की संख्या, जिनकी नौकरी १७ वर्ष की हो या अधिक हो	
१	२	३१	३२	३३	३४	३५	३६

३८	प्रतापगढ़ ...	३४	२४	१७१	८५	४३	६
३९	रायबरेली ..	३६	३९	१८९	१२९	४०	६
४०	सीतापुर ..	५०	४३	२५३	१६०	१०३	११
४१	मुल्तानपुर ...	२६	८	११९	८०	११८	५
४२	उन्नाव ...	१४	३६	१९३	१२९	४३	८
	योग ...	५४८	५७७	२,७३०	२,०२५	८२१	९७
४३	आजमगढ़ ..	१३	४३	३५२	१९१	३७	३
४४	बलिया ...	४५	१९	२००	१२३	५०	१५
४५	बस्ती ..	३१	३२	२८४	१९७	७४	८
४६	वाराणसी ...	६५	९२	४८८	४७३	३२१	१८
४७	गाजीपुर ...	२२	५५	१९८	१३६	६६	७
४८	गोरखपुर ..	६६	२०५	३०१	१३०	९९	११
४९	देवरिया ...	१८	९	२५८	१५२	५०	११
५०	जौनपुर ...	२८	१०	११६	१७३	६१	३
५१	मिर्जापुर ...	५१	१६	२८१	१०५	१४०	८
	योग ..	३३९	८५१	२,४७८	१,६८०	९९८	८४
५२	गुप्तचर विभाग	२३	७२	३८८	२४९	७६	१४
५३	गवर्नमेंट रेलवे पुलिस	३३	१०५	६३२	३७१	१४२	२०
५४	रेलवे सुरक्षा पुलिस	...	७	५०२	४१३	१७७	२
५५	पुलिस ट्रेनिंग कालेज	...	...	२	२	१	...

	छोड़कर चले गये	कुल संख्या से प्रतिशत
२७	बिना किसी पेंशन या पेचुटो पाये हुए त्याग—पत्र देकर	
२८	बरखास्तगी द्वारा	
२९	पिछले स्तम्भों में दो हुई बातों के अतिरिक्त अन्य तरीके से बल से अलग किये जाने के कारण	
३०	नौकरी छोड़कर भाग जाने के कारण	
३१	मृत्यु हो जाने के कारण	
३२	असतर्कों में भर्ती किये गये व्यक्तित्व	
३३	बीमारो के कारण काम से गैरहाजिर रहने वाले व्यक्तियों की वैनिक औसत संख्या	
३४	मृत्यु	

१	७	...	...	१	३०.५	६५	२४
१	१३	२	...	१	४३.४	३०७	२
२	५	१	..	..	४२.८	२.५	...
२	२	...	...	१	१३६	०.४	२
४	६	२	२	२	३२.५	२.७	४५
४८	८१	१६	३	१२	१६७.८	१.२	..
...	५	१	...	२	५३.६	१.४६	२६६
१	६	...	...	...	८०	१.२	...
२	५	..	...	१	२६.४	१.८	१५
६	११	१	...	७	१८८	७९	४२
३	६	...	...	३	२५.२	२.८	५७
२	८	...	...	..	३२.२	१.६	...
...	५	..	...	२	३८.४५	४.६	३७
२	३	२	...	...	३२.९	१.३	...
१	१०	१	...	४	२८.६	६.४	५२
१७	५६	५	...	१९	११२.५	१.१	२८
...	...	..	...	...	२२	...	..
३	२	..	२	४	१३.६	६	३
४	२	..	...	१	२३.७	४	०१
...	..	...	...	..	२०.५९	१.५	...

(१२२-क)

विवरण-

विवरण-पत्र, जिसमें सन् १९५६ ई० में पुलिस दल की सजा,

क्रम-संख्या	जिला यूनिट	कुल संख्या		
		स्वीकृत		वास्तविक
		अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी
१	२	३	४	५

नियुक्ति का प्रकार

		स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
५६	रेडियो सेक्शन	६०	१	७४६	११०	५५	१
५७	पुलिस हेडक्वार्टर्स	...	...	२८	१	...	...
५८	फायर सर्विस	१७	...	१८२	...	१६	...
५९	यू० पी० पुलिस सेग्रेगुल क्वार्टर्स	४	...	४४	...	३	...
६०	पी० ए० सी० बटालियन	२६२	८६	७०६६	२,२५७	२६१	८६
	योग	६६२	२४७	१०,१५३	४,६५६	६६७	२३३
	वृहत् योग ...	३,१५५	६२३	५०,३६७	५,६२०	३,०८१	५६५

	सुपरिन्टेन्डेंट	डिप्टी सुपरि- न्टेन्डेंट	इन्स्पेक्टर	सब-इन्स्पेक्टर	हेड कार्गटबिल	कार्गटबिल	चौकीदार	योग
हल	...	...	...	...	१	१	१	३
आहत	...	१	१	७	३	२५	१	३८
योग ..	...	१	१	७	४	२६	२	४१

पत्र 'ड' -- (प्रममाप्त)

अनुशासन और सामान्य आन्तरिक प्रबन्ध दिखलाया गया है ।

दल के अस्त्र								
पुलिसमैन	ब्रेन गनों (Bren guns) की संख्या	स्टेन गनों या टानी गनों (Sten guns or Tommy guns) की संख्या	रायफिलों की संख्या		चिकनी सतह वाली बोर (Smooth bores) की संख्या	रिवाल्वरों की संख्या	बेरी लाइट पिस्टोल की संख्या	
			.२२ बोर	.३०३ बोर				
६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
स्थायी	अस्थायी							
७०७	११०	...	...	..	..	...	...	...
२६	८	...	...	..	...	...	...	...
१८०	...	...	...	...	...	...	...	...
४४	...	...	...	..	...	...	...	...
७,०८८	२,२२६	१५७	६२०	६,२१०	१२०	२०५	३२६	२२०
१,९५६	४,५०४	१५८	६३५	१०,१८४	१४०	७१७	६१९	२८४
५०,०१७	५,४५१	१५८	९२०	२०,६४२	२३८	२२,०४१	३,०६४	१,२९८

विवरण-

विवरण-पत्र, जिसमें सन् १९५६ ई० में पुलिस दल की सज्जा,

क्रम-संख्या	यूनिट/जिला	बंड							
		बरखास्त किये गये		बरखास्तगी से भिन्न अन्य रूप में विभाग द्वारा दण्ड दिया गया		पुलिस ऐंक्ट के अधीन		भारतीय बंड विधान को धारा ३३०, ३३६, ३४८ के अधीन	
		अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन
१	२	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१

५६	रेडियो सेक्शन	...	...	...	१	...	१	...	...
५७	पुलिस हेडक्वार्टर्स	...	...	...	...	...	...	...	...
५८	फायर सर्विस	...	...	...	३	...	...	...	...
५९	यू० पी० पुलिस सेन्ट्रल क्वार्टर्स	...	...	...	...	...	...	...	...
६०	पी० ए० सी० बटालियन	...	१३	५	१५	...	...	...	...
योग ...		...	२१	५	२८	...	३	...	...
बृहत् योग ...		२०	३१८	१३८	६५०	३	२२	...	१

(१२५-क)

पञ्च 'ङ'--(असमाप्त)

अनुशासन और सामान्य भ्रान्तरिक प्रबन्ध दिखलाया गया है।

भारतीय दंड विधान के अध्याय १ के अधीन				पुरस्कार		शिक्षा		
अधिकारी		पुलिसमैन		वर्ष में पुरस्कृत		उन कर्मचारियों की संख्या जो पढ़-लिख नहीं सकते		
अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन	प्रबोधिनी देकर खिलत, उपहार, अच्छे आचरण के फीते अथवा धनराशि देकर	बहादुरी के लिये पदक देकर		अच्छी सेवाओं के लिए पदक देकर	
२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०

..	..	..	..	..	५५	..	..	२
..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	६९	..	..	३६
..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	२	..	६२१	..	..	१६०
१	२५	...	२	...	१०,२५	...	...	१२५
१	२५	...	२५	...	...	...	१	१,५७५
					१८,१२८			

विवरण-

विवरण-पत्र, जिसमें सन् १९५६ ई० में पुलिस दल की सज्जा,

क्रम-संख्या	जिला/यूनिट	कांस्टेबलों की संख्या					जो वर्ष में
		वर्ष में भर्ती किये गये कांस्टेबलों की संख्या	ऐसे कांस्टेबलों की संख्या, जिनकी नौकरी १ वर्ष हो और ३ वर्ष से कम हो	ऐसे कांस्टेबलों की संख्या, जिनकी नौकरी ३ वर्ष हो और १० वर्ष से कम हो	ऐसे कांस्टेबलों की संख्या, जिनकी नौकरी १० वर्ष हो और १७ वर्ष से कम हो	ऐसे कांस्टेबलों की संख्या, जिनकी नौकरी १७ वर्ष की हो या अधिक हो	पेंशन या सेवुटी पाने पर
१	२	३१	३२	३३	३४	३५	३६

५६	रेडियो सेक्शन	५४	२४२	६५	३५	...	...
५७	पुलिस हेडक्वार्टर्स	६	११	१२	...	...	...
५८	फायर सर्विस	३	१२	३७	३९	...	२
५९	यू० पी० पुलिस सेंट्रल क्वार्टर्स	३	१०	२५	...	...	...
६०	पी० ए० सी० बटालियन	१,४९९	८२६	३,८३४	१,४१३	८०	३५
	योग ...	१,६२१	१,२८५	५,५००	२,४२५	४७६	७१
	वृहत योग ...	४,११४	४,७६६	२१,२००	१२,२३६	४,७३३	६१७

पञ्च 'ङ'--(समाप्त)

अनुशासन और सामान्य आन्तरिक प्रबन्ध दिखलाया गया है .

[illegible]

३	१	..	...	४	३१.७	.०६	.४
...	...	...	...	..	...	...	...
...	...	१	...	...	...	...	...
३	...	...	...	...	...	...	...
४२	८	३२	६	११	२३.५	०.६	.११
६५	१३	३३	११	२०	१९.३	.५	.१
३०८	३४४	११०	१६	१०६	६७.४	.६२	.२०३

विवरण-पत्र "च"

अपराध का पंचवर्षीय विवरण-पत्र

वर्ष	वर्ष में रिपोर्ट किये गये हस्त-क्षेप योग्य अपराधों की संख्या (केवल आई० पी० सी० के अन्तर्गत)	दंडा	सजाए गए अपराधी	करेन्सी नोट तथा बैंक नोट सम्बंधी अपराध	हत्या	आप-राधिक हत्या	सम्बन्धित जड़ी-बूटियाँ देना	अपहरण करना	डकैती	राहजनी	संघ लगायना	खोला देना	अपराधों की संख्या/वर्ष
१९५२	६५,३३६	३,२४३	५१	१०	१,५७२	६७६	९२	७३३	७६१	४८९	१६,६६६	९२४	२,५२७
१९५३	६३,३४७	२,९४७	६०	७	१,५१०	९६१	९०	७६५	८५६	५०३	१८,५२८	१,०८३	२,५९१
१९५४	६३,९२६	३,०८२	५७	१०	१,५९२	९५३	००	७८०	९०१	४८८	१८,६८१	१,०२६	२,४६४
१९५५	५७,६६०	२,७६५	३६	१७	१,४४८	८२६	६२	७१३	८४४	४१४	१६,५०९	९११	२,१६९
१९५६	५७,६९३	३,०८७	३६	२३	१,५६६	९३०	६८	७९३	९३२	५६२	१९,४२०	१,०२०	२,५७४

(१२९-क)

विवरण-पत्र "चच"

चोरी तथा लूट की सम्पत्तियों का वर्गीकरण/पंचवर्षीय विवरण-पत्र

वर्ष	चोरी					
	ताम्र-तार	पशु	साइकिलें	मोटरगाड़ियां तथा उसके पुर्जे	आग्नेयास्त्र	विस्फोटक पदार्थ
१	२	३	४	५	६	७
१९५२	२४९	३,०३३	४,०८७	४६	२०३	३
१९५३	३७८	२,९३८	३,६२६	३५	२२१	४
१९५४	४१८	३,२७६	३,५७३	५६	२४७	३
१९५५	३३४	२,६५२	३,२५९	५३	२२६	२
१९५६	३७४	३,५०६	३,७४८	५१	२५५	१

गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, उत्तर प्रदेश (विवरण-पत्र "ग")

रेलवे पर अपराध का पांचमाला नक्शा

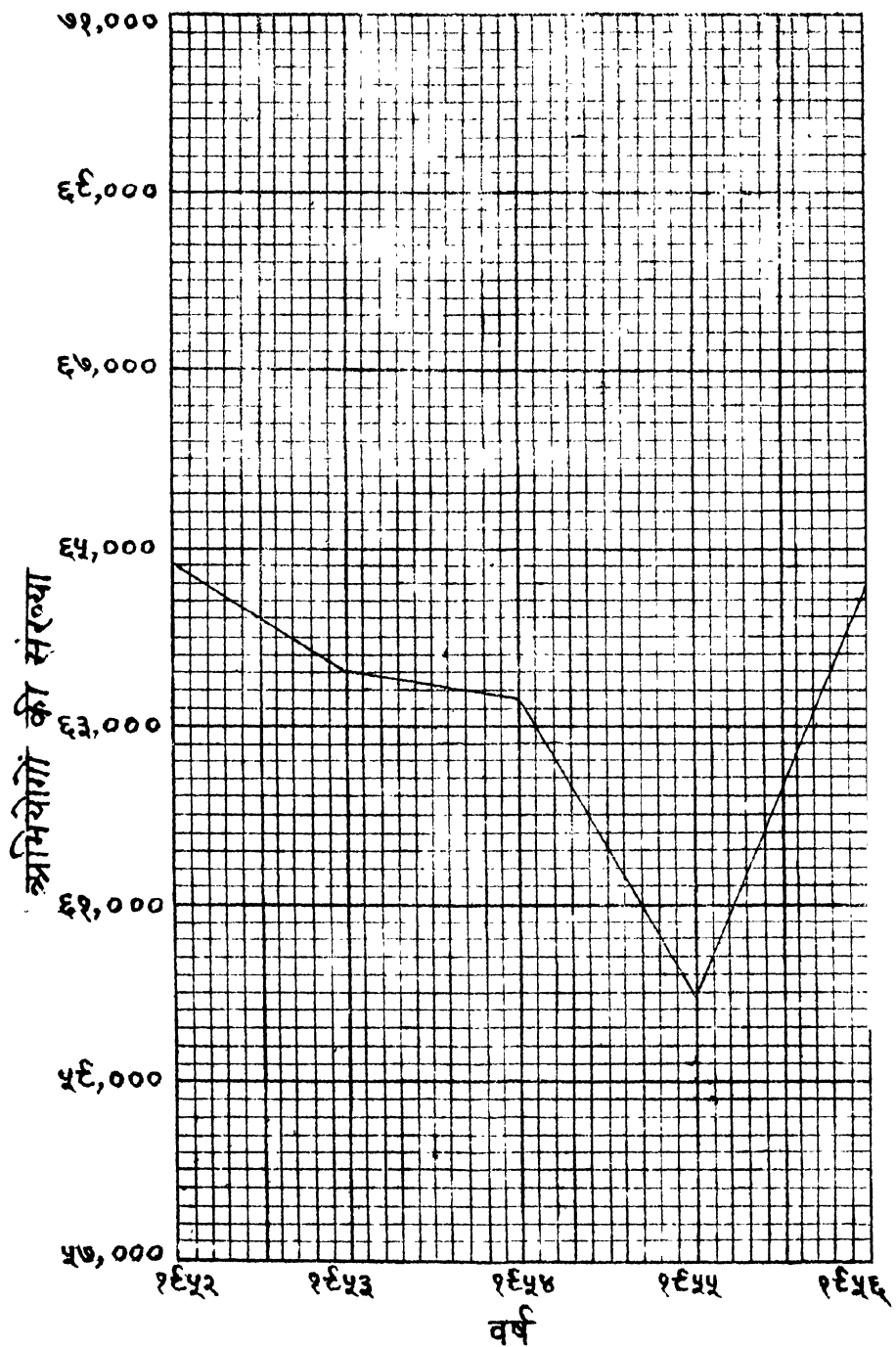
क्र.सं.	सामग्री की चोरी		पासल की चोरी		गिरहकटो		यात्रियों की चोरी गिरहकटो के अतिरिक्त		रेलवे सामग्री की चोरी	
	चलती गाड़ी से	याई से	माल गोदाम और प्लेटफार्म से	रेलगाड़ी या माल गाड़ी के डिब्बे से	पासल दस्तर या प्लेटफार्म से	प्लेटफार्म पर	चलती गाड़ी से	प्लेट-फार्म पर	चलती गाड़ी से	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१९५२	१२	७२७	१६६	७८	१२०	३८८	११४	४५५	३८०	३४३
१९५३	६३	८०४	१४४	६३	१२५	३४७	१०७	५४७	३६८	४२५
१९५४	१३	६०५	१२५	५७	१०४	३३०	६८	४६०	३६६	४११
१९५५	५६	४५०	८२	७२	७६	३२५	८५	४७१	३७०	२६६
१९५६	५८	४२२	१२३	५२	५२	२९६	६७	३९६	३९७	२६९

ए० आई० जी०. रेलवे पुलिस,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०-५ आई० जी० पी०-१६५९-४९८

ग्राफ संख्या १ (१३०)

हस्तक्षेप योग्य सही मामले
(विवरण पत्र 'क' भाग १ के कॉलम १४ क्रम संख्या १ तथा
क्लास I लगायत V तक)



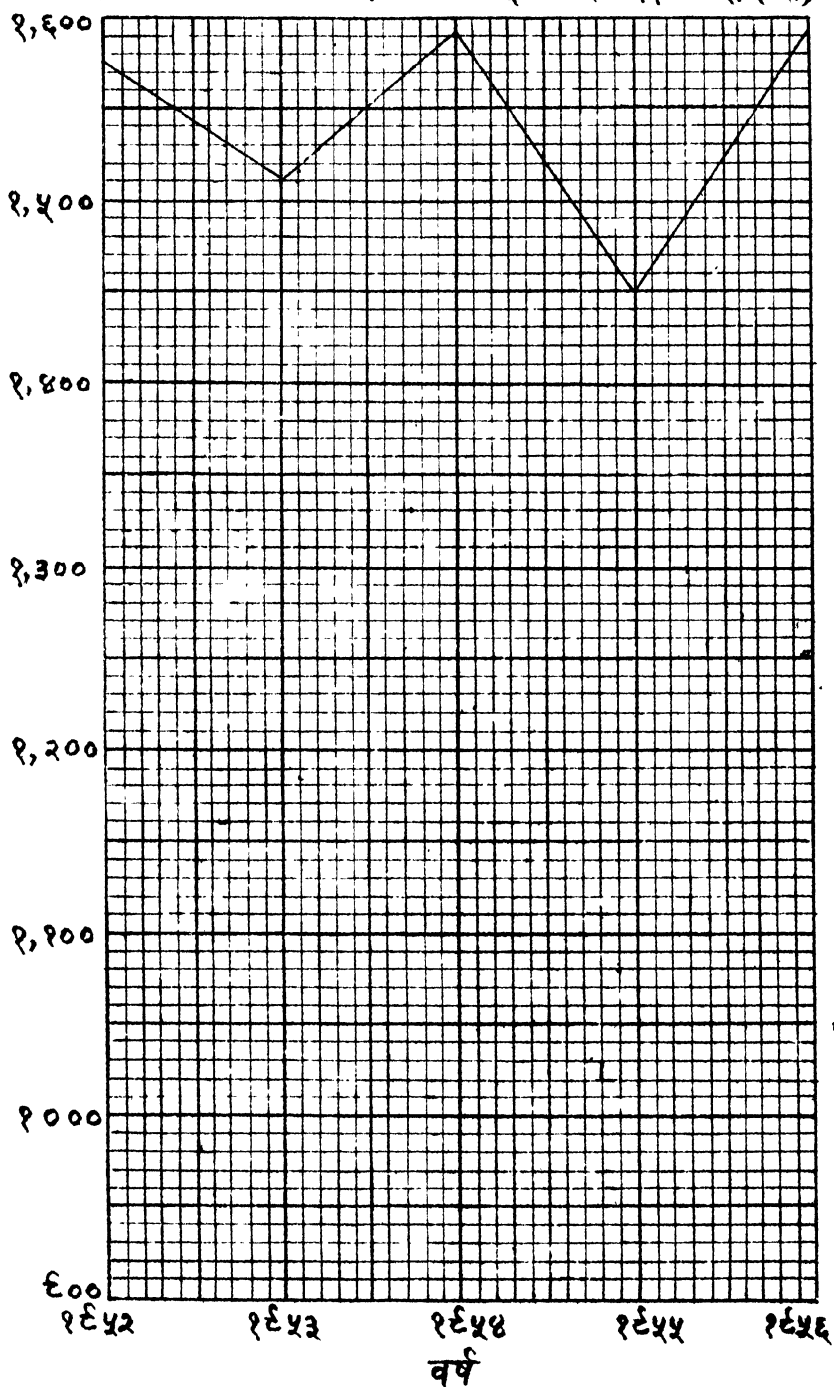
ग्राफ संख्या २

(१३४)

हत्या

(विवरण पत्र 'क' भाग १ के कालम ५-क्र० सं० ११ की संख्या)

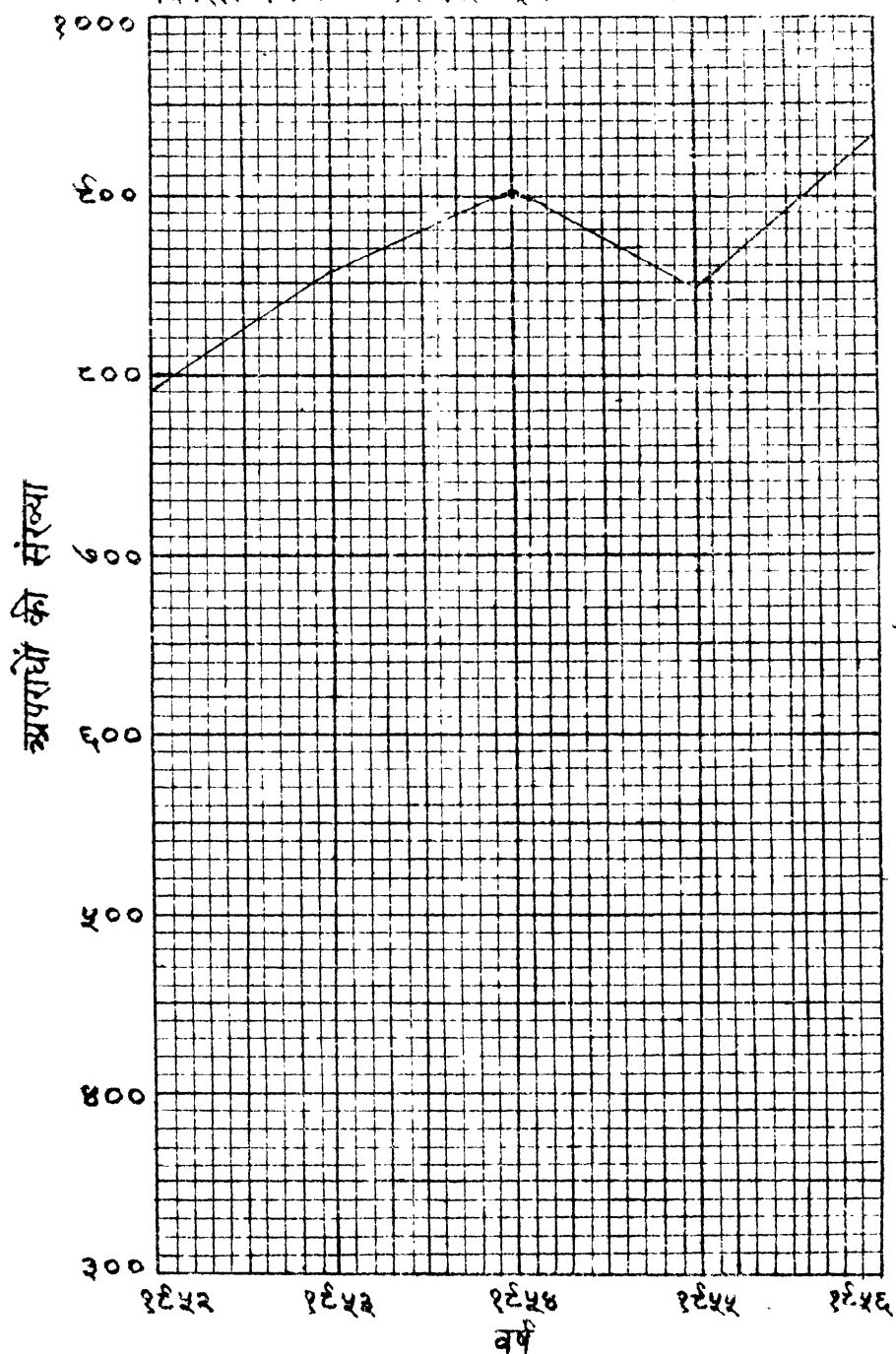
आपराधों की संख्या



ग्राफ संख्या २

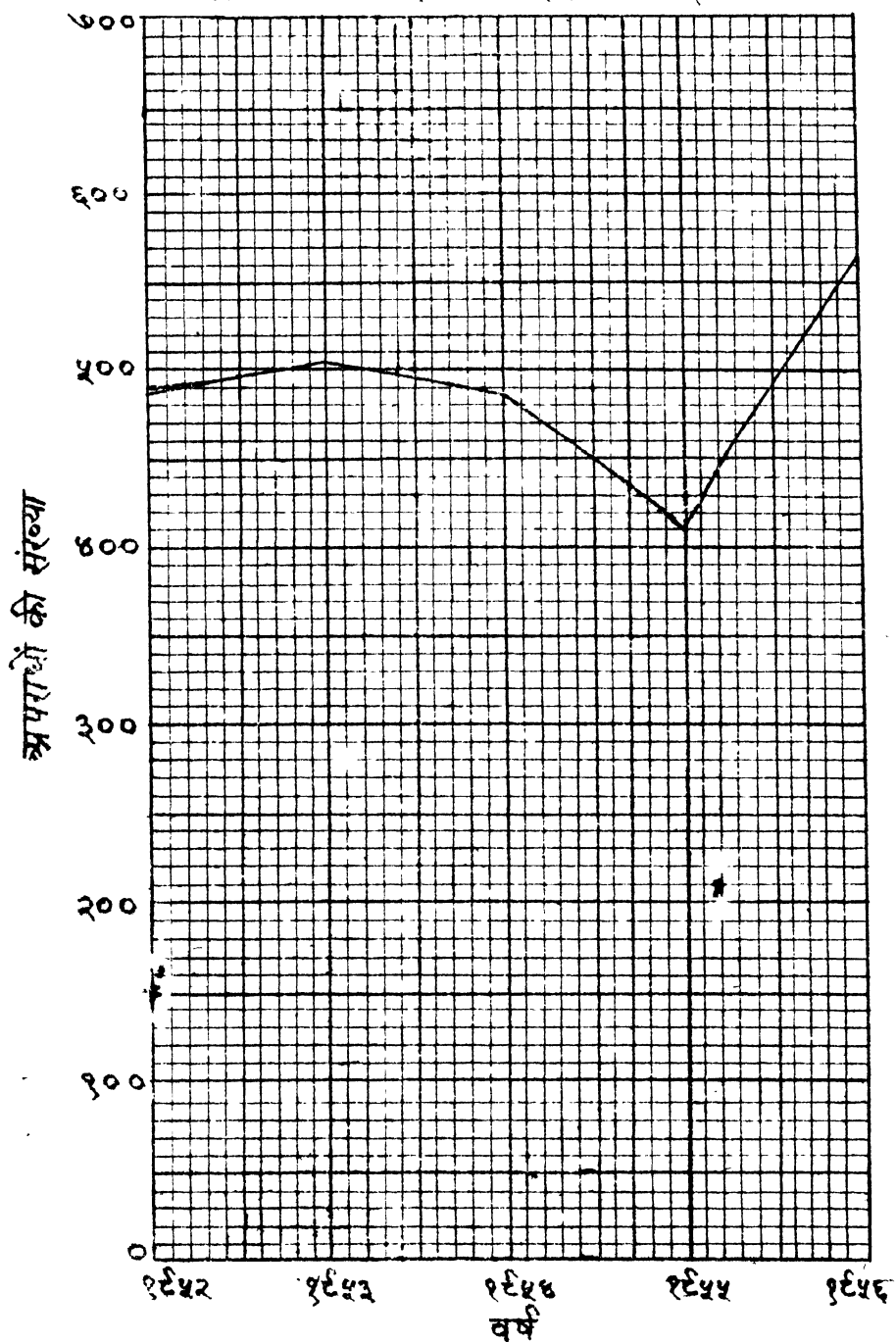
उकैती

विवरण पत्र 'क' भाग १ के कालम ५-क्र० सं० २५+२४ क की संख्या



ग्राफ संख्या ४ (१३६)

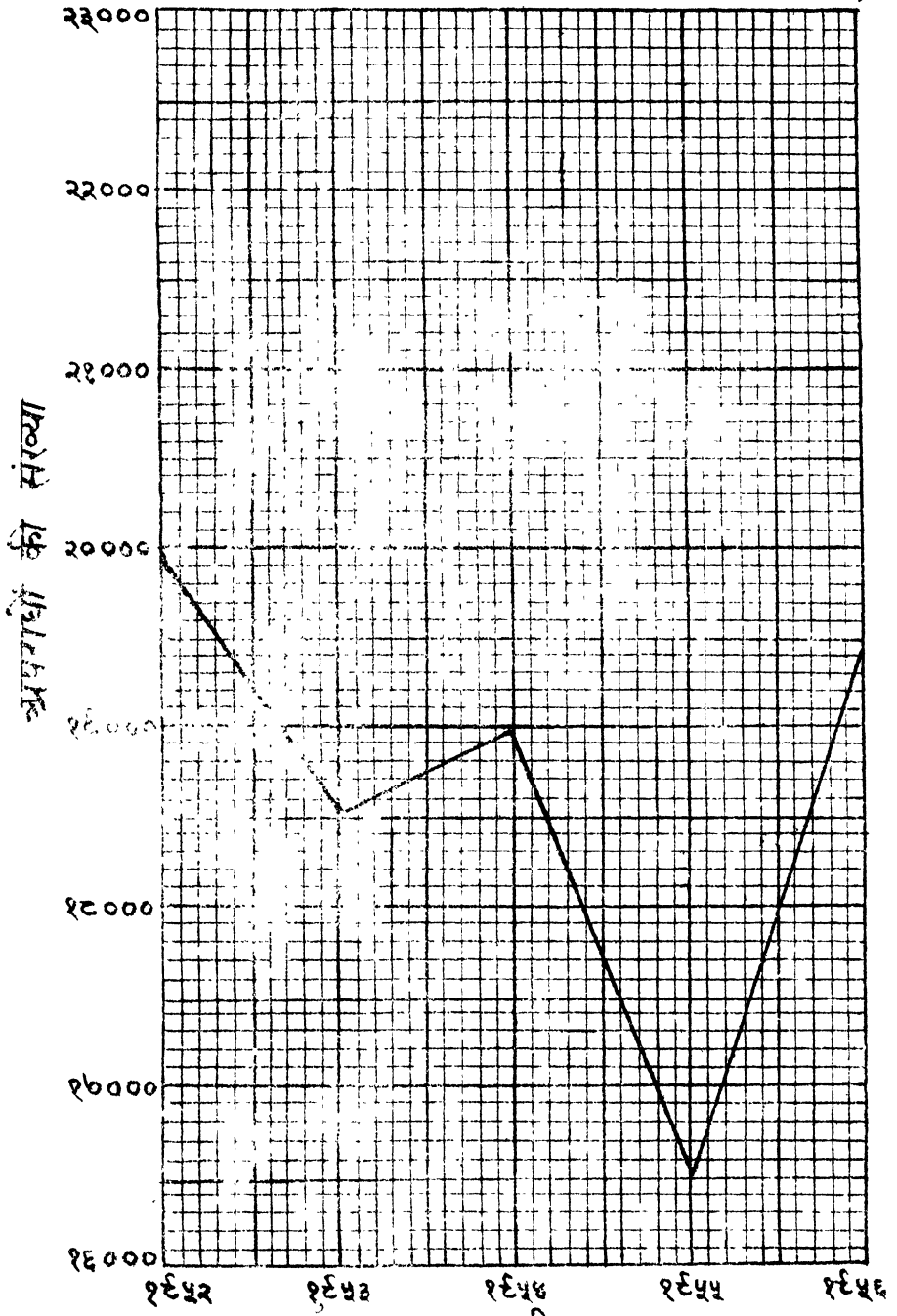
गहजनी
(विवरण पत्र 'क' भाग के कॉलम ५-क्र० सं० २६ की संख्या)



ग्राफ संख्या ५ (१२५)

सेंध लगाने के मामले

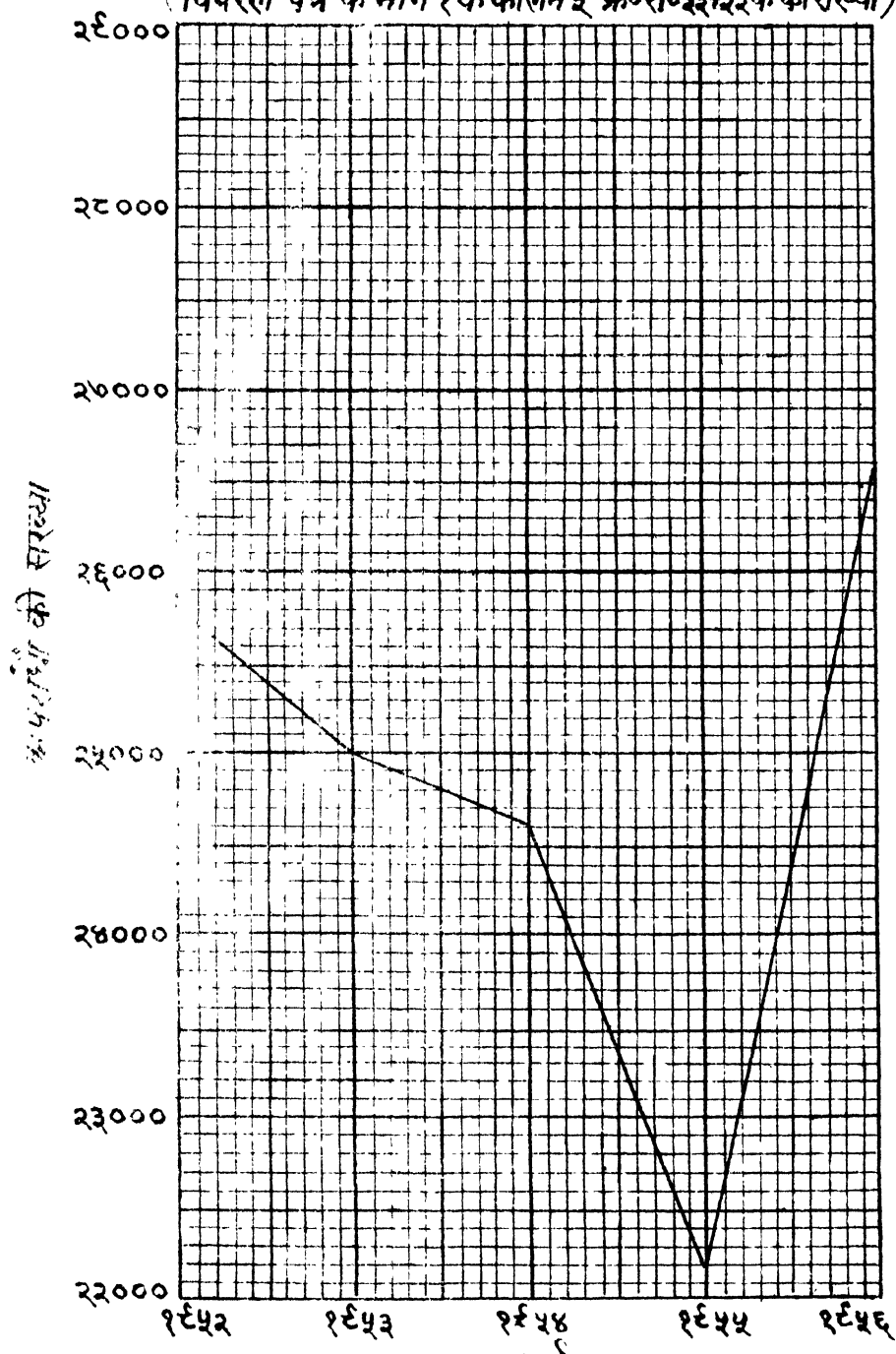
(विवरण पत्र 'क' भाग १ के कालम ५ क्र० सं० २६+३० की संख्या)



ग्राफ संख्या ६ (१३५)

चोरी के मामले

(विवरण पत्र के भाग १ के कालम ५-क्र० सं० ३३+३३क की संख्या)



ग्राफ संख्या ७ (३३६)

जांच किये हुये वास्तविक मामलों के अपराध सिद्ध मामलों का प्रतिशत

